सत्यमेव जयते

भारत सरकार

प्राप्ति बजट
2023-2024

फरवरी, 2023

वित्त मंत्रालय

बजट प्रभाग

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	**परिचायक टिप्पणी**	(iii)
	भाग क - प्राप्तियां	
2.	**प्राप्तियों का विवरण**	1
3.	**कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश**	
	I. कर राजस्व	2-7
	II. कर-भिन्न राजस्व	8-13
	III. पूंजी प्राप्तियां	14-20
अनुबन्धः		
1.	प्राप्तियों की प्रवृत्तियां	21
2.	अनुबंध 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	22
3.	वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान	23
4.	ब.अ. 2023-2024 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	24
4क.	सं.अ. 2022-2023 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	25
4ख.	वास्तविक 2021-2022 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	26
5.	जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)	27
6.	कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि	28
7.	केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का विवरणः वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22	29-43
8.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग 31 मार्च, 2023 के अनुसार	44-45

पृष्ठ संख्या

भाग ख - आस्ति और देयता विवरण

1.	भारत सरकार के ऋण की स्थिति	49
	(i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण	50
	(ii) परिसम्पत्तियों का विवरण	51
	(iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां	52-54
	(iv) आस्तियां रजिस्टर	55
2.	केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा	56
2क.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	57
2ख.	मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड	58
2ग.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां	58
2घ.	पोलिफ का प्रतिभूतिकरण	58
2ङ	तेल विपणन कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	58
2च.	उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	58
2छ.	भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	58
2ज-ञ	विभिन्न संस्थाओं को जारी विशेष बांड	58-59
2ट-ढ	सरकारी क्षेत्र के बैंकों/एग्जिम बैंक/आईडीबीआई बैंक लि. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	59-62
2ण-त	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को बैक टू बैक ऋण देने के लिए उधार	62-63
3.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	64-65
4.	वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी	66-68
5.	विदेशी सहायता	69-71
6.	2023-2024 में उन्मोचन के लिए देय बाजार ऋण	72

परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज को दो भागों; भाग क-प्राप्तियाँ और भाग ख-परिसंपत्ति एवं देयता विवरणों में संगठित किया गया है।

भाग क में सभी प्रकार की प्राप्तियों के सार के साथ-साथ उनके ब्यौरे और संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों को दिया गया है। इसमें कर, गैर कर राजस्व और पूंजीगत (ऋण एवं ऋण-भिन्न) प्राप्तियों से संबंधित विवरण हैं। केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में उन्हें अंतरित संसाधनों की बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए, बजट अनुमान (2023-24), संशोधित अनुमान (2022-2023) और वास्तविक (2021-2022) के अंतरण के राज्यवार अनुमान क्रमशः अनुबंध 4, 4क और 4ख में दिए गए हैं। ये विवरण राज्यों को अपने वित्तीय साधनों की योजना बनाने व नकदी प्रबंधन में भी बहुत सहायता करते हैं।

भाग ख में सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण सन्निहित हैं। एफआरबीएम नियम, 2004 के अंतर्गत यथा अधिदेशित वार्षिकी परियोजनाओं, गैर कर राजस्व के बकायों, उत्पन्न परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व, परिसंपत्तियों और गारंटियों संबंधी विवरणों को भी शामिल किया गया है। ये विवरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

भारत सरकार की ऋण रूपरेखा के विभिन्न आयाम भाग-ख में परिसंपत्तियों और देनदारियों संबंधी विवरणों द्वारा दर्शाए गए हैं। इन विवरणों में सरकार की ऋण देनदारी की मात्रा और संरचना का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है।

प्राप्ति का विवरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022	बजट अनुमान 2022-2023	संशोधित अनुमान 2022-2023	बजट अनुमान 2023-2024
राजस्व प्राप्तियां				
कर राजस्व				
सकल कर राजस्व	**2709315.08**	**2757820.13**	**3043067.49**	**3360858.44**
निगम कर	712037.33	720000.00	835000.00	922675.00
आय कर	696243.22	700000.00	815000.00	900575.00
धन कर	12.81	...	...	...
सीमा शुल्क	199728.30	213000.00	210000.00	233100.00
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	394643.79	335000.00	320000.00	339000.00
सेवा कर	1011.82	2000.00	1000.00	500.00
माल और सेवा कर (जीएसटी)#	698113.88	780000.00	854000.00	956600.00
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	7523.93	7820.13	8067.49	8408.44
घटाइए - राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	**6130.00**	**6400.00**	**8000.00**	**8780.00**
घटाइए - राज्यों का हिस्सा	**898391.57**	**816649.47**	**948405.70**	**1021447.91**
केन्द्र का निवल कर राजस्व	**1804793.51**	**1934770.66**	**2086661.79**	**2330630.53**
ब्याज प्राप्तियां	21873.87	18000.00	24639.56	24820.12
लाभांश तथा लाभ	160646.75	113948.00	83953.33	91000.00
अन्य कर-भिन्न राजस्व	180846.27	134896.26	150922.39	183517.19
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	1744.95	2806.81	2235.72	2313.13
जोड़ कर-भिन्न राजस्व	**365111.84**	**269651.07**	**261751.00**	**301650.44**
I. जोड़ राजस्व प्राप्तियां	**2169905.35**	**2204421.73**	**2348412.79**	**2632280.97**
क. ऋण भिन्न प्राप्तियां				
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां@	24736.59	14291.00	23499.99	23000.00
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	14638.22	65000.00	60000.00	61000.00
कुल	*39374.81*	*79291.00*	*83499.99*	*84000.00*
ख. ऋण प्राप्तियां*				
1. बाजार ऋण (निवल)$	704097.13	1118612.44	1108183.28	1180911.22
2. अदायगी के लिए बाजार ऋण	264284.41	376387.56	312816.72	362088.78**
3. वापसी खरीद के लिए बाजार ऋण	...	...	...	...
4. स्विचिंग हेतु बाजार ऋण	196894.08	100000.00	103065.75	100000.00
5. घटाइए स्विचिंग हेतु भुगतान	-168461.69	-100000.00	-105489.60	-100000.00
6. बाजार ऋण (सकल) (1+2+3)	968381.54	1495000.00	1421000.00	1543000.00
7. अल्पावधिक/रा. हुंडी उधार	77438.36	50000.00	100000.00	50000.00
8. विदेशी ऋण (निवल)	36147.20	19251.15	23874.31	22117.52
9. अन्य बचतों के लिए जारी प्रतिभूतियां	551268.95	425449.00	438919.00	471317.00
10. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	10316.66	20000.00	20000.00	20000.00
11. अन्य प्राप्तियां (निवल)^	174277.09	37025.31	79901.85	54257.63
12. पीओएलआईएफ की पुर्णअदायगी	...	9893.68	9893.68	...
13. जोड़ ऋण प्राप्तियां (1-3+4+5+7+8+9+10+11)	1581977.78	1660444.22	1758560.91	1798603.37
II. जोड़ पूंजी प्राप्तियां (क+ख12)	**1621352.59**	**1739735.22**	**1842060.9**	**1882603.37**
नकदी शेष में आहरण से कमी	**2542.70**	**751.74**	**-3241.33**	**-11786.86**
जोड़ प्राप्तियां (I+II)	**3791257.94**	**3944156.94**	**4190473.69**	**4514884.33**
@ राज्यों से अल्पावधिक ऋण और अग्रिम, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋणों की वसूलियां शामिल नही हैं	211.51	10375.02	10250.02	25250.01

 # जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं

** निवल अदायगी की प्राप्तियाँ हैं।*

*** जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से ₹78,104 करोड़ की निवल अदायगी।*

^ आरक्षित निधियों, जमा राशि, अग्रिम राशि से प्राप्तियां शामिल हैं।

$ वास्तविक 2021-22 में निरंतर मिलने वाले ऋण के लिए उधार माफी

कर राजस्व

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
कर राजस्व						
1.	***निगम कर***					
1.01.	संग्रहण	0020	659005.02	623076.92	722596.15	798468.75
1.02.	अधिभार	0020	15890.31	69230.77	80288.46	88718.75
1.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0020	27140.05	27692.31	32115.39	35487.50
1.04.	शास्तियां	0020	92.09	...	...	...
1.05.	ब्याज वसूलियां	0020	2240.31	...	...	...
1.06.	घरेलू कम्पनियों के बट्टे खाते डाले गए लाभों पर कर	0020	3170.04	...	...	...
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020	4164.21	...	...	...
1.08.	विविध प्राप्तियां	0020	335.30	...	...	...
जोड़-निगम कर			*712037.33*	*720000.00*	*835000.00*	*922675.00*
2.	***आय पर कर***					
2.01.	संग्रहण	0021	635441.62	588461.54	683653.85	755437.50
2.02.	अधिभार	0021	7922.88	65384.61	75961.53	83937.50
2.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0021	25592.28	26153.85	30384.62	33575.00
2.04.	शास्तियां	0021	179.72	...	...	...
2.05.	ब्याज वसूलियां	0021	3879.38	...	...	...
2.06.	काले धन के तहत कर	0021	35.24	...	...	...
2.07.	विविध प्राप्तियां	0021	49.36	...	...	...
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	0034	23191.03	20000.00	25000.00	27625.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.25	...	...	...
2.11.	ब्याज कर	0024	3.96	...	...	...
2.12.	अनुषंगी लाभ कर	0026	-54.98	...	...	...
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर					
2.13.01.	व्यय कर	0028	2.08	...	...	...
2.13.02.	आय घोषणा योजना, 2016	0028	0.38	...	...	...
2.13.03.	अन्य प्राप्तियां	0028	...	...	...	...
जोड़-आय तथा व्यय पर अन्य कर			*2.46*	...	...	...
2.14.	कृषि कल्याण उपकर	0028	0.01	...	...	...
2.16.	पीएम गरीब कल्याण योजना 2016 के लिए कराधान और निवेश संबंधी व्यवस्था	0028	0.01	...	...	...
जोड़-आय पर कर			*696243.22*	*700000.00*	*815000.00*	*900575.00*
3.	***संपदा कर***					
3.01.	संपदा शुल्क	0031	1.74	...	...	...
3.02.	धन पर कर	0032	10.59	...	...	...
जोड़-संपदा कर			*12.33*	...	...	...
4.	***पण्य लेन - देन कर***					
4.01.	वस्तु लेनदेन कर के अंतर्गत संग्रहण	0036	0.02	...	...	...
4.04.	गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम	0036	...	...	...	...
जोड़-पण्य लेन - देन कर			*0.02*	...	...	...
5.	***सीमा शुल्क***					
5.01.	आयात शुल्क					
5.01.01.	बुनियादी शुल्क (स्क्रिप्स के नामे सहित)					
5.01.01.01.	स्क्रिप्स के नामे को छोड़कर	0037	124641.24	136810.00	116308.86	139529.69
5.01.01.02.	विभिन्न स्क्रिप आधारित योजनाओं के कारण खाते में नामे के माध्यम से	0037	21377.32	31190.00	41540.14	41070.31
जोड़ - बुनियादी शुल्क (स्क्रिप्स के नामे सहित)			*146018.56*	*168000.00*	*157849.00*	*180600.00*

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
5.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	0.85	...	...	...
5.01.03.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0037	936.57	900.00	1000.00	1030.00
5.01.04.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0037	10.63	...	...	...
5.01.05.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	0.03	...	...	...
5.01.06.	समाज कल्याण अधिभार	0037	16945.06	14280.00	17000.00	19500.00
5.01.07.	स्वास्थ्य कर	0037	31.02	870.00	20.00	20.00
5.01.08.	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर	0037	28885.92	27400.00	25000.00	28400.00
जोड़-आयात शुल्क			*192828.64*	*211450.00*	*200869.00*	*229550.00*
5.02.	निर्यात शुल्क	0037	-1575.43	50.00	400.00	50.00
5.03.	निर्यात पर उपकर	0037	1457.10	1500.00	2100.00	1500.00
5.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	2419.09	...	5000.00	2000.00
5.05.	सार्वजनिक नीलामी द्वारा सोने की बिक्री	0037	62.70	...	2.00	...
5.06.	जब्त माल की बिक्री प्राप्तियां	0037	2414.18	...	762.00	...
5.07.	स्वर्ण पर सीमा शुल्क	0037	...	...	...	...
5.08.	निर्धारिती के अग्रिम भुगतान की प्राप्ति	0037	117.75	...	...	...
5.09.	सुरक्षा शुल्क	0037	1018.73	...	...	...
5.10.	सड़क और अवसरंचना उपकर	0037	1.82	...	...	...
5.11.	एंटी डंपिंग शुल्क	0037	983.72	...	867.00	...
जोड़-सीमा शुल्क			*199728.30*	*213000.00*	*210000.00*	*233100.00*
6.	***केंद्रीय उत्पाद शुल्क***					
6.01.	बुनियादी उत्पाद शुल्क	0038	25458.92	26900.00	30800.00	33100.00
6.02.	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	26565.25	...	...	...
6.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	61820.95	...	...	...
6.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	6138.30	5500.00	7000.00	7750.00
6.05.	विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	90548.03	95750.00	154500.00	181500.00
6.06.	तम्बाकू उत्पादों पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	0.01	...	...	...
6.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
6.07.01.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0038	3.09	...	...	...
6.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	1.52	...	...	...
6.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	19353.84	18020.00	21000.00	20540.00
6.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	0.01	...	...	...
6.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	0.02	...	...	...
6.07.06.	ऑटोमोबाईल पर उपकर	0038	0.01	...	...	...
6.07.07.	अन्य	0038	0.02	...	...	...
6.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर	0038	23.86	...	...	...
6.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	...	...	...	...
6.07.10.	मोटर स्प्रिट और उच्च गति वाले डीजल तेल (सड़क और अवसंरचना उपकर) पर उत्पाद शुल्क	0038	107598.94	138450.00	58200.00	45110.00
6.07.11.	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर	0038	48064.76	50380.00	48500.00	51000.00
जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर			*175046.07*	*206850.00*	*127700.00*	*116650.00*
6.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
6.08.01.	रबड़	0038	...	...	...	...
6.08.02.	जूट	0038	0.04	...	...	...
6.08.03.	चाय	0038	...	...	...	...
6.08.04.	तेल और तिलहन	0038	...	...	...	...
6.08.05.	कपास	0038	...	...	...	...
6.08.06.	तंबाकू	0038	0.07	...	...	...

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
6.08.07.	कागज	0038	...	...	...	...
6.08.08.	नमक	0038	-0.20	...	...	...
जोड़-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर			*-0.09*	...	...	...
6.09.	उत्पाद के सहकारी शुल्क	0038	-6.90	...	...	...
6.10.	विशेष उत्पाद कर	0038	5095.79	...	...	...
6.11.	विद्युत सृजन पर उत्पाद शुल्क	0038	...	...	...	...
6.12.	कपड़ा और कपड़े के बने वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	...	...	...	...
6.13.	खनिज उत्पाद पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	...	...	...	...
6.14.	बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-0.43	...	...	...
6.15.	टीवी सेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-1.49	...	...	...
6.16.	अन्य शुल्क	0038	48.52	...	...	...
6.17.	जब्त वस्तुओं की बिक्री	0038	0.05	...	...	...
6.18.	विविध प्राप्तियां	0038	95.09	...	...	...
जोड़-केंद्रीय उत्पाद शुल्क			*390808.07*	*335000.00*	*320000.00*	*339000.00*
7.	***सेवा कर***					
7.01.	संग्रहण	0044	992.29	2000.00	1000.00	500.00
7.02.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0044	1.72	...	...	...
7.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	0.95	...	...	...
7.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	9.63	...	...	...
7.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	7.23	...	...	...
7.06.	अन्य प्राप्तियां	0044	...	...	...	...
जोड़-सेवा कर			*1011.82*	*2000.00*	*1000.00*	*500.00*
8.	***माल एवं सेवा कर (जीएसटी)***					
8.01.	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	0005	591226.14	660000.00	724000.00	811600.00
8.02.	एकीकृत माल एवं सेवा कर	0008	2119.08	...	...	...
8.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	104768.66	120000.00	130000.00	145000.00
जोड़-माल एवं सेवा कर (जीएसटी)			*698113.88*	*780000.00*	*854000.00*	*956600.00*
9.	***वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क***					
9.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040	...	...	...	...
9.02.	अन्य कर	0045	3835.72	...	...	...
जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क			*3835.72*	...	...	...
10.	***संघ राज्य क्षेत्रों के कर***					
10.01.	भू राजस्व	0710	9.93	27.05	22.92	28.44
10.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	301.33	422.90	351.90	443.90
10.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	1223.94	1716.50	1745.00	1890.00
10.04.	बिक्री कर	0710	1329.41	1487.01	1557.00	1665.00
10.05.	वाहनों पर कर	0710	323.29	368.45	406.00	387.00
10.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	9.33	28.50	13.50	15.00
10.07.	बिजली पर कर और शुल्क	0710	22.88	64.00	40.00	40.00
10.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	4.88	0.11	3.25	4.10
10.09.	संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	4298.94	3705.61	3927.92	3935.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			*7523.93*	*7820.13*	*8067.49*	*8408.44*
11.	**घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी**					
11.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-880.00	-900.00	-1000.00	-1030.00
11.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-5250.00	-5500.00	-7000.00	-7750.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी			*-6130.00*	*-6400.00*	*-8000.00*	*-8780.00*
12.	**घटाइए-राज्यों का हिस्सा**	0710	-898391.57	-816649.47	-915798.36	-1021447.91

(₹ करोड़)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
13. घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन	0710	...	...	-32607.34	...
14. पूंजीगत संपत्ति और अन्य लेनदेन पर कर					
14.01. स्टांप शुल्क और पूंजीकरण शुल्क					
14.01.01. 01- न्यायालयी स्टांप शुल्क - स्टांप के रूप में जारी न्यायालय शुल्क	0030	0.46	...	...	...
जोड़-कर राजस्व		**1804793.51**	**1934770.66**	**2086661.79**	**2330630.53**
कुल जोड़		*1804793.51*	*1934770.66*	*2086661.79*	*2330630.53*

1. **निगम कर :** कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2022-2023 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 7,20,000.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 8,35,000 करोड़ रुपए है। 2023-2024 का बजट अनुमान 9,22,675 करोड़ रुपए है।

2. **आय पर कर** : यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2022-2023 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 7,00,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 8,15,000 करोड़ रुपए है। 2023-2024 के लिए बजट अनुमान 9,00,575 करोड़ रुपए है।

   आय कर अतिशुल्क सहित का @ 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर वित्त वर्ष 2018-19 से लगाई गई है।

3. **संपदा कर:** धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। वर्ष 2020-2021 के लिए धन कर का वास्तविक संग्रहन 10.59 करोड़ रू. था। इस कर को 2016-17 से समाप्त किया गया।

5. **सीमा शुल्क :** वर्ष 2022-23 हेतु सीमा शुल्क के लिए 2,13,000 करोड़ रू. के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान 2,10,000 करोड़ रू. है। वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान 2,33,100 करोड़ रू. है।

5.01.01. **बुनियादी शुल्क स्क्रीप्स के नामे सहित** : सीमा शुल्क का मूलभूत शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर उग्रहणीय है।

5.01.01.01. **स्क्रीप्स के नामे को छोड़कर** : आयातित माल पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत मूल सीमा शुल्क वसूला जाता है।

5.01.01.02. **विभिन्न स्क्रीप्स आधारित योजनाओं के कारण खाते में नामे के माध्यम से** : वर्तमान योजनाओं के अलावा, कुछ ऐसी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हैं, जिनका उपयोग वर्तमान वर्ष में एफटीपी की शर्तों में पूर्व में लागू योजनाओं से संबंध में किया गया और शुल्क क्रेडिट स्क्रिप बकाए वर्तमान वर्ष में स्वीकार किए गए। शुल्क क्रेडिट योजना में निर्यातकों के लिए कुछेक क्रेडिट राशि की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रयोग मूल सीमाशुल्क के भुगतान के लिए किया जाता है। शुल्क क्रेडिट की अनुमति अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातीत वस्तुओं पर लगाए गए कर/शुल्क/उपकर की प्रतिपूर्ति के लिए दी गई है। इन स्क्रिप को सीमा शुल्क ईडीआई में रखे गए निर्यातक के लेजर खाते में दर्ज किया जाता है। ऐसी योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) भारत से समान का निर्यात योजना (एमईआईएस) (सं.अ. 2022-23, 9002.09 करोड़ रू., ब.अ. 2023-24, 2450.12 करोड़ रू.,)

(ii) भारत से सेवाओं का निर्यात योजना (एसईआईएस) (सं.आ. 2022-23, 4284.05 करोड़ रू., ब.अ. 2023-24, 2433.12 करोड़ रू.,)

(iii) राज्य और केंद्रीय करों एवं वसूलियों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना (सं.अ. 2022-23, 12122.04 करोड़ रू., ब.अ. 2023-24, 10716.71 करोड़ रू.,)

(iv) राज्य वसूलियों पर छूट (आरओएसएल) योजना (ब.अ. 2023-24, 165.41 करोड़ रू.,)

v) मोबाइल फोन के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ लाभांश प्रोत्साहन (ब.अ. 2023-24, 64.90 करोड़ रू.,)

(vi) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) (सं.अ. 2022-23 15928.71 करोड़ रू., ब.अ. 2023-24, 22925.57 करोड़ रू.,)

(vii) टारगेट प्लस स्कीम (टीपीएस) (सं.अ. 2022-23 129.26 करोड़ रू., ब्.अ. 2023-24, 1443.63 करोड़ रू.,)

(viii) फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस) और बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद योजना (सं.अ. 2022-23, 59.01 करोड़ रू., ब.अ. 2023-24, 357.22 करोड़ रू.,)

(ix) फोकस बाजार योजना (एफएमएस) (सं.अ. 2022-23, 1.28 करोड़ रू., ब.अ. 2023-24, 115.57 करोड़ रू.,)

(x) विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) (सं.अ. 2022-23, 0.18 करोड़ रू., ब.अ. 2023-24, 90.79 करोड़ रू.,)

(xi) स्टेटस धारक प्रोत्साहन योजना (एसएचआईएस) (सं. अ. 2022-23, 4.22 करोड़ रू., ब.अ. 2023-24, 166.38 करोड़ रू.,)

(xii) वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना (सं.अ. 2022-23, 9.3 करोड़ रू., ब.अ. 2023-24, 140.89 करोड़ रू.,)

5.01.02. सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क : सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्तगत उग्रहरणीय है जो घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों पर उग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य है। इस शुल्क को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों, जो जीएसटी से बाहर हैं को छोड़कर) कर लिया गया है।

5.01.03. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : वित्त अधिनियम, 2001 के तहत विनिर्दिष्ट तंबाकु उत्पादों पर और वित्त अधिनियम, 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क वसूला जाता है । अन्य मदों पर एनसीसीडी को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिलाया गया है।

5.01.07. स्वास्थ्य उपकर : यह कुछ चिकित्सा उपकरणों पर सीमा शुल्क के रूप में लगाया गया उप कर है।

5.01.08. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर: कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के वित्त पोषण के लिए कृषि अवसंरचना एवं विकास उप-कर को वित्त अधिनियम, 2021 के तहत सीमा शुल्क के प्रभार के रूप में वसूला जाता है।

5.02. निर्यात शुल्क: कुछ विनिर्दिष्ट मदों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।

6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 2022-23 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान 3,20,000 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 3,35,000 करोड़ रुपए है। 2023-2024 के लिए ब.अ. 3,39,000 करोड़ रुपए है।

6.01. बुनियादी उत्पाद शुल्क : केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। इस शुल्क को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी के तहत मिला दिया गया है। (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, जो जीएसटी में नहीं आते हैं)

6.02. मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: मोटर स्पिरिट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। इस शुल्क को सड़क एवं अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।

6.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क: राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त अधिनियम, 2001 के तहत लगाया जाता था और वित्त अधिनियम, 2003 में उस लेवी को कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया गया। अन्य मदों पर एनसीसीडी को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिलाया गया है।

6.05. विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क : वित्त अधिनियम, 2002 के तहत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) वसूला जाता है। इसे सामान्य रूप से सरचार्ज कहा जाता है। मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई स्पीड डीजल ऑयल (एचएसडी) के अलावा, अब एसएईडी को क्रूड पेट्रोलियम एवं एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर भी वसूला जाता है।

6.07.10.मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) : अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्त अधिनियम, 2018 के तहत सडक एवं अवसंरचना उप कर (आरआईसी) को एक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में वसूला जाता है।

6.07.11. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) : सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ सामानों पर कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के वित्तपोषण के उद्देश्य से वित्त अधिनियम, 2021 के तहत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में कृषि अवसंरचना और विकास उप कर वसूला जाता है।

7. सेवा कर : सेवा कर की वसूली को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है। वर्ष 2022-2023 के लिए सेवा कर अवशेष (बकाया) की संशोधित अनुमान, 2,000 करोड़ रुपये की बजट अनुमान की तुलना में 1,000 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सेवा कर अवशेष (बकाया) हेतु बजट अनुमान 500 करोड़ रुपये है।

8. माल एवं सेवा कर (जीएसटी): माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया है। जीएसटी मानव उपभोग के एल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति को छोड़कर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीजीएसटी का संशोधित अनुमान 7,24,000 करोड़ रुपए है जबकि ब.अ. 6,60,000 करोड़ रुपए है। सीजीएसटी का वित्त वर्ष 2023-24 का ब.अ. 8,11,600 करोड़ रुपए है। आईजीएसटी राजस्व ऋणों के प्रति-उपयोग के परिणाम स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच समानुपात विभाजन और निधि के निपटारे के अध्यधीन है। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के संबंध में वर्ष 2022-23 का सं.अ. और 2023-24 का ब.अ. क्रमश: 1,30,000 करोड रु. और 1,45,000 करोड रु. है।

13. **घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन**: इस राजकोषीय वर्ष में किए जाने वाले पूर्व अवधि के कर अंतरण के समायोजन के कारण राज्यों को समायोजन के रूप में 32,607.34 करोड रु. का भुगतान किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए अतिरिक्त अंतरण के लिए 862.84 करोड रु. की वसूलियों को प्रभावी बनाने के बाद, इसे भारत के सी एंड एजी द्वारा प्रमाणित के साथ तुलना करने पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए करों के वास्तविक संग्रहण और राज्यों के अनुमानित हिस्से के बीच अंतर के कारण राज्यों को 33,470.18 करोड रु. का भुगतान किया जाना है। तत्तकालीन राज्य जम्मू व कश्मीर (अब कानूनन संघ राज्य क्षेत्र) की 41.72 करोड रु की राशि के समायोजन योग्य हिस्से को केंद्रीय सहायता के माध्यम से पहले ही अंतरित किया गया है। आंकडे अनुमानित हैं और राज्य सरकारों से वसूली जाने योग्य बकाया देयताओं को ध्यान में रखते हुए इनमें परिवर्तन हो सकता है।

कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़)

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ						
1.	***ब्याज प्राप्तियां***					
1.01.	राज्य	0049	6236.23	2629.00	9796.07	9796.07
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	315.95	58.00	399.41	50.02
1.03.	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	39611.35	32165.65	45366.64	36524.03
1.03.01.	घटाइए - व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-24289.66	-16852.65	-30922.56	-21550.00
निवल-ब्याज प्राप्तियां			*21873.87*	*18000.00*	*24639.56*	*24820.12*
2.	***लाभांश और लाभ***					
2.01.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	59293.93	40000.00	43000.00	43000.00
2.02.	भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/ अधिशेष लाभ	0050	101352.82	73948.00	40953.33	48000.00
जोड़-लाभांश और लाभ			*160646.75*	*113948.00*	*83953.33*	*91000.00*
जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ			**182520.62**	**131948.00**	**108592.89**	**115820.12**
राजकोषीय सेवाएं						
3.	***राजकोषीय सेवाएं***					
3.01.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	103.82	1210.00	1210.00	1331.00
3.02.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	89.44	86.02	98.83	100.00
जोड़-राजकोषीय सेवाएं			*193.26*	*1296.02*	*1308.83*	*1431.00*
जोड़-राजकोषीय सेवाएं			**193.26**	**1296.02**	**1308.83**	**1431.00**
सामान्य सेवाएं						
4.	***सामान्य सेवाएं***					
4.01.	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01.	लोक सेवा आयोग	0051	91.09	97.00	102.25	102.00
4.01.02.	पुलिस	0055	27635.50	8040.60	11216.10	12286.10
4.01.03.	पूर्ति और निपटान	0057	5.34	...	...	...
4.01.04.	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	8.00	10.72	8.04	8.15
4.01.05.	लोक निर्माण कार्य	0059	554.16	440.02	458.90	490.32
4.01.06.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	4408.86	5850.84	5817.05	6329.34
4.01.07.	जैल्स	0056	...	...	...	...
जोड़-प्रशासनिक सेवाएं			*32702.95*	*14439.18*	*17602.34*	*19215.91*
4.02.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1718.97	2305.14	3154.93	2423.96
4.02.02.	घटाइए - प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां			*1718.97*	*1305.14*	*2154.93*	*1423.96*
4.03.	विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01.	विविध सामान्य सेवाएं	0075	24923.60	24151.85	26760.82	27078.83
4.03.02.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-19557.76	-20000.00	-23232.00	-23232.00
4.03.03.	घटाइए - प्राप्तियां	0075	...	...	-72.58	-174.20
निवल-विविध सामान्य सेवाएं			*5365.84*	*4151.85*	*3456.24*	*3672.63*
4.04.	रक्षा सेवाएं					
4.04.01.	रक्षा सेवाएं - सेना	0076	3691.73	4319.31	4559.31	4483.11
4.04.01.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0076	-3691.73	-4319.31	-4559.31	-4483.11
निवल			...	...	...	...
4.04.02.	रक्षा सेवाएं - नौसेना	0077	591.53	750.00	1250.00	750.00

(₹ करोड़)

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
4.04.02.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0077	-591.53	-750.00	-1250.00	-750.00
निवल			...	...	...	...
4.04.03.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	0078	1312.48	1300.00	1300.00	1300.00
4.04.03.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0078	-1312.48	-1300.00	-1300.00	-1300.00
निवल			...	...	...	...
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	422.52	0.50	1.00	7.00
4.04.04.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0079	-422.52	-0.50	-1.00	-7.00
निवल			...	...	...	...
4.04.05.	रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	0080	378.67	300.00	300.00	300.00
4.04.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0080	-378.67	-300.00	-300.00	-300.00
निवल			...	...	...	...
निवल-रक्षा सेवाएं			...	...	...	...
निवल-सामान्य सेवाएं			*39787.76*	*19896.17*	*23213.51*	*24312.50*
जोड़-सामान्य सेवाएं			**39787.76**	**19896.17**	**23213.51**	**24312.50**
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं						
5.	***सामाजिक सेवाएं***					
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	111.80	192.03	356.18	360.03
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	1646.05	1299.75	2142.62	2183.39
5.03.	परिवार कल्याण	0211	0.99	6.06	20.16	20.16
5.04.	आवास	0216	486.28	334.94	334.34	335.99
5.05.	शहरी विकास	0217	...	...	...	...
5.06.	सूचना और प्रचार प्रसार	0220	35.30	33.28	37.07	37.18
5.07.	प्रसारण	0221	1761.25	1035.02	1075.12	975.05
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	85.12	40.77	49.15	45.46
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	3.52	2.96	3.92	4.03
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	630.78	...	...	...
5.10.01.	घटाइए-प्राप्तियां	0250	...	...	...	...
5.11.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	0215	...	...	...	...
निवल-सामाजिक सेवाएं			*4761.09*	*2944.81*	*4018.56*	*3961.29*
जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं			**4761.09**	**2944.81**	**4018.56**	**3961.29**
आर्थिक सेवाएं						
6.	***आर्थिक सेवाएं***					
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल कार्य	0401	645.70	515.06	736.04	736.49
6.01.02.	पशु पालन	0403	50.08	20.70	50.20	50.90
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	336.49	370.00	375.81	395.00
6.01.03.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां दिल्ली दुग्ध योजना	0404	-308.41	-370.00	-335.80	-360.00
निवल			*28.08*	...	*40.01*	*35.00*
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	4.64	2.26	4.68	4.91
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	75.09	60.51	70.14	80.53
6.01.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0406	-3.40	-5.00	-8.00	-10.00
निवल			*71.69*	*55.51*	*62.14*	*70.53*
6.01.06.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	671.55	625.00	673.40	673.60
6.01.06.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0408	...	...	...	...
निवल			*671.55*	*625.00*	*673.40*	*673.60*
6.01.07.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	199.63	...	5.00	5.25
6.01.08.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	21.54	23.67	24.20	25.00
6.01.09.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	0552	7.68	...	...	...
6.01.10.	सहयोग	0425	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	कर-भिन्न राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप			*1700.59*	*1242.20*	*1595.67*	*1601.68*
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	22.11	20.00	20.00	30.00
6.02.02.	लघु सिंचाई	0702	282.49	5.00	80.00	160.00
जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण			*304.60*	*25.00*	*100.00*	*190.00*
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	7651.44	4081.97	4653.54	6397.20
6.03.01.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां ईंधन माल सूची	0801	-3833.18	-2561.72	-2488.20	-3339.53
निवल			*3818.26*	*1520.25*	*2165.34*	*3057.67*
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	20036.64	11889.99	17620.05	24185.00
6.03.03.	कोयला और लिग्नाईट	0803	0.25	3200.00	5.40	17.00
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	0.15	0.06	0.06	0.06
निवल-ऊर्जा			*23855.30*	*16610.30*	*19790.85*	*27259.73*
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	30.38	43.02	113.22	114.34
6.04.02.	उद्योग	0852	3459.29	4130.14	2972.11	3597.89
6.04.02.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन फैब्रिकेशन सुविधाएं	0852	-2211.07	-3861.70	-2710.80	-3339.59
6.04.02.03.	घटाइए - सेक्टर में अन्य प्राप्तियां	0852	-996.99	...	...	...
निवल			*251.23*	*268.44*	*261.31*	*258.30*
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	924.85	673.00	980.50	1027.09
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	204.00	228.00	275.00	275.00
6.04.04.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - अफीम और क्षारीय निर्माणियां	0875	-204.00	-228.00	-275.00	-275.00
निवल			...	...	...	...
निवल-उद्योग और खनिज			*1206.46*	*984.46*	*1355.03*	*1399.73*
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	371.30	378.00	397.42	405.42
6.05.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	1051	-356.92	-360.00	-380.00	-380.00
निवल			*14.38*	*18.00*	*17.42*	*25.42*
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	86.71	162.03	97.51	97.51
6.05.03.	नागर विमानन	1053	234.84	52.85	187.11	184.75
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	14330.00	33310.00	19911.00	21460.00
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	19.51	...	...	...
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	10860.80	14725.87	12230.41	13439.38
6.05.06.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - डाक	1201	-10860.80	-14725.87	-12230.41	-13439.38
निवल			...	...	...	...
6.05.08.	सड़क परिवहन	1055	...	...	...	...
निवल-परिवहन			*14685.44*	*33542.88*	*20213.04*	*21767.68*
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	85828.07	52806.36	68784.00	89469.17
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	130.03	109.07	125.67	128.12
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1812.96	644.69	3549.13	5363.84
जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			*1942.99*	*753.76*	*3674.80*	*5491.96*
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	421.05	414.78	439.00	439.00

(₹ करोड़)

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	4827.20	3745.24	3835.52	4044.36
6.08.02.02.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0515	7.93	10.00	10.00	10.00
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			*4835.13*	*3755.24*	*3845.52*	*4054.36*
6.08.03.	पर्यटन	1452	18.28	4.20	3.55	3.55
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.29	0.08	0.21	0.23
जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं			*5274.75*	*4174.30*	*4288.28*	*4497.14*
निवल-आर्थिक सेवाएं			*134798.20*	*110139.26*	*119801.67*	*151677.09*
7.	***रेल राजस्व***					
7.01.	भारतीय रेलवे विविध प्राप्तियां	1001	160.53	400.00	200.00	400.00
7.01.01.	घटाइए विविध प्राप्तियां	1001	-160.53	-400.00	-200.00	-400.00
7.02.	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनें	1002	188687.76	237152.87	240929.47	262672.50
7.02.01.	घटाइए प्राप्तियां	1002	-188687.76	-237152.87	-240929.47	-262672.50
7.03.	भारतीय रेलवे सामरिक लाइनें	1003	2518.72	2447.13	1763.30	1927.50
7.03.01.	घटाइए - प्राप्तियां	1003	-2518.72	-2447.13	-1763.30	-1927.50
निवल- रेल राजस्व			...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं			**134798.20**	**110139.26**	**119801.67**	**151677.09**
सहायता-अनुदान तथा अंशदान						
8.	***सहायता अनुदान और अंशदान***					
8.01.	विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	33.29	25.40	31.70	30.78
8.01.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि निधि	1605	...	1.91	1.07	1.89
8.01.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	117.64	114.20	44.15	16.31
8.01.01.04.	यूरोपीयन यूनियन	1605	1.04	...	...	...
जोड़-बहुपक्षीय			*151.97*	*141.51*	*76.92*	*48.98*
8.01.02.	द्विपक्षीय					
8.01.02.01.	फ्रांस	1605	15.03	41.00	9.61	7.86
8.01.02.02.	जर्मनी	1605	19.13	181.00	40.41	52.70
8.01.02.03.	जापान	1605	128.10	100.00	40.21	11.90
जोड़-द्विपक्षीय			*162.26*	*322.00*	*90.23*	*72.46*
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	862.65	152.80	504.83	815.45
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	19.08	3.69	...	...
जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय			*881.73*	*156.49*	*504.83*	*815.45*
जोड़-विदेश अनुदान सहायता			*1195.96*	*620.00*	*671.98*	*936.89*
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	110.00	...	1907.84	1198.42
जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान			*1305.96*	*620.00*	*2579.82*	*2135.31*
जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान			**1305.96**	**620.00**	**2579.82**	**2135.31**
संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व						
9.	***संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व***	1710	1744.95	2806.81	2235.72	2313.13
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व			**1744.95**	**2806.81**	**2235.72**	**2313.13**
कुल जोड़			***365111.84***	***269651.07***	***261751.00***	***301650.44***

1.1. राज्य: राज्यों को निर्मोचित ऋणों पर ब्याज प्राप्ति में अन्य के साथ - साथ निम्नलिखित ब्याज शामिल हैं :

(क) गैर-योजना (बाढ़ नियंत्रण) के अंतर्गत अलग अलग समय अवधि में पश्चिम बंगाल, पंजाबऔर त्रिपुरा राज्यों को संवितरित ऋण;

(ख) भिन्न ब्याज दरों पर वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को संवितरित पुराने ऋण, जिसके लिए अब एकरूप ब्याज दर निर्धारित किया गया है;

(ग) राज्य योजनागत स्कीमों हेतु सहायता प्रदान करने के लिए संवितरित ऋण जिसकी परिपक्वता अवधि 20 वर्ष है;

(घ) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को संवितरित ऋण। इसमें बूलॉक ऋण, पुनर्वासन - अन्य देशों से आने वाले देश के नागरिक और संसाधन अंतराल इत्यादि को कवर करने के लिए ऋण आदि शामिल है।

1.2. संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) : संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित) को दिए गए ऋणों पर ब्याज

1.3. अन्य ब्याज प्राप्तियां: "अन्य ब्याज प्राप्तियों" के तहत अनुमान, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी सेवकों आदि को दिए गए ऋणों पर और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज के सम्बन्ध में है। इन अनुमानों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय अर्थोपाय अग्रिम पर बुयाज शामिल है।

2. लाभांश और लाभ: इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओँ से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।

3.2. अन्य राजकोषीय सेवाएं: ये प्राप्तियां मुख्यत: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभारों , के मद में अंशदान , आईएमएफ से प्राप्त पारिश्रमिकआदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि से सम्बन्धित हैं।

4.01.01. लोक सेवा आयोग : "लोक सेवा आयोग" की प्राप्तियां मुख्यत: संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को द्योतित करती हैं।

4.01.02. पुलिस: "पुलिस" की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को आपूर्ति किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्तियों में दिल्ली पुलिस की प्राप्तियां भी शामिल हैं।

4.01.03. पूर्ति और निपटान : "पूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यत: भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की बिक्री आय से सम्बन्धित हैं।

4.01.04. स्टेशनरी तथा मुद्रण : "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्तियां सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से प्राप्त राशियां हैं।

4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं : "अन्य प्रशासनिक सेवाओं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यत: लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।

4.03.02. घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां: वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां रक्षा सेवा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति: "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यत: ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।

5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य: "चिकित्सा" प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्तियों में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्तियां आदि शामिल हैं।

5.03. परिवार कल्याण: "परिवार कल्याण" प्राप्तियां मुख्यत: सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्तियों से सम्बन्धित हैं।

5.04. आवास: "आवासन" प्राप्तियां मुख्यत: सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।

5.06. सूचना और प्रचार प्रसार: "सूचना तथा प्रचार" प्राप्तियों में रोजगार समाचार और अन्य विज्ञापन से प्राप्तियां, फिल्म डिविजन निदेशालय और आउटरीच एंड कॉम्यूनिकेशन ब्यूरो (पहले डीएवीपी) की प्राप्तियां शामिल हैं।

5.07. प्रसारण : डीटीएच ऑपरेशन, वाणिज्यिक सेवाएं (टीवी), वाणिज्यिक सेवाएं (एफएम) और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क।

5.08. श्रम और रोजगार: "श्रम और रोजगार" प्राप्तियां मुख्यत: श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।

5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्तियां मुख्यत: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित है।

6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप: इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।

6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण: इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यत: केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्तियां आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

6.03. ऊर्जा: इस शीर्ष के अंतर्गत "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न खंडों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.3.01. विद्युत : 'विद्युत' शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.03.02. पेट्रोलियम : (पेट्रोलियम शीर्ष के अंतर्गत अनुमान में ऑफशोर कच्चे तेल और गैस उत्पादन पर रायल्टी के प्राप्त प्राप्तियां, निर्दिष्ट क्षेत्र में तेल और गैस के समावेशी अन्वेषण अधिकार के लिए पेट्रोलियम लाभ और लाइसेंस शुल्क ।

(क) खनिज पर रॉयल्टी तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 समय समय पर यशासंशोधित की धारा 6क द्वारा विनियमित की जाती है। पी एंड एनजी नियामवली 1959 की धारा 14 के अंतर्गत रॉयल्टी कच्चे तेल, कंडेनसेट और प्राकृत्कि गैस पर देय है। ऑनलैंड क्षेत्र के उत्पादन पर रॉयल्टी संबंधित राज्य सरकारों को तथा ऑफशोर क्षेत्र के उत्पादन पर रॉयल्टी केन्द्र सरकार को देय है। किसी भी खनिज तेल के संबंध में रॉयल्टी दर जिसमें कच्चा तेल शामिल है, तेल क्षेत्र, तेल कुओं का मुहाना, चाहे जो भी मामला हो में खनिज तेल के बिक्री मूल्य के 20 से अधिक नहीं होगी।

(ख) लाभ पेट्रोलियमः लाभ पेट्रोलियम संविदागत क्षेत्र से एक विशेष अवधि में उत्पादित और बचा कर रखे गए लागत में से घटाने पर पेट्रोलियम का कुल मूल्य होता है। इसका परिकलन और सरकार के साथ हिस्सेदारी प्रासंगिक करार/संविदा के निबंधनों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों को नामित क्षेत्रों से उत्पादन पर कोई लाभ पेट्रोलियम देय नहीं होता है।

(ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्कः (i) पीईएल शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारक द्वारा क्षेत्र विशेष में तेल और प्राकृतिक गैस का विशिष्ट अन्वेषण करने क के लिए सरकार द्वारा अधिकार दिए जाने के एवज में किया जाता है। लाइसेंस शुल्क सामान्यतः लाइसेंस के क्षेत्र और उसकी अवधि से संबद्ध रहता है और समय-समय पर यथासंशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अनुसार लाइसेंसधारक द्वारा देय होता है। (ii) अभितट क्षेत्रों के मामले में पीएलई शुल्क संबंधित राज्य सरकार को जाता है और अपतटीय क्षेत्रों के मामले में यह केंद्र सरकार को जाता है।

(घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी): पीएपी का अभिप्राय कोयला क्षेत्र मिथेन ब्लॉकों में प्रासंगिक संविदा/करार के अनुसार कतिपय उत्पादन स्तर प्राप्त करने के बाद भारत सरकार को किए जाने वाला भुगतान है।

6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग: ग्रामीण और लघु उद्योग शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

6.04.02. उद्योग: उद्योग के अधीन प्राप्तियां मुख्यत: परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग : गैर अयस्क खनन और धात्विक उद्योग शीर्ष में मुख्यत: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.5.04 सड़क और पुलः शीर्ष सड़क और पुल में राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोग के लिए शुल्क और चुंगी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मौद्रीकरण से आय प्राप्तियां शामिल हैं। तथापि, अब से अर्थात् संशोधित अनुमान 2022-23 के बाद पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत एमएनएचएफ की आय को दर्शाया जाएगा यह लेखाकरण अपेक्षाओं के कारण होगा।

6.6.01 अन्य संचार सेवाएं: अन्य संचार सेवाओं के अधीन प्राप्तियां मुख्य रूप से टेलीकॉम ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों के कारण प्राप्तियां आती हैं। टेलीकॉम विभाग अपने द्वारा लाइसेंस दिए गए विभिन्न टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से लाइसेंस शुल्क का संग्रहण करता है। लाइसेंस शुल्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क प्रभारों, रोमिंग प्रभार, जो पात्र/हकदार सेवा प्रदाओं पर चला जाता है और बिक्री कर सेवा कर जो राज्य/केंद्र सरकार को इसके कुल राजस्व के आंकड़े जैसे कि यह कंपनी के लेखापरीक्षित खातों में परिलक्षित होता है जैसे अनुमेय कटौती के बाद समायोजित सकल राजस्व का 8 प्रतिशत लगाया जाता है।

कैपटिव यूज और कैपटिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस लाइसेंस के लिए टेलीकॉम नेटवर्क लाइसेंस, यह लाइसेंस शुल्क निर्धारित दरों पर लगाया जाता है जो टर्मिनलों, चैनलों तथा/या नेटवर्क पूंजी लागत पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त नए ऑपरेटरों से एकबारगी प्रवेश शुल्क का संग्रहण भी किया जाता है।

सेवाओं की प्रमुख श्रेणियों में (i) बुनियादी सेवा (ii) सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (iii) यूनिफाइड एक्सेस सेवा (iv) यूनिफाइड लाइसेंस (v) इंटरनेशनल लोंग डिस्टेंस (vi) नेशनल लोंग डिस्टेंस (vii) इंटरनेट सेवा प्रदाता (viii) वाणिज्यिक सीयूजी वीएसएटी लाइसेंस (ix) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेज (x) कैपटिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेज (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनर्बिक्री शामिल हैं।

टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशतांक हिस्से पर आधारित लाइसेंस शुल्क का संग्रहण किया जाता है, जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस लेवी का घटक शामिल है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण लाइसेंस शुल्क की दर, टैरिफ और देश में टेलीकॉम सेवा सेक्टर के विकास पर निर्भर करता है।

यह विभाग बेतार उपकरणों को रखने के लिए भी लाइसेंस शुल्क का संग्रहण करता है और विभिन्न कंपनियों से रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग हेतु रॉयल्टी का भी संग्रहण करता है। सेवा प्रदाताओं से वसूले गए प्रभार को सामान्यता स्पेक्ट्रम प्रभार कहा जाता है और इसका परिकलन या तो उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में किया जाता है या उनके नेटवर्क हेतु दिए गए स्पेक्ट्रम की मात्रा पर निर्भर करता है या एकसमान दर अथवा फार्मूला के आधार पर किया जाता है।

विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम उपयोग का प्रभार टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (मोबाइल वाणिज्यिक वी-सेट आदि) से स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए लगाया जाता है और उनके नेटवर्क के लिए दी गई मात्रा के आधार पर उनके सामायोजित सकल राजस्व के प्रतिशतांक के रूप में परिकलित किया जाता है।

6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बधित हैं।

6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान: अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" की प्राप्तियां मुख्यत: भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं: "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां है ।

6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व : प्राप्तियों में i) विविध प्राप्तियाँ ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अत: कर-भिन्न राजस्व पर इसका निवल प्रभाव शून्य है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व : (विधान मण्डलों रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यत: प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की बिक्री, चण्डीगढ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन पर्यटन तथा विद्युत आदि से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हैं।

पूंजी प्राप्तियां

(₹ करोड़)

पूंजी प्राप्तियां		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
ऋण भिन्न प्राप्तियां						
1.	***ऋण और अग्रिमों की वसूलियां***					
1.01.	राज्य सरकारें					
1.01.01.	सकल प्राप्तियां	7601	17491.18	8990.94	9005.48	8196.19
1.01.02.	वसूलियां	7601	...	-100.00	-100.00	-100.00
निवल-राज्य सरकारें			*17491.18*	*8890.94*	*8905.48*	*8096.19*
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	7602	77.49	100.00	100.00	100.00
1.03.	विदेशी सरकारें	7605	437.82	348.29	252.68	244.16
1.04.	अन्य ऋण तथा अर्थोपाय अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)					
1.04.01.	सकल प्राप्तियां	9001	6941.61	15226.79	24391.85	39709.66
1.04.02.	वसूलियां	9001	-211.51	-10275.02	-10150.02	-25150.01
निवल-अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)			*6730.10*	*4951.77*	*14241.83*	*14559.65*
निवल-ऋण और अग्रिमों की वसूलियां			*24736.59*	*14291.00*	*23499.99*	*23000.00*
2.	***विविध पूंजी प्राप्तियां***					
2.01.	विनिवेश प्राप्तियां	4000	13627.22	65000.00	50000.00	51000.00
2.03.	अन्य	4000	1011.00	...	10000.00	10000.00
जोड़-विविध पूंजी प्राप्तियां			*14638.22*	*65000.00*	*60000.00*	*61000.00*
3.	***भारत की आकस्मिकता निधि***					
3.01.	प्राप्तियां	8000	29500.00	...	...	...
3.02.	अंतरण के एवज में घटाया गया	8000	-29500.00	...	...	...
निवल-भारत की आकस्मिकता निधि			...	...	...	...
जोड़-ऋण भिन्न प्राप्तियां			**39374.81**	**79291.00**	**83499.99**	**84000.00**
ऋण प्राप्तियां						
4.	*उधार*					
4.01.	बाजार ऋण					
4.01.01.	सकल उधार	6001	968381.54	1495000.00	1421000.00	1543000.00
4.01.02.	चुकौती	6001	-264284.41	-376387.56	-312816.72	-362088.78*
निवल-बाजार ऋण			*704097.13*	*1118612.44*	*1108183.28*	*1180911.22*
4.02.	प्रतिभूतियों का अंतरण					
4.02.01.	सकल उधार	6001	196894.08	100000.00	103065.75	100000.00
4.02.02.	चुकौती	6001	-168461.69	-100000.00	-105489.60	-100000.00
निवल-प्रतिभूतियों का अंतरण			*28432.39*	...	*-2423.85*	...
4.03.	जीएसटी की उपकर की कमी को पूरा करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को निरंतर ऋण प्रदान करने के लिए उधार					
4.03.01.	सकल उधार	6001	159000.00	...	...	...
4.03.02.	कम प्राप्तियों को घटाएं	6001	-159000.00	...	...	...
निवल-जीएसटी की उपकर की कमी को पूरा करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को निरंतर ऋण प्रदान करने के लिए उधार			...	...	...	...
4.04.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूति जारी करना					
4.04.01.	प्रतिभूतियों को जारी करना	6001	4600.00	0.01	...	0.01
4.04.02.	कम प्राप्तियों को घटाएं	6001	...	-0.01	...	-0.01
निवल-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूति जारी करना			*4600.00*	...	...	...
4.05.	डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)					
4.05.01.	प्राप्तियां	6001	7000.00	...	...	...
4.05.02.	पुनर्अदायगी	6001	-7000.00	-9893.68	-9893.68	...

* *जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि को ₹78,104 करोड़ की निवल वसूली।*

(₹ करोड़)

पूंजी प्राप्तियां		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
निवल-डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)			...	*-9893.68*	*-9893.68*	...
4.06.	अल्पकालिक उधार					
4.06.01.	14 दिवसीय राजकोषीय बिल					
4.06.01.01.	सकल उधार	6001	4432508.14	4069412.19	4944354.64	5834338.47
4.06.01.02.	चुकौती	6001	-4421317.88	-4069412.19	-4944354.64	-5834338.47
निवल			*11190.26*	...	...	...
4.06.02.	91 दिवसीय राजकोषीय बिल					
4.06.02.01.	सकल उधार	6001	847904.18	821251.38	744178.26	724661.48
4.06.02.02.	पुनर्अदायगी	6001	-802464.83	-843270.56	-739748.84	-711661.48
निवल			*45439.35*	*-22019.18*	*4429.42*	*13000.00*
4.06.03.	182 दिवसीय राजकोषीय बिल					
4.06.03.01.	सकल उधार	6001	465678.81	504945.48	559192.59	586029.26
4.06.03.02.	पुनर्अदायगी	6001	-394426.49	-468945.48	-496815.33	-562557.95
निवल			*71252.32*	*36000.00*	*62377.26*	*23471.31*
4.06.04.	364 दिवसीय राजकोषीय बिल					
4.06.04.01.	सकल उधार	6001	407796.43	435918.38	440989.75	457518.44
4.06.04.02.	पुनर्अदायगी	6001	-458240.00	-399899.20	-407796.43	-443989.75
निवल			*-50443.57*	*36019.18*	*33193.32*	*13528.69*
4.06.05.	नकद प्रबंधन बिल					
4.06.05.01.	कुल उधार	6001	...	100000.00	...	100000.00
4.06.05.02.	पुनर्अदायगी	6001	...	-100000.00	...	-100000.00
निवल			...	...	...	...
4.06.06.	अर्थोपाय अग्रिम					
4.06.06.01.	सकल उधार	6001	...	500000.00	57596.00	500000.00
4.06.06.02.	पुनर्अदायगी	6001	...	-500000.00	-57596.00	-500000.00
निवल			...	...	...	...
निवल-अल्पकालिक उधार			*77438.36*	*50000.00*	*100000.00*	*50000.00*
निवल-उधार			*814567.88*	*1158718.76*	*1195865.75*	*1230911.22*
5.	***लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां***					
5.01.	प्राप्तियां	6001	638017.49	566958.67	576598.95	648267.70
5.02.	पुनर्अदायगी	6001	-86748.54	-141509.67	-137679.95	-176950.70
निवल-लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां			*551268.95*	*425449.00*	*438919.00*	*471317.00*
6.	***राज्य भविष्य निधियां***					
6.01.	प्राप्तियां	8009	70347.50	70000.00	70000.00	75000.00
6.02.	संवितरण	8009	-60030.84	-50000.00	-50000.00	-55000.00
निवल-राज्य भविष्य निधियां			*10316.66*	*20000.00*	*20000.00*	*20000.00*
7.	***अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)***					
7.01.	राहत बांड					
7.01.01.	प्राप्तियां	6001	...	...	...	...
7.01.02.	संवितरण	6001	-0.45	...	-52.15	...
निवल-राहत बांड			*-0.45*	...	*-52.15*	...
7.02.	बचत बांड					
7.02.01.	प्राप्तियां	6001	15919.97	15741.00	20383.00	18447.00
7.02.02.	संवितरण	6001	-3181.72	-16893.61	-14731.44	-23563.49
निवल-बचत बांड			*12738.25*	*-1152.61*	*5651.56*	*-5116.49*
7.03.	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम					
7.03.01.	प्राप्तियां	6001	12991.00	16141.86	12000.00	11200.00
7.03.02.	संवितरण	6001	-182.81	-300.00	-300.00	-1500.00

(₹ करोड़)

पूंजी प्राप्तियां		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
निवल-सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम			*12808.19*	*15841.86*	*11700.00*	*9700.00*
7.04.	गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम					
7.04.01.	प्राप्तियां	6001	1409.05	2000.00	900.00	1000.00
7.04.02.	संवितरण	6001	-19.36	-270.00	-170.00	-187.00
निवल-गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम			*1389.69*	*1730.00*	*730.00*	*813.00*
7.05.	अन्य प्राप्तियां (सरकारी भविष्य निधियों को छोड़कर लोक खाता)					
7.05.01.	प्राप्तियां	9002	3167104.29	2553612.85	2604388.69	2575463.46
7.05.02.	संवितरण	9002	-3021121.24	-2525331.89	-2534832.32	-2518747.26
7.05.03.	कम प्राप्तियों को घटाएं	9002	...	...	...	...
निवल-अन्य प्राप्तियां (सरकारी भविष्य निधियों को छोड़कर लोक खाता)			*145983.05*	*28280.96*	*69556.37*	*56716.20*
7.06.	अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं					
7.06.01.	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष					
7.06.01.01.	प्राप्तियां	6001	3758.00	1000.01	...	1000.01
7.06.01.02.	पुनर्अदायगी	6001	-2714.27	-7000.00	-7000.00	-7000.00
7.06.01.03.	कम प्राप्तियों को घटाएं	6001	-4270.05	-1593.53	-505.71	-1587.48
निवल			*-3226.32*	*-7593.52*	*-7505.71*	*-7587.47*
7.06.02.	अंतरराष्ट्रीय विकास संघ					
7.06.02.01.	प्राप्तियां	6001	500.00	500.00	500.00	582.67
7.06.02.02.	पुनर्अदायगी	6001	-465.30	-480.36	-490.23	-661.39
निवल			*34.70*	*19.64*	*9.77*	*-78.72*
7.06.03.	एशियाई विकास बैंक और निधि					
7.06.03.01.	प्राप्तियां	6001	89.15	89.20	...	...
7.06.03.02.	पुनर्अदायगी	6001	-144.69	-161.02	-160.17	-160.17
निवल			*-55.54*	*-71.82*	*-160.17*	*-160.17*
7.06.04.	अफ्रीकी विकास बैंक और निधि					
7.06.04.01.	प्राप्तियां	6001	39.24	4.32	5.71	4.80
7.06.04.02.	पुनर्अदायगी	6001	-33.72	-33.53	-33.53	-33.53
निवल			*5.52*	*-29.21*	*-27.82*	*-28.73*
निवल-अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं			*-3241.64*	*-7674.91*	*-7683.93*	*-7855.09*
निवल-अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)			*169677.09*	*37025.30*	*79901.85*	*54257.62*
8.	***विदेशी ऋण***					
8.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.	अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक					
8.01.01.01.	प्राप्तियां	6002	19306.38	15471.67	16556.69	17252.87
8.01.01.02.	पुनर्अदायगी	6002	-7468.03	-7323.60	-7830.70	-8671.50
निवल			*11838.35*	*8148.07*	*8725.99*	*8581.37*
8.01.02.	अंतरराष्ट्रीय विकास संघ					
8.01.02.01.	प्राप्तियां	6002	5803.92	2214.10	2550.95	880.08
8.01.02.02.	पुनर्अदायगी	6002	-11336.92	-14890.90	-15034.50	-16468.10
निवल			*-5533.00*	*-12676.80*	*-12483.55*	*-15588.02*
8.01.03.	अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
8.01.03.01.	प्राप्तियां	6002	349.23	390.37	204.56	278.96
8.01.03.02.	पुनर्अदायगी	6002	-176.43	-226.10	-207.90	-260.40
निवल			*172.80*	*164.27*	*-3.34*	*18.56*
8.01.04.	एशियाई विकास बैंक					
8.01.04.01.	प्राप्तियां	6002	21502.01	14290.74	20410.19	18978.58
8.01.04.02.	पुनर्अदायगी	6002	-6992.56	-6982.80	-7354.10	-9344.00
निवल			*14509.45*	*7307.94*	*13056.09*	*9634.58*

(₹ करोड़)

पूंजी प्राप्तियां		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
8.01.05.	पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी)					
8.01.05.01.	प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
8.01.05.02.	पुनर्अदायगी	6002	-9.81	-9.80	-8.60	-8.10
निवल			*-9.81*	*-9.80*	*-8.60*	*-8.10*
8.01.06.	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन					
8.01.06.01.	प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
8.01.06.02.	पुनर्अदायगी	6002	-16.48	-16.30	-17.70	-17.90
निवल			*-16.48*	*-16.30*	*-17.70*	*-17.90*
8.01.07.	न्यू डेवलपमेंट बैंक					
8.01.07.01.	प्राप्तियां	6002	2577.58	7149.20	6161.61	5780.63
8.01.07.02.	पुनर्अदायगी	6002	-76.79	-325.30	-297.80	-326.40
निवल			*2500.79*	*6823.90*	*5863.81*	*5454.23*
8.01.08.	एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी)					
8.01.08.01.	प्राप्तियां	6002	7863.59	5337.05	7094.82	11086.13
8.01.08.02.	पुनर्अदायगी	6002	...	-232.40	-207.00	-574.30
निवल			*7863.59*	*5104.65*	*6887.82*	*10511.83*
निवल-बहुपक्षीय			*31325.69*	*14845.93*	*22020.52*	*18586.55*
8.02.	द्विपक्षीय					
8.02.01.	जर्मनी					
8.02.01.01.	प्राप्तियां	6002	1209.59	2089.37	1743.09	2620.99
8.02.01.02.	पुनर्अदायगी	6002	-1896.46	-2012.80	-1724.30	-2082.20
निवल			*-686.87*	*76.57*	*18.79*	*538.79*
8.02.02.	फ्रांस					
8.02.02.01.	प्राप्तियां	6002	458.53	895.82	666.59	970.70
8.02.02.02.	पुनर्अदायगी	6002	-477.87	-599.30	-491.00	-521.90
निवल			*-19.34*	*296.52*	*175.59*	*448.80*
8.02.04.	जापान					
8.02.04.01.	प्राप्तियां	6002	21458.02	24336.95	22667.65	18598.19
8.02.04.02.	पुनर्अदायगी	6002	-6305.06	-7266.30	-5983.30	-6642.90
निवल			*15152.96*	*17070.65*	*16684.35*	*11955.29*
8.02.06.	संयुक्त राज्य अमेरिका					
8.02.06.01.	प्राप्तियां	6002	686.90	...	...	...
8.02.06.02.	पुनर्अदायगी	6002	-94.69	-92.50	-100.60	-95.70
निवल			*592.21*	*-92.50*	*-100.60*	*-95.70*
8.02.07.	रूसी परिसंघ					
8.02.07.01.	प्राप्तियां	6002	4318.01	6051.76	2075.18	4464.69
8.02.07.02.	पुनर्अदायगी	6002	-853.62	-478.90	-476.80	-443.80
निवल			*3464.39*	*5572.86*	*1598.38*	*4020.89*
8.02.08.	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)					
8.02.08.01.	प्राप्तियां	6002	1130.81	2015.00	3794.48	4030.30
8.02.08.02.	पुनर्अदायगी	6002	-77.51	-153.30	-148.60	-198.80
निवल			*1053.30*	*1861.70*	*3645.88*	*3831.50*
निवल-द्विपक्षीय			*19556.65*	*24785.80*	*22022.39*	*20699.57*
8.03.	राज्यों की परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता के संदर्भ में व्यय घटाया गया	6002	-14735.14	-20380.58	-20168.60	-17168.60
निवल-विदेशी ऋण			*36147.20*	*19251.15*	*23874.31*	*22117.52*
9.	***नकद शेष का आहरण***					
9.01.	प्राप्तियां	9003	4946.60	-169240.51	2403.90	5645.23
9.02.	संवितरण	9003	-2403.90	169992.25	-5645.23	-17432.09

(₹ करोड़)

पूंजी प्राप्तियां	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
जोड़-ऋण प्राप्तियां		**1581977.78**	**1660444.21**	**1758560.91**	**1798603.36**
निवल-नकद शेष का आहरण		*2542.70*	*751.74*	*-3241.33*	*-11786.86*
कुल जोड़		***1623895.29***	***1740486.95***	***1838819.57***	***1870816.50***

1.01. **राज्य सरकारें** : ये वसूलियां राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में हैं।

1.02. **संघ राज्य क्षेत्रों (विधायी मंडल सहित)**: ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिए गए अग्रिम ऋणों के संबंध में हैं।

2. **विविध पूंजी प्राप्तियां**: इनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के कुछ भाग के विनिवेश के कारण प्राप्तियां, रणनीतिक विनिवेश से प्राप्तियां और इसी प्रकार के अन्य लेन-देन शामिल हैं। सरकार ने "राष्ट्रीय निवेश कोष" (एनआईएफ) नाम से एक कोष स्थापित किया है जिसमें चुनिंदा सीपीएसईएस में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से मिलने वाले आगमों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार एनआईएफ में जमा इन निधियों को आहरित किया जाएगा और वर्ष 2023-24 में पूंजी व्यय के संबंध में इनका उपयोग अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों और भारतीय रेलवे में निवेश संबंधी व्यय के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा।

4.1. **बाजार ऋण**: भारत सरकार वर्ष 1992-93 से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत अपने बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ने फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) भी जारी किए हैं जिनपर अर्ध-वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर अर्ध-वार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्ष 2002-03 से, केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक निर्देशात्मक बाजार उधार कैलेन्डर की घोषणा करती रही है। वर्ष 2023-24 में अदायगियों का ब्यौरा भाग ख के विवरण 6 विशेष प्रतिभूतियों/पुनःपूंजीकरण बॉण्ड का रूपांतरण में दिया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय बिलों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रूपांतरण पूरा कर लिया है। रुपांतरित कर जारी की गई विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे भाग ख के विवरण 2 में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पुनःपूंजीकरण बॉण्डों को एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा कर लिया है (भाग-ख के 2क में ब्यौरा देखें)।

4.6. **अल्पावधिक उधार**: ये राजकोषीय बिल वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधिक निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पर्द्धी बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय बिलों की साप्ताहिक नीलामी निर्देशात्मक त्रैमासिक कलैन्डर में निर्दिष्ट की जाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा अल्पावधिक के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय बिल भी जारी करती है।

5. **लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां**: लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत सावधिक जमा (1, 2, 3 तथा 5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत मासिक आय स्कीम खाता, वरिष्ठक नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर समान परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति दरों के, कतिपय लघु बचत स्कीमों के स्प्रेड के साथ, समनुरूप कर दी गई है। राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत मासिक आय स्कीम खाता, 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र , लोक भविष्य निधि 25 बीपीएस, सुकन्या समृद्धि खाता 75 बीपीएस तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 100 बीपीएस समतुल्य परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति दर पर होगा। ब्याज दरें त्रैमासिक आधार पर अधिसूचित की जाती हैं।

लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहित राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लिए निधियों का स्रोत बनते हैं। यह निवल संग्रहण केंद्रीय और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है जो एनएसएसएफ के अंतर्गत निधियों का अनुप्रयोग बनता है। वर्ष 2021-22 के लिए, केंद्रीय और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों की अवधि 10 वर्ष है और 7.3 प्रतिशत ब्याज दर पर कोई भुगतान स्थगन काल नहीं है। इन प्रतिभूतियों की उन्मोचन राशि को ब्याज की विद्यमान दरों पर 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश किया जाता है।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, दिनांक 01.04.2022 तक दिल्ली, मध्य प्रदेश और केरल को छोड़कर सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडलों ने एनएसएसएफ संचालित न करने के विकल्प दिए हैं। ये सभी तीन अपने संबंधित क्षेत्रों के भीतर जुटाए गए शुद्ध संग्रह का 50% ऋण प्राप्त कर रहे हैं।

एनएसएसएफ के अंतर्गत संगृहीत निवल राशि का निवेश विभिन्न सार्वजनिक अभिकरणों जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एयर इण्डिया आदि में भी किया जा रहा है। लघु बचत योजनाओं के अभिदाताओं को ब्याज के भुगतान और प्रबंधन लागत में केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर निधि के ब्याज तथा निधि की आय से सरकारी एजेंसियों को ऋण अग्रिम शामिल है। एनएसएसएफ के साधन स्रोत तथा अनुप्रयोग अनुबंध 8 में दिए गए हैं और एनएसएसएफ के विविध घटकों का ब्यौरा भाग-ख के विवरण 3 में दिया गया है।

7.2. बचत बांड : जुलाई, 2020 में 07 वर्ष की सीमा के साथ फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, 2020 (कराधान योग्य) नागरिकों/एचयूएफ को बिना किसी मौद्रिक सीमा के अपनी बचतों में निवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था। बांडों पर ब्याज 01 जनवरी और 01 जुलाई को प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान योग्य है जिसमें प्रत्येक 06 महीने में रिसेटिंगक्लोज होता है जो मौजूदा एनएससी दर प्लस 35 बीपीएस के साथ जुड़ा होता है। पहला रिसेट 01 जनवरी, 2021 को किया गया था। संचयी आधार पर ब्याज अदायगी का कोई विकल्प नहीं है। बांड धारकों की मृत्यु हो जाने पर यह बांड उनके द्वारा नामित व्यक्तियों/कानूनी तौर पर उनके उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त कहीं और अंतरित नहीं होता। इनका द्वित्तीय बाजार में व्यापार भी नहीं होता। व्यक्तिगत निवेशकर्ता हेतु जारी करने की तिथि से न्यूनतम लॉक-इन अवधि के पश्चात 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु सीमा में परिपक्वतापूर्ण इनकैशमेंट की अनुमति है।

7.6.01. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि: आईएमएफ में भारत का कोटा 2.75 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ 13,114.4 मिलियन एसडीआर है। आईएमएफ में कोटा धारिता के अर्थ में भारत का आठवां स्थान है। 2016 के आरंभ में 146वीं सामान्य कोटा समीक्षा के अनुसार कोटा वृद्धि के लिए भारत ने 7292.9 मिलियन एसडीआर प्रदान किया। इस वर्धित धारिता का रखरखाव भारतीय रुपए में किसी मूल्यवृद्धि-मूल्यह्रास के लिए मूल्य में किया जाता है। सभी सदस्यों के कोटा संसाधनों के अलावा, आईएमएफ गैर रियायती सदस्य को ऋण देने के प्रयोजन से संसाधन लाइन की दूसरी और तीसरी लाइन के रूप में उधार लेने के लिए नई व्यवस्थाएं और द्विपक्षीय उधार करारों को (बीबीए) करता है। एनएबी के प्रति भारतीय बचनबद्धता 4,440.9 मिलियन एसडीआर है, जिसमें से आज तक 34एनएबी का सक्रियान्वयन हुआ और भारत के पास शेष राशि 290.70 मिलियन एसडीआर है। बीबीए के संबंध में, भारत ने बीबीए 2016 को 10 बिलियन अमरीकी डालर देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

7.6.03. एशियाई विकास बैंक और कोष : एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक में रखता है जिन्हें यह भारत में अपने रुपया संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए समय-समय पर भुना सकता है।

8. विदेशी ऋण: बजट 2023-24 में ₹84,942 करोड़ की सकल प्राप्ति और ₹45,656 करोड़ की चुकौती को माना गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹39,286 करोड़ का निवल विदेशी ऋण होगा।

8.01. बहुपक्षीय: ब.अ. 2023-24 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी), पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, न्यू विकास बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एफआईआईबी) के संगठन से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹18,587 करोड़ रहने का अनुमान है।

8.01.03. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि: (क) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेंसी के रूप में 1977 में की गई थी। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन हेतु समर्पित है। 176 देश आईएफएडी के सदस्य हैं और इन्हें तीन वर्गों के देशों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें सूची क. विकसित देश, सूची ख. तेल उत्पादक देश और सूची ग. विकासशील देश। भारत सूची ग. में है।

(ख) भारत अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि का एक संस्थापक सदस्य है और इसने आईएफएडी संसाधनों के लिए अब तक 171 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है।

(ग) भारत ने 11वें पुन:पूर्ति चक्र के लिए निकाय योगदान के रूप में 40 मिलियन अमरीकी डालर की राशि देने का वचन दिया है। इसके अलावा, भारत ने रियायती भागीदार ऋण (सीपीएल) (5 वर्षों की छूट अवधि के साथ 25 वर्षों की अवधि तक 1 प्रतिशत ब्याज दर पर) के रूप में 20 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि का वचन दिया है। आईएफएडी ने इसकी शुरूआत प्रथम बार की है।

(घ) भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य है। भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड के सहायक निकायों अर्थात एवेल्युएशन कमिटी एण्ड वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रांजिशनल फ्रेमवर्क का सदस्य भी है।

(ङ.) वर्ष 1979 से, आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में 30 परियोजनाओं को 1100 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) की वचनबद्धता के साथ सहायता प्रदान की है।

(च) मौजूदा निष्पादन आधार आबंटन प्रणाली (पीबीएएस) चक्र, अर्थात 2019-21 के लिए, भारत के विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों की ओर से मांग की गई है। हाल ही में, भारत ने अवधि 2018-24 के लिए भारत हेतु राष्ट्र रणनीतिक अवसर कार्यक्रम (सीओएसओपी) को भी अनुमोदित कर दिया है। वर्तमान सीओएसओपी में दो पीबीएएस चक्रः 2019-21 और 2022-24 शामिल होंगे।

(छ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भारत में लघु धारक खेती करने वाले परिवारों को सशक्त बनाने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कृषि प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाने नामक परियोजना के प्रस्ताव को 19 नवम्बर, 2018 को 420 करोड़ रुपए (लगभग 60 मिलियन अमरीकी डालर) की सहायता के लिए आईएफएडी से अनुरोध किया है।

(ज) 1 जनवरी, 2018 से भारत साधारण शर्तों पर ऋणों का पात्र है। साधारण शर्तों पर प्रदत्त आईएफएडी ऋणों की ब्याज दर आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अर्धवार्षिक रूप से निर्धारित परिवर्तनीय संदर्भ दर के एक सौ प्रतिशत (100 प्रतिशत) के समतुल्य प्रतिवर्ष होगी, और इसकी परिपक्वता अवधि 15-18 वर्ष होगी जिसमें इसमें 3 वर्ष की छूट अवधि शामिल है, जिसकी शुरूआत विनिर्दिष्टि संवितरण शर्तों को पूरा करने की तिथि से होगी।

(झ) वर्ष 2013 से 2017 तक, आईएफएडी ने भारत को 1.25 प्रतिशत प्लस 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार प्रति वर्ष की नियत ब्याज दर पर नरम शर्तों पर ऋण प्रदान किया था, जिसकी परिपक्वता अवधि 25 वर्ष थी, इसमें 5 वर्षों की छूट अवधि शामिल थी। भारत ने मेघा-लैम्प और आंध्र प्रदेश सूखा उपशमन परियोजना (एपीडीएमपी) पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, वर्ष 2013 तक हस्ताक्षरित परियोजनाओं के संबंध में आईएफएडी ऋणों को चुकाने की अवधि 10 वर्षों की छूट अवधि सहित 40 वर्ष है और इस पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं होगा। तथापि, बकाया ऋण राशियों पर 1 प्रतिशत की 3/4 दर (0.75 प्रतिशत) प्रतिवर्ष दर पर सेवा प्रभार लगाया जाता है।

8.02. **द्विपक्षीय** : ब.अ. 2023-24 में जर्मनी, फ्रांस, जापान, रूसी संघ और यूरोपियन निवेश बैंक (ईआईबी) से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹ 20,700 करोड़ रहने का अनुमान है।

अनुबंध - 1

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2013-2014	वास्तविक 2014-2015	वास्तविक 2015-2016	वास्तविक 2016-2017	वास्तविक 2017-18	वास्तविक 2018-19	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2020-21	संशोधित 2021-22	बजट 2022-23
राजस्व प्राप्तियां	**1101473**	**1195025**	**1374203**	**1435232**	**1552915**	**1684059**	**1633919.46**	**2169906**	**2348413**	**2632281**
क. कर राजस्व										
(राज्यों का निवल हिस्सा)										
(अनुबंध 2 में ब्यौरा)	903615	943765	1101372	1242488	1317211	1356902	1426287	1804794	2086662	2330631
ख. कर-भिन्न राजस्व										
(अनुबंध 2 में ब्यौरा)	197858	251260	272831	192744	235704	327157	207632	365112	261751	301650
पूंजी प्राप्तियां	**484449**	**582579**	**609866**	**702649**	**763518**	**997301**	**1992149**	**1775753**	**1842061**	**1804499**
1. आंतरिक ऋण-बाजार उधार (निवल)	***445138***	***404050***	***349657***	***410256***	***423267***	***473986***	***1146741***	***891530***	***1105759***	***1102807***
1.01 सकल बाजार उधार	**629374**	**623300**	**624670**	**647158**	**599590**	**874822**	**1527366**	**1324276**	**1524066**	**1643000**
क. सामान्य/नवीन	592000	585000	582000	588000	571000	710000	1260116	968382	1421000	1543000
ख. स्विचिंग	37374	38300	41625	59158	28590	164822	157042	196894	103066	100000
ग. जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर में कमी रहने कारण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निरंतर ऋण प्रदान करने के लिए ली गयी उधारी	...	...	...	...	...	...	110208	159000	...	...
घ. अन्य	...	...	1045	...	...	...	...	...	...	...
1.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	**184236**	**219250**	**275013**	**236902**	**176324**	**400835**	**380626**	**432746**	**418306**	**540193**
क. सामान्य/अनुसूची	138925	144375	174846	137272	148265	236032	227208	264335	312817	440193
ख. स्विचिंग	39028	37349	40510	58075	28059	164803	153418	168411	105490	100000
ग. वापस खरीद	6283	37526	59657	41555	...	...	...	...	...	...
घ. अन्य	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. विदेशी सहायता (निवल)	***12933***	***12748***	***17996***	***7931***	***5519***	***8682***	***70180***	***36147***	***23874***	***22118***
2.01 सकल विदेशी उधार	33534	36054	44191	48517	50609	63180	123938	86665	83926	84942
2.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	20601	23306	26195	26685	30739	33891	34715	35782	39883	45656
2.03 निवलित व्यय	...	...	...	13901	14351	20607	19042	14735	20169	17169
3. अल्पकालिक ऋण	***9179***	***50693***	***5550***	***44949***	***6897***	***150103***	***203205***	***77438***	***100000***	***50000***
4. पीओएलआईएफ(नेट) के अंतर्गत बची राशि की प्रतिभूति के एवज में जारी विशेष प्रतिभूति	***...***	***...***	***...***	***...***	***...***	***...***	***...***	***...***	***-9894***	***...***
4.01 प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	4000	7000	...	...
4.02 घटाइये-अदायगी	...	...	...	...	...	...	4000	7000	9894	...
5. ऋण की वसूली*	***13738***	***20835***	***17630***	***15633***	***18052***	***18316***	***19729***	***24732***	***23500***	***23000***
6. अल्प बचतें (निवल)	***32226***	***52465***	***67435***	***102628***	***125000***	***240000***	***483733***	***551269***	***438919***	***471317***
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	***11920***	***11858***	***17745***	***15799***	***16059***	***11635***	***18514***	***10317***	***20000***	***20000***
8. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी का विनिवेश	***37737***	***42132***	***47723***	***100045***	***94727***	***50304***	***37897***	***14638***	***60000***	***61000***
9. पूंजी प्राप्तियों की अन्य मदें (निवल)#	***-78422***	***-12202***	***86130***	***5407***	***73997***	***44273***	***12151***	***169677***	***79902***	***54258***
जोड़-प्राप्तियां	**1585922**	**1777604**	**1984069**	**2137881**	**2316433**	**2681360**	**3626068**	**3945659**	**4190474**	**4436780**
राजस्व लेखे पर घाटा	**365519**	**342736**	**316381**	**443602**	**454484**	**666545**	**1449599**	**1031767**	**1111052**	**870443**
प्राथमिक घाटा	**108281**	**91133**	**54904**	**62112**	**66770**	**321580**	**1138423**	**779021**	**814669**	**706845**
बजट घाटा⁺/नकद का कम आहरण	*77844*	*13170*	*-8895*	*4092*	*1321*	*4970*	*-7188*	*2543*	*-3241*	*-11787*
राजकोषीय घाटा	*510725*	*532792*	*535618*	*591064*	*649418*	*933651*	*1818291*	*1584520*	*1755319*	*1786816*
** अर्थोपाय अग्रिमों की वसूली घटाकर*										
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	10000	20000	23000	50000	12000	...	10000	...	10000	25000
# इसमें ये प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं	276	242	202	201	95	275	104	94	150	150
(क) पूंजी व्यय से प्रतिकंट्रा ओमिटेड आईएमएफ जारी	4619	52714	2181	543	9793	1020	8936	4270	506	1587
(ख) जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले राज्यों को ऋण	...	...	...	...	...	...	110208	159000	...	...
(ग) भारत के आकस्मिकता निधि के धन को बढ़ावा देना	...	...	...	...	...	...	...	29500	...	...
(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रतिभूतियां	...	...	...	80000	106000	65443	20000	...	...	...
(ङ) सरकार के नियंत्रण से आने वाले अन्य बैंकिंग निकायों की रिकैपिटलाइजेशन बाण्ड का जारी किया जाना	...	...	...	...	4500	10405	...	...	...	...
(च) आईडीबीआई की भारग्रस्त आस्तियों की वसूली	105	100	140	120	110	225	90	118	...	...

अनुबंध - 2

अनुबंध - 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2014-15	वास्तविक 2015-16	वास्तविक 2016-17	वास्तविक 2017-18	वास्तविक 2018-19	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2020-21	वास्तविक 2021-22	संशोधित 2022-23	बजट 2023-24
क. कर राजस्व										
सकल कर राजस्व	**1244886**	**1455648**	**1715822**	**1919008**	**2080465**	**2010059**	**2027104**	**2709316**	**3043067**	**3360858**
1. निगम कर	428925	453228	484924	571202	663572	556876	457719	712037	835000	922675
2. निगम कर से भिन्न आय पर कर	258326	287628	349436	419880	472983	492593	487139	696238	815000	900575
3. ब्याज कर	6	5	5	4	3	2	3	4	...	...
4. आय और व्यय पर अन्य कर	11	4	15163	10888	16	59	5	2	...	...
5. सीमा-शुल्क	188016	210338	225370	129030	117813	109282	134750	199728	210000	233100
6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क	188128	288073	381756	258834	231045	239452	389667	390808	320000	339000
7. सेवा कर	167969	211414	254499	81228	6904	6029	1615	1012	1000	500
8. सम्पदा शुल्क	...	1	1	1	1	2	1	2	...	...
9. धन कर	1086	1079	184	62	40	18	11	11	...	...
10. उपहार कर	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. माल एवं सेवा कर	...	...	...	442561	581559	598749	548777	698114	854000	956600
12. अन्य कर और शुल्क	9215	...	338	597	937	1162	2081	3836	...	...
13. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	3204	3878	4146	4721	5592	5835	5336	7524	8067	8408
14.घटाइए—राज्यों का हिस्सा	337808	506193	608000	673005	761454	650677	594997	898392	948405	1021448
15.घटाइए —एनसीसीएफ/एनडीआरएफ व्यय प्राप्तियों से घटाकर	3461	5690	6450	3515	1800	2480	5820	6130	8000	8780
निवल-केन्द्र का कर राजस्व	**903617**	**943765**	**1101372**	**1242488**	**1317211**	**1356902**	**1426287**	**1804794**	**2086662**	**2330630**
1. राजकोषीय सेवाएं	1394	630	765	460	744	1041	1169	193	1309	1431
2. *ब्याज प्राप्तियां*	**23804**	**25379**	**16229**	**13574**	**12145**	**12349**	**17113**	**21874**	**24639**	**24820**
2.01 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज प्राप्तियां	8367	7859	7608	7358	7403	7696	6317	6552	10195	9846
2.02 रेलवे पूंजी पर ब्याज प्राप्तियां	9148	10145	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03 ब्याज प्राप्तियां अन्य ब्याज प्राप्तियां	6289	7375	8621	6216	4742	4653	10796	15322	14444	14974
3. लाभांश और लाभ	89833	112127	123017	91361	113421	186133	96878	160647	83953	91000
4. अन्य सामान्य सेवाएं	13472	14373	16091	17565	19542	20308	14072	39788	23213	24313
5. सामाजिक सेवाएं	1675	4331	11928	2944	2998	3404	3790	4761	4019	3961
6. आर्थिक सेवाएं	64718	91001	101697	61369	83902	101787	71260	134798	119802	151677
7. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	1362	1538	1804	1890	1890	1762	1598	1745	2236	2313
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	1600	1881	1300	3582	1063	373	1752	1306	2580	2135
जोड़-कर-भिन्न राजस्व**	**197858**	**251260**	**272831**	**192745**	**235705**	**327157**	**207632**	**365112**	**261751**	**301650**
जोड़-राजस्व प्राप्तियां	**1101475**	**1195025**	**1374203**	**1435233**	**1552916**	**1684059**	**1633919**	**2169906**	**2348413**	**2632280**

** *वाणिज्यिक विभागों की* निम्नलिखित प्राप्तियों का निवल

(क) सामान्य सेवाएं	13502	21140	24561	24500	27781	19112	17069	21008	24732	24782
(ख) आर्थिक सेवाएं	177693	187477	184221	195506	208886	191397	156864	209141	261313	286134
जोड़	**191195**	**208617**	**208782**	**220006**	**236667**	**210509**	**173933**	**230149**	**286045**	**310916**

अनुबंध-*3*

वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022	बजट अनुमान 2022-2023	संशोधित अनुमान 2022-2023	बजट अनुमान 2023-2024
क. राजस्व प्राप्तियां				
वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाई गई राजस्व प्राप्तियां	2436421.48	2517456.48	2680371.22	2980000.78
घटाइए:				
रेलवे की राजस्व प्राप्तियां	-191367.01	-240000.00	-242892.77	-265000.00
डाक की राजस्व प्राप्तियां	-10860.80	-14725.87	-12230.41	-13439.38
रक्षा की राजस्व प्राप्तियां	-6396.93	-6669.81	-7410.31	-6840.11
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की राजस्व प्राप्तियां	-27921.34	-28881.42	-30921.80	-32476.12
जूलोजिकल पार्क में प्रवेश शुल्क से प्राप्तियां	-3.40	-5.00	-8.00	-10.00
ब्याज भुगतान	-22753.44	-15352.65	-29422.56	-20000.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान के लिए उक्त सरकार की प्राप्तियां	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण /राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान	-6130.00	-6400.00	-8000.00	-8780.00
बीएसएनएल/एमटीएनएल के गारंटी शुल्क को बट्टे खाते में डालना।	...	...	-72.58	-174.20
बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बकाया ऋणों/ब्याज को बट्टे खाते में डालना	-193.71	...	...	...
इंडिया ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डालना	-889.50	...	...	...
निवल राजस्व प्राप्तियां	**2169905.35**	**2204421.73**	**2348412.79**	**2632280.97**
ख. पूंजी प्राप्तियां				
भारत की संचित निधि की कुल प्राप्तियां (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां, अर्धोपाय अग्रिम तथा एमएसएस शामिल नहीं है)	3008325.65	3408206.98	3312311.57	3661242.02
कुल लोक लेखा प्राप्तियां	3237451.79	2623612.85	2674388.69	2650463.46
14/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां, अर्धोपाय अग्रिमों के माध्यम से अतिरिक्त वित्तपोषण	56629.61	-22019.18	4429.42	13000.00
भारत की आकस्मिक निधि	29500.00	...	...	...
कुल	**6331907.05**	**6009800.65**	**5991129.68**	**6324705.48**
घटाइए:				
कुल लोक ऋण संवितरण (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां, अर्धोपाय अग्रिमों की वापसी अदायगी तथा एमएसएस शामिल नही है)	-1421685.69	-1662384.41	-1533312.13	-1824348.76
कुल लोक लेखा संवितरण	-3081152.08	-2575331.89	-2584832.32	-2573747.26
निवल	**1829069.28**	**1772084.35**	**1872985.23**	**1926609.46**
एशियाई विकास निधि-13 को अंशदान	-89.15	-89.20	...	...
प्रतिभूतियां जारी करके एफडीएफ को योगदान	-35.07	...	...	...
प्रतिभूतियां जारी करके एफडीएफ के एमडीआरआई को योगदान	-4.17	-4.32	-5.71	-4.80
पूंजी प्रदान करने के लिए पीएसबी को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	...	-0.01	...	-0.01
उधार लेने की नई व्यवस्थाओं (एनएबी) के तहत प्राप्तियां	...	-0.01	-0.01	-0.01
आकस्मिक निधि के लिए भारत की समेकित निधि से प्राप्तियां	-29500.00	...	...	...
राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता की प्राप्तियां	-14735.14	-20380.58	-20168.60	-17168.60
जीएसटी प्रतिपूर्ति में कमी के स्थान पर राज्यों /संघ राज्य क्षेत्र को ऋण की प्राप्तियां	-159000.00	-0.01	-0.02	-0.02
सरकारी कर्मचारियों से ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	-93.51	-275.00	-150.00	-150.00
भारग्रस्त आस्तियों की स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियां	-118.00	-0.01	...	...
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को जारी प्रतिभूतियां	-500.00	-500.00	-500.00	-582.67
अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां	-3641.66	-1000.01	...	-1000.01
भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	...	-10000.00	-10000.00	-25000.00
राज्य सरकारों को जारी अर्थोपाय अग्रिम	...	-100.00	-100.00	-100.00
निवल पूंजी प्राप्तियां	**1621352.58**	**1739735.20**	**1842060.89**	**1882603.34**
कुल प्राप्तियाँ	**3791257.93**	**3944156.93**	**4190473.68**	**4514884.31**
कुल व्यय	**3793800.63**	**3944908.67**	**4187232.35**	**4503097.45**
नकद शेष में (एमएसएस को छोड़कर) वृद्धि(+)/कमी(-)	**-2542.70**	**-751.74**	**3241.33**	**11786.86**

अनुबन्ध-4

बजट अनुमान 2023-24 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केंद्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (4 से 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.047	13230.89	12871.86	-0.34	13366.77	1311.32	549.22	8.30	**41338.02**
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.757	5744.17	5588.30	-0.15	5803.17	569.31	238.44	3.60	**17946.84**
3.	असम	3.128	10226.39	9948.90	-0.27	10331.42	1013.54	424.50	6.41	**31950.89**
4.	बिहार	10.058	32882.69	31990.41	-0.85	33220.39	3259.03	1364.97	20.62	**102737.26**
5.	छत्तीसगढ़	3.407	11138.53	10836.28	-0.29	11252.92	1103.95	462.36	6.98	**34800.73**
6.	गोवा	0.386	1261.95	1227.71	-0.03	1274.91	125.07	52.38	0.79	**3942.78**
7.	गुजरात	3.478	11370.65	11062.10	-0.30	11487.43	1126.95	472.00	7.13	**35525.96**
9.	हरियाणा	1.093	3573.35	3476.39	-0.09	3610.05	354.16	148.33	2.24	**11164.43**
9.	हिमाचल प्रदेश	0.830	2713.53	2639.89	-0.07	2741.39	268.94	112.64	1.70	**8478.02**
10.	झारखंड	3.307	10811.60	10518.22	-0.28	10922.63	1071.55	448.79	6.78	**33779.29**
11.	कर्नाटक	3.647	11923.16	11599.62	-0.31	12045.61	1181.71	494.94	7.48	**37252.21**
12.	केरल	1.925	6293.42	6122.64	-0.16	6358.05	623.74	261.24	3.95	**19662.88**
13.	मध्य प्रदेश	7.850	25664.06	24967.66	-0.67	25927.63	2543.58	1065.32	16.09	**80183.67**
14.	महाराष्ट्र	6.317	20652.21	20091.81	-0.54	20864.31	2046.86	857.28	12.95	**64524.88**
15.	मणिपुर	0.716	2340.82	2277.31	-0.06	2364.86	232.00	97.17	1.47	**7313.57**
16.	मेघालय	0.767	2507.56	2439.52	-0.07	2533.31	248.53	104.09	1.57	**7834.51**
17.	मिजोरम	0.500	1634.65	1590.30	-0.04	1651.44	162.01	67.86	1.03	**5107.25**
18.	नागालैण्ड	0.569	1860.24	1809.76	-0.05	1879.34	184.37	77.22	1.17	**5812.05**
19.	ओडिशा	4.528	14803.42	14401.73	-0.38	14955.45	1467.18	614.50	9.28	**46251.18**
20.	पंजाब	1.807	5907.64	5747.33	-0.15	5968.31	585.51	245.23	3.70	**18457.57**
21.	राजस्थान	6.026	19700.85	19166.26	-0.51	19903.17	1952.56	817.79	12.35	**61552.47**
22.	सिक्किम	0.388	1268.49	1234.07	-0.03	1281.52	125.72	52.66	0.80	**3963.23**
23.	तमिलनाडु	4.079	13335.50	12973.64	-0.35	13472.46	1321.69	553.56	8.36	**41664.86**
24.	तेलंगाना	2.102	6872.08	6685.61	-0.18	6942.66	681.10	285.26	4.31	**21470.84**
25.	त्रिपुरा	0.708	2314.67	2251.86	-0.06	2338.44	229.41	96.08	1.45	**7231.85**
26.	उत्तर प्रदेश	17.939	58648.10	57056.67	-1.52	59250.41	5812.65	2434.50	36.78	**183237.59**
27.	उत्तराखंड	1.118	3655.09	3555.90	-0.10	3692.62	362.26	151.72	2.29	**11419.78**
28.	पश्चिम बंगाल	7.523	24595.00	23927.60	-0.64	24847.59	2437.63	1020.95	15.42	**76843.55**
		100.00	**326930.71**	**318059.35**	**-8.49**	**330288.26**	**32402.33**	**13571.00**	**205.00**	**1021448.16**

*ये आंकड़े अनंतिम हैं और संघ या राज्य सरकारों से किसी भी देय या वसूली योग्य बकायों को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन हो सकता है।*

***** *पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 41% निश्चित किया गया है।*

@ *आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।*

संशोधित अनुमान 2022-23 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केंद्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	सेवा कर (0044)	जोड़ (4 से 10)	2021-22 का अन्तर (वास्तविक सं.अ.) सं.अ. 2022-23 में समायोजनीय	2020-21 का समायोजन (सी एण्ड एजी प्रमाणित संख्याएं एवं अनंतिम वास्तविक)	कुल जोड़ (11 से 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.047	11970.93	11630.44	-0.36	11911.96	1021.75	511.06	16.85	37062.63	1149.03	-34.92	38176.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.757	5197.16	5049.34	-0.16	5171.56	443.59	221.87	7.22	16090.58	613.75	-15.16	16689.17
3.	असम	3.128	9252.55	8989.38	-0.28	9206.97	789.73	395.00	12.84	28646.19	1075.06	-26.99	29694.26
4.	बिहार	10.058	29751.31	28905.11	-0.90	29604.78	2539.35	1270.12	41.25	92111.02	3485.61	-86.78	95509.85
5.	छत्तीसगढ़	3.407	10077.82	9791.18	-0.31	10028.18	860.17	430.24	14.01	31201.29	1186.37	-29.40	32358.26
6.	गोवा	0.386	1141.78	1109.30	-0.03	1136.16	97.45	48.74	1.58	3534.98	133.54	-3.33	3665.19
7.	गुजरात	3.478	10287.84	9995.23	-0.31	10237.17	878.09	439.20	13.93	31851.15	1212.86	-30.01	33034.00
8.	हरियाणा	1.093	3233.07	3141.11	-0.10	3217.14	275.95	138.02	4.44	10009.63	377.80	-9.43	10378.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.830	2455.12	2385.29	-0.07	2443.03	209.55	104.81	3.28	7601.01	290.13	-7.16	7883.98
10.	झारखंड	3.307	9782.02	9503.80	-0.30	9733.84	834.92	417.61	13.58	30285.47	1147.18	-28.53	31404.12
11.	कर्नाटक	3.647	10787.73	10480.90	-0.33	10734.60	920.76	460.54	14.95	33399.15	1228.50	-31.47	34596.18
12.	केरल	1.925	5694.10	5532.15	-0.17	5666.06	486.01	243.09	7.97	17629.21	648.08	-16.61	18260.68
13.	मध्य प्रदेश	7.850	23220.10	22559.67	-0.71	23105.74	1981.89	991.30	32.33	71890.32	2720.26	-67.73	74542.85
14.	महाराष्ट्र	6.317	18685.53	18154.07	-0.57	18593.50	1594.86	797.71	25.15	57850.25	2205.24	-54.51	60000.98
15.	मणिपुर	0.716	2117.91	2057.67	-0.06	2107.48	180.77	90.42	2.94	6557.13	244.13	-6.18	6795.08
16.	मेघालय	0.767	2268.77	2204.24	-0.07	2257.59	193.64	96.86	3.14	7024.17	268.59	-6.62	7286.14
17.	मिजोरम	0.500	1478.99	1436.92	-0.05	1471.70	126.23	63.14	2.07	4579.00	170.56	-4.31	4745.25
18.	नागालैण्ड	0.569	1683.09	1635.22	-0.05	1674.80	143.66	71.85	2.35	5210.92	194.18	-4.91	5400.19
19.	ओडिशा	4.528	13393.71	13012.76	-0.41	13327.74	1143.19	571.80	18.98	41467.77	1560.63	-39.07	42989.33
20.	पंजाब	1.807	5345.06	5193.03	-0.16	5318.74	456.21	228.19	7.33	16548.40	630.84	-15.59	17163.65
21.	राजस्थान	6.026	17824.76	17317.78	-0.54	17736.96	1521.39	760.96	24.51	55185.82	2096.95	-51.99	57230.78
22.	सिक्किम	0.388	1147.69	1115.05	-0.03	1142.04	97.96	49.00	1.59	3553.30	130.33	-3.35	3680.28
23.	तमिलनाडु	4.079	12065.58	11722.41	-0.37	12006.15	1029.83	515.10	17.17	37355.87	1410.57	-35.20	38731.24
24.	तेलंगाना	2.102	6217.66	6040.82	-0.19	6187.04	530.69	265.44	8.75	19250.21	436.08	-18.14	19668.15
25	त्रिपुरा	0.708	2094.25	2034.68	-0.06	2083.93	178.75	89.41	2.91	6483.87	246.47	-6.11	6724.23
26.	उत्तर प्रदेश	17.939	53063.12	51553.87	-1.61	52801.76	4529.07	2265.34	73.52	164285.07	5615.01	-154.78	169745.30
27.	उत्तराखंड	1.118	3307.02	3212.96	-0.10	3290.73	282.26	141.18	4.53	10238.58	388.08	-9.65	10617.01
28.	पश्चिम बंगाल	7.523	22252.85	21619.92	-0.68	22143.24	1899.33	950.00	30.83	68895.49	2604.35	-64.91	71434.93
	जोड़	**100.00**	**295797.52**	**287384.30**	**-8.98**	**294340.59**	**25247.05**	**12628.00**	**410.00**	**915798.48**	**33470.18**	**-862.84**	**948405.82**

*ये आंकड़े अनंतिम हैं और संघ या राज्य सरकारों से किसी भी देय या वसूली योग्य बकायों को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन हो सकता है।*

***** *पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 41% निश्चित किया गया है।*

@ *आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।*

अनुबन्ध-4ख

वास्तविक 2021-22 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केंद्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	व्यय कर (0028)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (4 + 12)	सं.अ. 2021-22 के अनुसार राज्यों के हिस्से की सुपुर्दगी (अतिरिक्त अंतरण सहित)	2021-22 का अंतर (वास्तविक-सं.अ) सं.अ. 2022-23 में समायोजनीय (13-14)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.047	11084.50	10887.06	-0.10	9721.00	2244.14	508.45	63.65	0.04	16.51	34525.25	33376.22	1149.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.757	4812.32	4726.60	-0.05	4220.36	974.29	220.74	27.63	0.02	7.17	14989.08	14375.33	613.75
3.	असम	3.128	8567.41	8414.81	-0.08	7513.54	1734.54	392.99	49.19	0.03	12.76	26685.19	25610.13	1075.06
4.	बिहार	10.058	27548.28	27057.59	-0.26	24159.59	5577.36	1263.65	158.18	0.10	41.03	85805.52	82319.91	3485.61
5.	छत्तीसगढ़	3.407	9331.58	9165.36	-0.09	8183.71	1889.25	428.04	53.58	0.03	13.90	29065.36	27878.99	1186.37
6.	गोवा	0.386	1057.23	1038.40	-0.01	927.18	214.04	48.50	6.07	0.00	1.57	3292.98	3159.44	133.54
7.	गुजरात	3.478	9526.04	9356.36	-0.09	8354.25	1928.62	436.96	54.70	0.04	14.19	29671.07	28458.21	1212.86
8.	हरियाणा	1.093	2993.66	2940.34	-0.03	2625.42	606.09	137.32	17.19	0.01	4.46	9324.46	8946.66	377.80
9.	हिमाचल प्रदेश	0.830	2273.32	2232.83	-0.02	1993.68	460.25	104.28	13.05	0.01	3.38	7080.78	6790.65	290.13
10.	जम्मू और कश्मीर #	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	3.307	9057.68	8896.35	-0.09	7943.50	1833.80	415.48	52.01	0.03	13.49	28212.25	27065.07	1147.18
12.	कर्नाटक	3.647	9988.92	9811.00	-0.09	8760.19	2022.33	458.19	57.36	0.04	14.88	31112.82	29884.32	1228.50
13.	केरल	1.925	5272.47	5178.55	-0.05	4623.90	1067.45	241.85	30.27	0.02	7.85	16422.31	15774.23	648.08
14.	मध्य प्रदेश	7.850	21500.70	21117.73	-0.20	18855.91	4352.98	986.24	123.45	0.08	32.02	66968.91	64248.65	2720.26
15.	महाराष्ट्र	6.317	17301.90	16993.72	-0.16	15173.60	3502.90	793.64	99.34	0.06	25.77	53890.77	51685.53	2205.24
16.	मणिपुर	0.716	1961.08	1926.15	-0.02	1719.85	397.04	89.95	11.26	0.01	2.92	6108.24	5864.11	244.13
17.	मेघालय	0.767	2100.77	2063.35	-0.02	1842.36	425.32	96.36	12.06	0.01	3.13	6543.34	6274.75	268.59
18.	मिजोरम	0.500	1369.47	1345.08	-0.01	1201.01	277.26	62.82	7.86	0.00	2.04	4265.53	4094.97	170.56
19.	नागालैण्ड	0.569	1558.46	1530.70	-0.01	1366.75	315.52	71.49	8.95	0.01	2.32	4854.19	4660.01	194.18
20.	ओडिशा	4.528	12401.93	12181.03	-0.12	10876.38	2510.87	568.88	71.21	0.05	18.47	38628.70	37068.07	1560.63
21.	पंजाब	1.807	4949.27	4861.11	-0.05	4340.46	1002.02	227.02	28.42	0.02	7.37	15415.64	14784.80	630.84
22.	राजस्थान	6.026	16504.87	16210.88	-0.16	14474.61	3341.54	757.08	94.77	0.06	24.58	51408.23	49311.28	2096.95
23.	सिक्किम	0.388	1062.71	1043.78	-0.01	931.99	215.15	48.75	6.10	0.00	1.58	3310.05	3179.72	130.33
24.	तमिलनाडु	4.079	11172.15	10973.15	-0.11	9797.87	2261.89	512.47	64.15	0.04	16.64	34798.25	33387.68	1410.57
25.	तेलंगाना	2.102	5757.26	5654.71	-0.05	5049.06	1165.60	264.09	33.06	0.02	8.57	17932.32	17496.24	436.08
26.	त्रिपुरा	0.708	1939.17	1904.63	-0.02	1700.64	392.60	88.95	11.13	0.01	2.89	6040.00	5793.53	246.47
27.	उत्तर प्रदेश	17.939	49133.89	48258.71	-0.47	43089.96	9947.53	2253.78	282.12	0.18	73.18	153038.88	147423.87	5615.01
28.	उत्तराखंड	1.118	3062.14	3007.59	-0.03	2685.47	619.95	140.46	17.58	0.01	4.56	9537.73	9149.65	388.08
29.	पश्चिम बंगाल	7.523	20605.06	20238.05	-0.20	18070.45	4171.65	945.16	118.31	0.08	30.69	64179.25	61574.90	2604.35
	जोड़	**100.00**	**273894.24**	**269015.62**	**-2.60**	**240202.69**	**55451.98**	**12563.59**	**1572.65**	**1.01**	**407.92**	**853107.10**	**819636.92**	**33470.18**

54.28 करोड़ रुपये पहले ही केन्द्रीय सहायता (जिसमें से वर्ष 2019-20 के लिए सी एंड एजी के अनुसार 12.56 करोड़ रुपये वसूली योग्य थी) के माध्यम से पूर्व के जम्मू और कश्मीर (वर्तमान में विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र) के निवल हिस्से के रूप में अंतरित की गई थी।

* *चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।*

@ *आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।*

अनुबन्ध - 5

जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)

(एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्टिंग वर्ष 2021-2022, के अंत तक की स्थिति के अनुसार)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादास्पद राशियां (₹ करोड़)					विवादरहित राशियां (₹ करोड़)					कुल जोड़
		1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	**जोड़**	1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	**जोड़**	
	आय एवं व्यय पर कर	**6,58,925.38**	**3,15,879.22**	**35,237.30**	**26,303.73**	**10,36,345.63**	**2,09,575.57**	**1,28,662.17**	**8,784.04**	**7,283.28**	**3,54,305.06**	**13,90,650.69**
0020	निगम कर	2,60,168.31	1,92,592.43	21,442.28	3,879.16	**4,78,082.18**	1,05,535.04	96,135.81	2,809.51	6,265.19	**2,10,745.55**	**6,88,827.73**
0021	निगम कर को छोड़कर आय पर कर	3,98,757.07	1,23,286.79	13,795.02	22,424.57	**5,58,263.45**	1,04,040.53	32,526.36	5,974.53	1,018.09	**1,43,559.51**	**7,01,822.96**
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	**40,254.40**	**64,705.51**	**53,491.00**	**8,314.00**	**1,66,764.91**	**5,194.92**	**7,389.63**	**7,716.00**	**5,095.00**	**25,395.55**	**1,92,160.46**
0005	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	475.32	10.81	-	-	**486.13**	113.02	3.85	-	-	**116.87**	**603.00**
0008	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	143.08	8.70	-	-	**151.78**	330.90	9.78	-	-	**340.68**	**492.46**
0037	सीमा शुल्क	4,221.00	5,095.00	8,436.00	1,923.00	**19,675.00**	2,040.00	2,317.00	967.00	1,234.00	**6,558.00**	**26,233.00**
0038	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	7,554.00	16,966.00	20,809.00	4,461.00	**49,790.00**	830.00	1,653.00	3,170.00	3,619.00	**9,272.00**	**59,062.00**
0044	सेवा कर	27,861.00	42,625.00	24,246.00	1,930.00	**96,662.00**	1,881.00	3,406.00	3,579.00	242.00	**9,108.00**	**1,05,770.00**
जोड़		**6,99,179.78**	**3,80,584.73**	**88,728.30**	**34,617.73**	**12,03,110.54**	**2,14,770.49**	**1,36,051.80**	**16,500.04**	**12,378.28**	**3,79,700.61**	**15,82,811.15**

टिप्पणी: *लगाए गए कर राजस्व को नकदी में उगाहें न जाने और इसे विवाद श्रेणी के अंतर्गत नहीं लाए जाने के कारण हैं - वसूली के लिए कोई आस्ति नहीं होना या अपर्याप्त आस्ति होना, कर दाता का पता न लग पाना आदि।*

अनुबन्ध - 6

कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि

(एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्टिंग वर्ष 2021-22 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

विवरण	लंबित धनराशि					जोड़
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	
राजकोषीय सेवाएं [(i)+(ii)]	**2710.53**	**2116.49**	**2481.11**	**6760.14**	**28405.49**	**42473.76**
ब्याज प्राप्तियां						
जिसमें **(क+ख+ग+घ)**	**2671.27**	**2116.49**	**2481.11**	**6760.14**	**28405.49**	**42434.50**
(क) राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से	19.26	9.25	24.40	27.57	2885.97	2966.45
(ख) रेलवे से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95
(घ) सरकारी क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से	2652.01	2107.24	2456.71	6732.57	25514.57	39463.10
(ii) लाभांश एवं लाभ	**39.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39.26**
2 सामान्य सेवाएं	**7717.01**	**9429.38**	**7673.80**	**14889.04**	**13559.13**	**53268.36**
पुलिस प्राप्तियां	7717.01	9429.38	7673.80	14889.04	13559.13	53268.36
3 आर्थिक सेवाएं [(i)+(ii)]	**34.33**	**15.00**	**6.59**	**4.57**	**10.06**	**70.55**
(i) पेट्रोलियम उपकर/रायल्टी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) संचार	34.33	15.00	6.59	4.57	10.06	70.55
4 अन्य प्राप्तियां	**8943.79**	**17229.88**	**8144.86**	**26883.19**	**143733.70**	**204935.42**
जोड़ [1+2+3+4]	**19405.66**	**28790.75**	**18306.36**	**48536.94**	**185708.38**	**300748.09**

अनुबंध - 7

केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का विवरणः वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22

किसी कराधान कानून और उसके संचालन का मुख्य उद्देश्य सरकारी व्यय के वित्तपोषण के लिए राजस्व जुटाना है। सृजित राजस्व की मात्रा का निर्धारण करने वाली मुख्य परिवर्तनशील कारक सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरें होती है। इन दो कारकों को निर्धारित करने वाले उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला में विशेष कर दरें, छूट, कटौती, रिबेट, आस्थगन और क्रेडिट शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर प्रोत्साहन' या 'कर वरीयताएं' कहा जाता है। ये सरकारी आमदनी पर असर डालते हैं और सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति को भी दर्शाते हैं।

सरकार द्वारा प्रदान किए गए कर प्रोत्साहनों का उसके राजस्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसे पसंदीदा करदाताओं के लिए अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी माना जा सकता है और इसे 'कर व्यय' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कर नीति न केवल कुशल होनी चाहिए बल्कि पर्याप्त रूप से पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसके लिए कर प्रोत्साहनों का विस्तृत विश्लेषण तथा सुव्यक्त निरूपण और सरकार की विशिष्ट नीतिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभिप्रेत आवश्यक कार्यक्रम आयोजना अपेक्षित होती है। इसके अलावा, पारदर्शी बजट प्रस्तुति के लिए संबंधित कार्यक्रम शीर्षकों के तहत सृजित हो रहे राजस्व प्रभावों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित होता है। सरकार की आय को प्रभावित करने वाले ये कर प्रोत्साहन, कर संविधि के व्यय कार्यक्रमों का अंतर्निहित हिस्सा होते हैं।

वर्तमान विवरण सरकार द्वारा कराधान प्रणाली के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों की राजस्व विवक्षाओं का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों की ऐसी राजस्व विवक्षाएं पहली बार बजट 2006-07 के दौरान परित्यक्त राजस्व के विवरण के रूप में प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में संसद के समक्ष रखी गई थी। इसका सभी पक्षों द्वारा स्वागत किया गया और इससे राजकोषीय नीति से संबंधित सभी मुद्दों पर रचनात्मक बहस की प्रक्रिया शुरू हुई। इसने कर नीति और कर व्यय के मामले में पारदर्शिता लाने की सरकार की मंशा को भी बल दिया। इस विवरण का दूसरा संस्करण बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के जरिए और साथ ही, एक पृथक बजट दस्तावेज के रूप में रखा गया जिसका शीर्षक "परित्यक्त राजस्व का विवरण" था। उसके बाद, इसे 2008-09 से 2014-15 तक के बजट के दौरान हर साल संसद के समक्ष रखा गया था। बजट 2015-16 में, इसे "केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से निरूपित किया गया है,क्योंकि इसमें वास्तव में राजस्व प्रभाव का विश्लेषण शामिल है। बजट 2015-16 और 2016-17 में, इसे अनुबंध-15 के रूप में प्राप्ति बजट का हिस्सा बनाया गया था, जबकि बजट 2017-18 में यह अनुबंध-13 के रूप में था। बजट 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में, यह अनुबंध -7 के रूप में प्राप्ति बजट का हिस्सा था।

पहले की तरह, इस विवरण में कर प्रोत्साहन या कर सब्सिडी के राजस्व प्रभाव को बताने का प्रयास किया गया है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का एक हिस्सा हैं। अधिकतर "कर वरीयताओं" के संबंध में ऐसे कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का आकलन किया गया है। ये आकलन वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए हैं, जो सबसे हालिया वर्ष है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है। यह निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल किए गए रिटर्न पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के कर व्यय आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व प्रभाव को दर्शाने का भी प्रयास किया गया है।

कर व्यय का आकलन निम्नलिखित पूर्वधारणाओं के आधार पर किया गया हैः -

(क) प्राक्कलनों और प्रक्षेपणों का अभिप्राय छूट, कटौती, भारित कटौती और इसी तरह के उपायों को हटाए जाने की दशा में संभावित राजस्व लाभ को इंगित करना है। ये प्राक्कलन अल्पकालिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित होते हैं। उन्हें यह मानकर तैयार किया जाता है कि ऐसे उपायों को हटाने से अंतर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। चूंकि आर्थिक एजेंटों का व्यवहार, समग्र आर्थिक गतिविधि या अन्य सरकारी नीतियां विशिष्ट कर वरीयता को हटाए जाने के साथ बदल सकती हैं, इसलिए राजस्व विवक्षाएं उस सीमा तक भिन्न हो सकती हैं।

(ख) प्रत्येक कर प्रोत्साहन के प्रभाव का यह मानते हुए अलग से निर्धारण किया जाता है कि अन्य सभी कर प्रावधान अपरिवर्तित बने हुए हैं। हालाँकि, कई कर रियायतें एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती हैं। इसलिए, कर प्रोत्साहनों का अंतःक्रियात्मक प्रभाव, प्रत्येक प्रावधान के लिए प्राक्कलनों और प्रक्षेपणों को जोड़कर परिकलित कर व्यय से भिन्न हो सकता है।

हालांकि, राजस्व प्रभाव का कर व्यय की दृष्टि से मात्रा-निर्धारण किया गया है, फिर भी, इससे यह अर्थ नहीं निकलता है कि सरकार द्वारा राजस्व की इस मात्रा का अधित्याग किया गया है। बल्कि, इन्हें कुछ लक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछ मामलों में, इस तरह की अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित की गई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ वास्तव में शुरू नहीं की गई हो सकती हैं या ऐसे प्रोत्साहनों के अभाव में काफी कम पैमाने पर चल रही हो सकती हैं। विभिन्न कर प्रोत्साहनों पर हुए कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई पूर्वधारणाएं और कार्यपद्धति इस विवरण में प्रासंगिक स्थानों पर दर्शाई गई हैं।

प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर नीति, आयकर अधिनियम के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात को बढ़ावा देने; संतुलित क्षेत्रीय विकास; बुनियादी सुविधाओं के निर्माण; रोज़गार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करता है । लोगों द्वारा बचत किए जाने और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान को प्रोत्साहित करता है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में त्वरित मूल्यह्रास भी प्रदान किया जाता है। इनमें से अधिकांश कर लाभ कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यह विवरण कॉर्पोरेट क्षेत्र, गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र (फर्म, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों की निकाय आदि); और व्यक्ति/एचयूएफ करदाताओं के संबंध में अलग से कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। जिन शीर्षों के तहत राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है, वे मोटे तौर पर कार्पोरेट और गैर- कार्पोरेट आदि के लिए समान हैं। हालांकि, व्यक्तियों के मामले में, कुछ अन्य शीर्षों को भी शामिल किया गया है क्योंकि ये केवल उन्हीं के प्रति विशिष्ट हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए विवरण विभिन्न लाभ स्लैबों में कंपनियों के लिए प्रभावी कर दरों के प्रसार का भी विश्लेषण करता है। प्रभावी कर दरों के क्षेत्रगत विश्लेषण का भी प्रयास किया गया है। इसके अलावा, धर्मार्थ गतिविधियों में लगे संस्थानों का विवरण भी "धर्मार्थ संस्थान" शीर्षक के तहत अलग से दिया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान चार वर्षों (वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2021-22) [1] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को हिसाब में लेकर लगाया गया है।

क. कॉर्पोरेट क्षेत्र

बड़े व्यवसाय मुख्य रूप से कंपनियों के रूप में संगठित होते हैं। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2020-21 [अर्थात् आकलन वर्ष 2021-22] के लिए 31 मार्च, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से 961,279 कॉर्पोरेट रिटर्न प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक कंपनी के लिए अपेक्षित है कि वह अपनी आय का रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करें। इन कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की अपनी आय के लिए 4,76,115.57 करोड़ रु. [अधिभार और शिक्षा उपकर सहित] की कॉर्पोरेट कर देयता की सूचना दी। उन्होंने अधिनियम की धारा 115ठक के तहत शेयरों के बॉय-बैक पर 'वितरित आय' पर 6,390.82 करोड़ रु. के अतिरिक्त कर का भुगतान किया है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के उद्देश्य से, इन 961,279 कंपनियों से संबंधित डेटा को विश्लेषण के लिए डेटाबेस से लिया गया था और इस विवरण के तालिका 1 से 5 और परिशिष्ट में वर्णित है। **तालिका 1** इन कंपनियों को विभिन्न लाभ श्रेणियों में दर्शाती है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं-

- 4,43,073 कंपनियों (46.09 प्रतिशत) ने 21,44,550.21 करोड़ रु. कर -पूर्व लाभ और कुल आय (कर योग्य आय) के रूप में 16,15,846.64 करोड़ रु. की सूचना दी है।
- 4,76,839 कंपनियों (49.60 प्रतिशत) ने 8,74,828.38 करोड़ रु. की हानि की सूचना दी है।
- 41,367 कंपनियों (4.30 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की सूचना दी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए **लाभ की सूचना देने वाली कंपनियों के पूरे आधार की प्रभावी कर दर[2] 22.20 प्रतिशत** थी [जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिपोर्ट की गई दर **22.54** प्रतिशत थी], वही एक करोड़ रु. तक की आय वाली कंपनियों के मामले में वैधानिक कर की दर 31.20 प्रतिशत(उप कर सहित), 10 करोड़ रु. तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत (उप कर और अधिभार सहित)और 10 करोड़ रु. से अधिक की आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत (उप कर और अधिभार सहित) थी। इसके अलावा, मौजूदा कंपनियों के लिए जिन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 115खकक के तहत नई रियायती कर व्यवस्था (कटौती और छूट के बिना न्यूनतर कर दर) का विकल्प चुना, वैधानिक कर की दर 25.17 प्रतिशत थी। 500 करोड़ रु और उससे अधिक के कर-पूर्व लाभ, (इसके बाद पीबीटी), वाली कंपनियों का कुल पीबीटी में हिस्सा 62.08 प्रतिशत और कुल कॉर्पोरेट आयकर देयता का कुल 53.52 प्रतिशत था। लाभ की सूचना देने वाली कंपनियों के पूरे आधार के लिए 22.20 प्रतिशत की प्रभावी दर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 22.54 प्रतिशत की प्रभावी कर दर से कम है। प्रभावी कर दर में महत्वपूर्ण कमी मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि बड़ी संख्या में उच्च लाभ वाली कंपनियों ने धारा 115खकक के तहत मौजूदा कंपनियों के लिए प्रदान की गई नई कर व्यवस्था को चुन लिया है।

500 करोड़ रु. से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों की प्रभावी कर दर 19.14 प्रतिशत है, जो उन सभी कंपनियों की तुलना में कम है, जिनका कर-पूर्व लाभ 500 करोड़ रु. से कम है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि बड़ी कंपनियां उच्च कटौती और प्रोत्साहन का लाभ उठा रही हैं या इन्होंने 22 प्रतिशत के साथ उपकर और अधिभार की न्यूनतर कर दर की नई व्यवस्था को चुन लिया है। छोटी कंपनियों में कुल आय और पीबीटी के उच्च अनुपात से इसकी पुष्टि होती है। 0-1 करोड़ रु. की रेंज में पीबीटी देने वाली कंपनियों के मामले में यह अनुपात 97.16 प्रतिशत है जबकि 500 करोड़ रु. से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों के मामले में यह 69.49 प्रतिशत है। कम अनुपात इंगित करता है कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों की तुलना में अधिक कटौती और प्रोत्साहन का लाभ उठा रही हैं।

[1] वित्त वर्ष 2020-21 को औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का आलकन करने के लिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण एक असाधारण वर्ष था।

[2] कंपनियों के मामले में प्रभावी कर दर कुल करों (सरचार्ज और शिक्षा उपकर सहित) और करों से पूर्व लाभों (पीबीटी) का अनुपात है और प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। .

तालिका 1: कर-पूर्व लाभ की श्रेणी में कंपनियों की प्रोफाइल

(वित्तीय वर्ष 2020-21) (कंपनियों की संख्या - 961,279)

क्र.सं .	कर पूर्व लाभ	कंपनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	कुल कॉर्पोरेट आय-कर देयता में हिस्सा (में %)	कुल आय का कर पूर्व लाभ से अनुपात (% में)	कर का कुल आय से अनुपात (में %)	प्रभावी कर दर (% में) (कर लाभ अनुपात)
1	शून्य से कम	476,839	0.00	0.65	0.61	0.00	22.96	0.00
2	शून्य	41,367	0.00	16.25	6.99	0.00	10.54	0.00
3	0-1 करोड़ रु.	385,907	2.16	2.31	2.41	97.16	25.55	24.82
4	1-10 करोड़ रु.	44,499	6.41	6.19	6.68	87.53	26.42	23.13
5	10-50 करोड़ रु.	9,057	9.00	8.35	9.20	84.08	26.99	22.69
6	50-100 करोड़ रु.	1,535	5.02	4.57	5.06	82.64	27.08	22.38
7	100-500 करोड़ रु.	1,558	15.33	14.10	15.53	83.39	26.96	22.49
8	500 करोड़ रु. से अधिक	517	62.08	47.58	53.52	69.49	27.54	19.14
	सभी कंपनियां	**961,279**	**100**	**100**	**100**	**90.67**	**24.49**	**22.20**

तालिका 2 प्रभावी कर दरों के बीच कंपनियों का प्रतिदर्श बताती है। यह ध्यान दिया जाए है कि 20 प्रतिशत तक औसत प्रभावी कर दरों वाली 6,19,487 कंपनियों का, कर-पूर्व कुल लाभ का 39.08 प्रतिशत, कुल कर-योग्य आय का 17.67 प्रतिशत और कुल करों का 19.35 प्रतिशत हिस्सा था। दूसरे शब्दों में, बड़ी संख्या में कंपनियों (619,487 यानी 64.44 प्रतिशत) ने अपने मुनाफे के प्रति करों के रूप में अनुपातहीन रूप से कम राशि का योगदान दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिन 48,291 कंपनियों ने कुल लाभ का 5.81 प्रतिशत और कुल करों का 12.45 प्रतिशत हिस्सा दिया, उनकी प्रभावी कर दर 34.69 प्रतिशत की औसत वैधानिक दर के करीब थी। इससे पता चलता है कि कंपनियों में कर देयता असमान रूप से वितरित हुई है। यह मुख्य रूप से क़ानून में विभिन्न कर वरीयताओं के कारण है।

तालिका 2: प्रभावी कर दरों की श्रेणी में कंपनियों का प्रोफाइल*

(**वित्तीय वर्ष** 2020-21) **कंपनियों की संख्या** - 961,279]

क्र.सं .	प्रभावी कर दर (% में)	कंपनियों की सं .	कर पूर्व लाभ में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	कुल कर देयता में हिस्सा (% में)
1	शून्य और शून्य से कम	516,944	9.02	0.77	0.65
2	0-20	102,543	30.06	16.89	18.70
3	20-25	49,873	21.77	24.78	24.16
4	25-30	182,533	29.62	40.15	38.38
5	30-33	19,728	3.72	5.68	5.66
6	>33	48,291	5.81	11.72	12.45
7	अनिर्धारित(पीबीटी = 0)	41,367	0.00	0.00	0.00
	कुल	**961,279**	**100**	**100**	**100**

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

तालिका 3 निजी कंपनियों के साथ सार्वजनिक कंपनियों (केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों) की प्रभावी कर दर की तुलना करती है। जबकि प्रभावी दर दोनों श्रेणियों के लिए वैधानिक दर से कम है, निजी क्षेत्र की कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में भुगतान करती हैं।

तालिका 3: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर*

(वित्तीय वर्ष 2020-21) [कंपनियों की संख्या - 961,279]

क्र. सं.	क्षेत्र	कंपनियों की सं .	कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल कर देयता में हिस्सा (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (% में) [कर से लाभ अनुपात]
1	सार्वजनिक #	198	18.26	13.97	16.99
2	निजी	961,081	81.74	86.03	23.37
	सभी कंपनियां	**961,279**	**100**	**100**	**22.20**

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

निर्धारिती कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के रूप में) द्वारा उनके संबंधित रिटर्न में दी गई जानकारी के आधार पर।

तालिका 4 कंपनियों के संबंध में विनिर्माण क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की प्रभावी कर दर के बीच तुलना दर्शाती है। विनिर्माण क्षेत्र की 25.68 प्रतिशत की तुलना में गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में 20.75 प्रतिशत की निम्नतर प्रभावी कर दर है। दोनों क्षेत्रों में एक प्रभावी कर दर है जो औसत वैधानिक दर 34.69 प्रतिशत से काफी कम है।

तालिका 4: विनिर्माण और गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर*

(वित्तीय वर्ष 2020-21) [कंपनियों की संख्या-961,279]

क्र. सं.	क्षेत्र	कंपनियों की सं .	कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल कर देयता में हिस्सा (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (% में) [कर से लाभ अनुपात]
1	विनिर्माण	144,141	29.46	34.07	25.68
2	गैर-विनिर्माण	817,138	70.54	65.93	20.75
	सभी कंपनियां	**961,279**	**100**	**100**	**22.20***

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

तालिका 5 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रक्षेपण के संदर्भ में कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय का विवरण देती है। विश्लेषण 31 मार्च, 2022 तक दायर कॉर्पोरेट रिटर्न पर आधारित है, जिसमें निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए दायर सभी रिटर्न शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक कर रियायत के राजस्व प्रभाव की गणना प्रत्येक कटौती की राशि पर भारित औसत वैधानिक कॉर्पोरेट कर दर 34.69 प्रतिशत[3] लागू करके की गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए त्वरित मूल्यह्रास, कटौती/भारित कटौती के राजस्व प्रभाव की गणना पहले कंपनियों द्वारा लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए मूल्यह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यह्रास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके की गई है। तत्पश्चात कर व्यय के आंकड़े पर पहुंचने के लिए इस अंतर पर 34.69 प्रतिशत की भारित औसत कॉर्पोरेट कर दर लागू की गई है।

कर व्यय का एक अन्य पहलू कर आस्थगन है। टैक्स डिफरल तब होता है जब करदाता, कर क़ानून के तहत उच्च कटौती की अनुमति के कारण कम समय अवधि में कटौती की अनुमति (जैसे मूल्यह्रास में अनुमति) का दावा करके अपनी कर देयता को स्थगित करने में सक्षम होता है, जबकि वह एक ही मूल्यह्रास दावा कई वर्षों में अपने ही खातों में फैला सकता है। चूंकि मूल्यह्रास में नकद व्यय नहीं होता है, यह एक कर आस्थगन है। दूसरी ओर,कर कानून के तहत कंपनियों पर एमएटी (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, बुक प्रॉफिट पर 15 प्रतिशत की दर से) कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए इसके शेयरधारकों को होने वाले लाभ पर (कुछ समायोजन के अध्यधीन) पर लगता है, और यह तब लगता है जब यह देयता सामान्य दरों पर गणना की गई कर देयता से अधिक हो। एमएटी के कारण अतिरिक्त देयता को बाद के उस वर्ष में क्रेडिट (15 वर्ष तक) के रूप में अनुमति दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता एमएटी देयता से अधिक होती है। इसलिए, एमएटी के कारण भुगतान किया गया अतिरिक्त कर, भविष्य की कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्यह्रास के दावों के कारण करों के आस्थगन की अवधि को प्रतिबंधित करता है और अन्य कटौतियों, जैसे कि लाभ से जुड़ी कटौतियों, के राजस्व प्रभाव में लंबी समयावधि में उसी दावे का विस्तार करके कम करता है।

[3] एक करोड़ रु. तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 31.20 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत की भारित औसत कर दर लेने के बाद औसत वैधानिक कर दर निकाली गई है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर व्यय को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19,2019-20 और 2021-22] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके अनुमानित किया गया है। औसत जीडीपी वृद्धि दर की गणना 12.20% की गई थी।

तालिका 5 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रक्षेपण के संदर्भ में कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय को दर्शाती है।

तालिका 5: कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

(वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22)

[कंपनियों की संख्या - 961,279]

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रु. में) [2020-21]	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रु. में) [2021-22]
1	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10कक)	21,157.51	23,738.73
2	त्वरित मूल्यह्रास (धारा 32)	18,949.45	21,261.28
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1),(2कक) और (2कख))	2,126.90	2,386.38
4	निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	1,017.00	1,141.07
5	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	1,274.99	1,430.54
6	राजनीतिक दलों को योगदान के कारण कटौती (धारा 80छछख)	256.00	287.23
7	बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80-झक)	3,299.91	3,702.50
8	एसईजेड और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80-झक)	273.48	306.84
9	दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक)	0.02	0.02
10	बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक)	16,782.82	18,830.32
11	बिजली संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक)	259.11	290.72
12	एसईजेड अधिनियम, 2005 (धारा 80- झकख) के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती	985.88	1,106.16
13	जम्मू और कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80- झख)	11.08	12.43
14	खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	0.26	0.29
15	आवासीय परियोजनाओं से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभ की कटौती (धारा 80- झख)	16.87	18.93
16	खाद्यान्न के संचालन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	53.53	60.06
17	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	130.74	146.69
18	ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	2.23	2.50
19	आवासीय परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80- झखक)	389.83	437.39
20	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झग)	1,618.35	1,815.79

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रु. में) [2020-21]	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रु. में) [2021-22]
21	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झग)	3,722.91	4,177.11
22	उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झग)	533.19	598.24
23	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झग)	76.31	85.62
24	जैव-अवक्रमणीय कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभ की कटौती (धारा 80ञञक)	14.53	16.30
25	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 ञञकक)	2,118.20	2,376.62
26	अपतटीय बैंकिंग इकाइयों [ओबीयू] और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आय के संबंध में कटौती(धारा 80-ठक)	79.97	89.73
	कुल	**75,151.07**	**84,319.50**
	घटाएं : एमएटी के कारण अतिरिक्त कर देयता	**18,830.96**	
	दावा किए गए एमएटी क्रेडिट द्वारा घटाया गया	**18,897.91**	
	एमएटी के कारण निवल अतिरिक्त कर	**-66.95**	**-75.12**
	कुल परित्यक्त राजस्व	**75,218.02**	**84,394.62**

जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित कर व्यय का आंकड़ा (एमएटी भुगतान के कारण अतिरिक्त कर को छोड़कर) पिछले वर्ष के विवरण में 111,289.29 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया था। अब इसकी गणना वास्तव में 75,151.07 करोड़ रु. की गई है। यह इस बात का भी सूचक है कि कॉरपोरेट संगठन धारा 115खकक और 115खकख के तहत नई कर-व्यवस्था को अपना रहे हैं। एमएटी देयता में कमी भी इसी प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करती है क्योंकि नई कर व्यवस्था में कंपनियां एमएटी की अदायगी नहीं करती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में, एसईजेडमें स्थित इकाइयों द्वारा हासिल की गई कटौती (क्रम संख्या 1), त्वरित मूल्यह्रास (क्रम सं. 2), विद्युत् के जनन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रम (क्रम संख्या 10), बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों (क्रम संख्या 7)), विनिर्दिष्ट व्यवसाय (क्रम सं. 4) और वैज्ञानिक अनुसंधान पर कटौतियाँ (क्रम सं. 3) में कुल कर प्रोत्साहन का एक बड़ा हिस्सा जाता है । धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के मद में कटौती में कमी हुई क्योंकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इस प्रकार की दान राशि 4,193.83 करोड़ रु. थी जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए यह 1,274.99 करोड़ रु. रही है।

कंपनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरण के परिशिष्ट में तालिका में दिया गया है। करों की प्रभावी दर यूरेनियम और थोरियम अयस्कों को छोड़कर नॉन-फेरस धात्विक अयस्कों के खनन के लिए 10.66 प्रतिशत , इस्पात उत्पादों के विनिर्माण के लिए 12.65 प्रतिशत और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण के लिए 16.49 प्रतिशत है जो निम्नतर रेंज में हैं। ऐसे कुछेक अन्य क्षेत्र, जिनमें करों की प्रभावी दर की तुलना में निम्नतर कर दर हैं, वे पशुपालन (19.26 प्रतिशत) और कुक्कुट पालन एवं अंडा उत्पादन (19.30 प्रतिशत) हैं। यह दर कर पूर्व लाभ के प्रति देय सकल कर के योग का अनुपात है और निम्नलिखित परिशिष्ट में उल्लिखित कंपनियों के समूह में मुनाफा कमाने वाली कंपनियां (पीबीटी>0) और नुकसान सहने वाली कंपनियां (पीबीटी<0)दोनों शामिल हैं।

इसके अलावा, कुछ घरेलू कंपनियों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल स्थापित करने, नए निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और समग्र अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास में, धारा 115खकक और 115खकख को कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2019 (टीएलएए) के माध्यम से अधिनियम में अंत:स्थापित किया गया था। इसमें ऐसी मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22% की रियायती कर दर और ऐसी नव-निगमित घरेलू कंपनियों के लिए 15% की रियायती कर दर की व्यवस्था की गई है, जो इस तरह की विनिर्मित मद या वस्तुओं का निर्माण, उत्पादन, अनुसंधान या वितरण 31 मार्च, 2024 से शुरु करती हैं। यह रियायत कतिपय शर्तों के अधीन है जिनमें वे कंपनियां भी शामिल हैं, जो कोई विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौतियों का लाभ नहीं उठाती हैं। यह भी प्रावधान किया गया है कि रियायती कराधान व्यवस्था का विकल्प चुनने वाली घरेलू कंपनियों के लिए यह अपेक्षित नहीं होगा कि वे किसी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करें।

इस रियायती कर प्रोत्साहन के प्रभाव का (तालिका 5.1 में किया गया) विश्लेषण दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कॉर्पोरेट विवरणियों में से 196,758 ने धारा 115खकक के तहत रियायती कर की दर का विकल्प चुना है, जिसमें 1,192,851.30 करोड़ रु. की कुल आय शामिल है और 3,508 ने अधिनियम की धारा 115खकख के तहत विकल्प चुना है, जिसमें 770.13 करोड़ रु. की कुल आय शामिल है। इस प्रकार, कुल आय का 61.35% हिस्सा रखने वाली कंपनियों में से 20.47% ने वित्त वर्ष 2019-20 के 15.85% की तुलना में धारा 115खकक के तहत नई कर-व्यवस्था का विकल्प चुना है और 0.36% कंपनियों ने अधिनियम की धारा 115खकख के तहत लाभ लेने का विकल्प चुना है। यह कंपनियों द्वारा नई रियायती कर व्यवस्था को अपनाने और साथ ही साथ कटौती और छूट व्यवस्था से दूर जाने की एक उत्साहजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 5.1 : रियायती कर व्यवस्था का चयन करने वाली कंपनियों और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कंपनियों की तुलना (वित्तीय वर्ष 2020-21)

क्र.सं.	कुल आय के स्लैब (करोड़ में)	कंपनियों की संख्या (115बीएए के तहत)	कंपनियों की संख्या (115बीएबी के तहत)	कंपनियों की संख्या (पहले की कर दर 30% और अधिभार और उपकर के तहत)	कुल आय (115बीएए के तहत) (करोड़ में)	कुल आय (115बीएबी के तहत) (करोड़ में)	कुल आय (पहले की टैक्स दर 30% और अधिभार और उपकर के तहत) (करोड़ में)
1	शून्य और शून्य से कम	69,718	2,269	507,694	-	-	-
2	0-1	94,726	1,095	231,563	17,086.42	171.73	24,655.94
3	1-10	24,086	132	16,957	77,903.02	418.52	51,162.16
4	10-50	5,758	12	3,365	124,743.04	179.87	72,888.96
5	50-100	1,043	-	608	72,638.16	-	42,349.08
6	100-500	1,119		622	230,990.20	-	132,004.85
7	>500	308		204	669,490.46	-	427,711.70
	कुल	**196,758**	**3,508**	**761,013**	**1,192,851.30**	**770.13**	**750,772.69**

ख. गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र [फर्म/एओपी/बीओआई आदि]

कॉरपोरेट क्षेत्र के अलावा, बड़े व्यवसाय को साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के संघ [एओपी] या व्यक्तियों के निकाय [बीओआई] के रूप में भी संगठित किया जाता है। इन पर कर व्यय उतना बड़ा नहीं है जितना कि कंपनियों के मामले में है। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2020-2021 की आय के लिए 31 मार्च, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल 1,622,196 रिटर्न प्राप्त हुए हैं। कर व्यय की गणना के उद्देश्य से, इन 1,622,196 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित आंकड़ों को डेटाबेस से निकाला गया था।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य सामने आए: –

- संपूर्ण फर्मों/एओपी/बीओआई ने 270,634.71 करोड़ रु. करों से पहले लाभ के रूप में और 263,927.82 करोड़ रुपये की कुल आय (कर योग्य आय) घोषित की। लगभग 352,723 रिटर्न से नुकसान दर्ज किया गया जो कुल का 21.74 प्रतिशत है।

- इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए देय आयकर के रूप में [अधिभार और उपकर सहित] 75,289.10 करोड़ रुपये दर्ज किए हैं।

प्रत्येक कटौती की राशि पर फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत के राजस्व प्रभाव की गणना 34.09 प्रतिशत की आय कर दर (एक करोड़ से कम आय वाली फर्मों के लिए भारित औसत दर की गणना 31.20 प्रतिशत की दर से और प्रत्येक कर दर स्लैब में आने वाले देय सकल कर के साथ एक करोड़ से अधिक आय वाली फर्मों के लिए 34.94 प्रतिशत की दर से की जाती है) को लागू करके की गई है। त्वरित मूल्यह्रास के कारण कर व्यय कटौती; वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती की गणना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा लाभ और हानि खातों में डेबिट किए गए मूल्यह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यह्रास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके की गई है। इसके बाद, प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव पर पहुंचने के लिए इस अंतर पर 34.09 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन के लिए राजस्व प्रभाव के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2021-22] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमान लगाया गया है। औसत जीडीपी विकास दर की गणना 12.20 % की गई थी।

तालिका 6 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रक्षेपण के संदर्भ में गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की तरह, उच्चतम कर व्यय सहकारी समितियों के लाभों में कटौती के कारण जारी है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 55.48 प्रतिशत की तुलना में कुल राजस्व प्रभाव का 61.02 प्रतिशत है। एसईजेड में स्थापित इकाइयों (धारा 10एए के तहत) और त्वरित मूल्यह्रास के कारण कर व्यय, छोड़े गए कुल राजस्व का क्रमशः 16.68 प्रतिशत और 5.25 प्रतिशत था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र, यानी फर्मों/एओपी/बीओआई के लिए कुल कर व्यय 7,731.61 करोड़ रुपए होगा।

तालिका 6: गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं [फर्म/एओपी/बीओआई] के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2020-21]	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2021-22]
1	एसईजेड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10कक)	1,257.96	1,411.43
2	त्वरित मूल्यह्रास (धारा 32)	395.61	443.87
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) और (2कख)	5.00	5.61
4	निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	70.22	78.79
5	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	170.26	191.03
6	राजनीतिक दलों को योगदान पर कटौती (धारा 80छछग)	34.36	38.55
7	बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	101.35	113.71
8	एसईजेड और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	14.19	15.92
9	विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झक)	174.88	196.22
10	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती(धारा 80-झकख)	87.94	98.67
11	जम्मू और कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती(80-झख)	4.09	4.59
12	आवासीय परियोजनाओं से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभ की कटौती (धारा 80-झख)	83.98	94.23
13	कोल्ड चेन सुविधा के संचालन से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभ की कटौती (धारा 80-झख)	0.33	0.37
14	खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	3.19	3.58
15	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	49.83	55.91
16	आवासीय परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80-झखक)	420.76	472.09
17	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	174.60	195.90
18	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	27.65	31.02
19	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	9.54	10.70
20	जैव-अवक्रमणीय कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभ की कटौती (धारा 80जजक)	10.20	11.44
21	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 जजकक)	34.02	38.17
22	विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयों [ओबीयू] तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आयों के संबंध में कटौती (धारा 80-ठक)	0.72	0.81
23	सहकारी संस्थाओं के लाभों के संबंध में कटौती (धारा 80त)	4,600.93	5,162.24
	कुल	**7,731.61**	**8,674.87**

ग. व्यष्टि/हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) करदाता

आयकर अधिनियम का अध्याय VI-क मुख्य रूप से कतिपय भुगतानों पर कटौती और कतिपय आयों पर कटौती प्रदान करता है। व्यष्टि/एचयूएफ करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनके पास कई प्रकार की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, चूंकि 50 प्रतिशत से अधिक व्यष्टि करदाता अपनी आय मुख्य रूप से वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए लाभ से जुड़ी कटौतियों [अर्थात कतिपय व्यावसायिक आय पर कटौती] पर उनके द्वारा दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वैतनिक व्यक्तियों का समूह दोनों प्रकार की कटौती का दावा करता है। व्यष्टि करदाताओं को दिए गए कर प्रोत्साहन तालिका 7 में प्रस्तुत किए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर प्रभाव की गणना 31 मार्च, 2022 तक आयकर विभाग में व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की गई 63,809,874 विवरणियों में कर विकल्पों के लिए विभिन्न दावों के आधार पर की गई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर व्यय को वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2021-22] के औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके अनुमानित किया गया है। औसत जीडीपी विकास दर 12.20% आंकी गई थी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 (एवाई 2021-22) के लिए दायर कुल 63,809,874 आय विवरणी के आंकड़ों के आधार पर, करदाताओं की पूरी जनसंख्या के लिए कर व्यय तैयार किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

(i) उच्च बुनियादी छूट सीमा के प्रभाव, (तालिका 7 की क्रम संख्या 25 और 26), की गणना प्रति वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक पर कर व्यय को उनकी संबंधित संख्याओं से गुणा करके की गई है। इन विवरणियों के आंकड़ों के मुताबिक, 11.70 प्रतिशत विवरणियों को वरिष्ठ नागरिकों द्वारा और 0.74 प्रतिशत विवरणियां अति वरिष्ठ नागरिकों द्वारा फाइल की गयी। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध उच्चतम छूट सीमा के राजस्व प्रभाव की गणना को 250,000 रुपये की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्चतम बुनियादी छूट सीमा (अर्थात 300,000 रुपये) के बीच के अंतर को ध्यान में रखकर की गई है और अंतर पर 5 प्रतिशत (जमा उपकर) की न्यूनतम कर दर को लागू करते हुए परिकलित किया गया है।

(ii) व्यष्टियों के मामले में, अधिनियम की धारा 80ग के अनुसार कुछ लिखतों में निवेश के लिए कटौती के दावे के कारण अधिकतम कर व्यय 74,937.58 करोड़ रूपए की राशि है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यष्टि करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय अधिनियम की धारा 87क के तहत छूट के कारण 29,949.84 करोड़ रूपए की राशि है।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, **तालिका 7** वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान और वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रक्षेपण के लिए, कर व्यय के संदर्भ में, व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 7 : व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रपए में) [2020-21]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रपए में) [2021-22]
1	कुछ निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	74,937.58	84,079.96
2	कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	282.89	317.40
3	नई पेंशन योजना में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	4,810.89	5,397.82
4	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (धारा 80घ)	6,444.96	7,231.25
5	दिव्यांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघ)	930.36	1,043.86
6	विशिष्ट रोगों के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघख)	1,152.72	1,293.35
7	उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ङ)	982.14	1,101.96
8	रिहायसी आवास संपत्ति के लिए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ङङ)	332.11	372.63
9	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दिए गए दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	1,541.03	1,729.04

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2020-21]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2021-22]
10	आवास मकान के लिए भुगतान किए गए किराए के कारण कटौती (धारा 80छछ)	1,361.69	1,527.82
11	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान देने पर कटौती (धारा 80छछक)	10.97	12.31
12	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान पर कटौती (धारा 80छछग)	740.03	830.31
13	एसईजेड और औद्योगिक पार्कों के विकास, बिजली उत्पादन और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कार्य में उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	65.15	73.10
14	एसईजेड अधिनियम, 2005 (धारा 80-झकख) के अनुसरण में एसईजेड के विकास में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती	4.95	5.55
15	आवास परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80-झखक)	148.24	166.33
16	आवास परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास, खाद्यान्न के प्रबंधन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय तथा जम्मू और कश्मीर तथा अन्य पिछड़े क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80-झख)	18.98	21.30
17	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	23.66	26.55
18	जैव-अवक्रमणीय कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80ञञक)	3.52	3.95
19	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80ञञकक)	12.78	14.34
20	पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80थथख)	8.03	9.01
21	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80ददख)	0.40	0.45
22	बचत खाते पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ननक)	1,422.43	1,595.97
23	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (धारा 80प)	506.95	568.80
24	धारा 87 क के अंतर्गत छूट	29,950.00	33,603.90
25	वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक छूट सीमा	1,941.66	2,178.54
26	वरिष्ठतम नागरिकों के लिए अधिक छूट सीमा	610.11	684.54
	कुल	**128,244.23**	**143,890.03**

व्यष्टि करदाताओं के मामले में विभिन्न बचत लिखतों में निवेश करने, आवास ऋण की अदायगी और बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के तहत आते हैं) के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करने का राजस्व प्रभाव सबसे बड़ा एकल कर व्यय है जिसके बाद पांच लाख रुपये तक की आय वाले निवासी व्यष्टियों (भारतीयों) के मामले में कर पर छूट, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर कटौती और नई पेंशन योजना में अंशदान का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक बुनियादी छूट सीमाओं के कारण कर व्यय भी महत्वपूर्ण है। लाभ आधारित कटौतियों के संबंध में अधिकतम कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-झक और धारा 80-झग के कारण है।

घ. धर्मार्थ संस्थान

आयकर अधिनियम में सरकार द्वारा वित्त पोषित धर्मार्थ प्रकृति के कार्य में लगे संस्थानों सहित विभिन्न संस्थानों को छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया है। इसके अलावा, सामाजिक प्रयोजनों को पूरा करने वाले कतिपय क्रियाकलापों में संलग्न संस्थानों के लिए विशिष्ट छूट भी उपलब्ध है। इन संस्थानों को दान, स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त होते हैं और धर्मार्थ प्रकृति के क्रियाकलापों से अन्य आय प्राप्त होती है। ऐसे संस्थानों की कुल प्राप्तियों को उन प्रयोजनों के लिए लागू करने की अपेक्षा है जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है। इन संस्थानों को आयकर विवरणी फाइल करना अपेक्षित है। 31 मार्च, 2022 तक ऐसे संस्थानों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की गई विवरणियों की कुल संख्या, निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए 231,858 है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान धर्मार्थ और धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसे संस्थानों द्वारा प्रयुक्त कुल राशि 706,236.40 करोड़ रुपये है।

परिशिष्ट

पूरे उद्योग में कंपनियों की प्रभावी कर दर, अधिभार और शिक्षा उपकर सहित
(वित्तीय वर्ष 2020-21) (कंपनियों की संख्या - 961,279)

क्र.सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	कर से पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर की दर (% में)
1	कृषि, पशुपालन और वानिकी	कृषि और पशुपालन सेवाएं	6,174	937.10	180.51	19.26
2	कृषि, पशुपालन और वानिकी	मुर्गी पालन और अंडे का उत्पादन	695	1,806.19	348.55	19.30
3	कृषि, पशुपालन और वानिकी	चाय का उत्पादन और विनिर्माण	1,160	916.36	229.09	25.00
4	कृषि, पशुपालन और वानिकी	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	10,439	2,751.06	485.97	17.66
6	मत्स्य पालन	समुद्री और ताजे पानी की मात्स्यिकी,फिश हैचरी और मत्स्य पालन से संबंधित सेवाएं	91	9.56	4.56	47.73
7	मत्स्य पालन	अन्य	397	150.39	47.68	31.71
8	खनन और उत्खनन	कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण	145	14,351.23	4,281.89	29.84
9	खनन और उत्खनन	कठोर कोयले का खनन और ढेर	131	24,147.64	5,216.82	21.60
10	खनन और उत्खनन	यूरेनियम और थोरियम अयस्क के अतिरिक्त अलौह धातु अयस्कों का खनन	50	25,999.22	2,772.20	10.66
11	खनन और उत्खनन	लौह अयस्क का खनन	224	10,460.20	2,332.61	22.30
12	खनन और उत्खनन	अन्य	3,823	6,047.36	2,361.96	39.06
13	विनिर्माण	परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	360	96,116.54	15,853.44	16.49
14	विनिर्माण	फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पादों का विनिर्माण	6,726	91,151.50	21,584.25	23.68
15	विनिर्माण	मोटर वाहनों का विनिर्माण	440	18,340.67	7,999.44	43.62
16	विनिर्माण	मोटर वाहन और इंजन के पुर्जे और सहायक उपकरण का विनिर्माण	3,278	14,144.82	5,824.32	41.18
17	विनिर्माण	इस्पात उत्पादों का विनिर्माण	4,071	70,019.73	8,859.39	12.65
18	विनिर्माण	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	4,261	32,412.17	8,476.10	26.15
19	विनिर्माण	तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण	341	19,218.60.	4,255.11	22.14
20	विनिर्माण	वस्त्रों का विनिर्माण (हथकरघा के अलावा)	9,081	10,944.23	4,314.00	39.42
21	विनिर्माण	विद्युत मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण	2,461	1,986.80	755.33	38.02
22	विनिर्माण	सीमेंट, चूना और प्लास्टर का विनिर्माण	692	26,113.45	6,675.62	25.56
23	विनिर्माण	अन्य खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	4,447	18,174.32	3,164.15	17.41
24	विनिर्माण	रेडियो, टेलीविजन, संचार सामग्री और उपकरण का विनिर्माण	298	7,761.76	1,948.89	25.11
25	विनिर्माण	साबुन और डिटर्जेंट का विनिर्माण	353	2,187.60	548.43	25.07
26	विनिर्माण	उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिकों का विनिर्माण	1109	10,293.07	2,503.17	24.32
27	विनिर्माण	रबर उत्पादों का विनिर्माण	1161	7,787.99	2,305.68	29.61
28	विनिर्माण	पेंट, वार्निश और समान कोटिंग्स का विनिर्माण	777	7,080.28	1,904.42	26.90
29	विनिर्माण	प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	3,470	6,317.97	2,000.48	31.66
30	विनिर्माण	कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण	2,698	1,678.60	1,037.20	61.79
31	विनिर्माण	इंजन और टर्बाइन का विनिर्माण	203	2,787.60	951.21	34.12

क्र.सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	कर से पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर की दर (% में)
32	जल उत्पादन	गैर-वर्गीकृत विद्युत सहित अन्य	97,914	187,080.37	61,272.72	32.75
33	विद्युत, गैस और जल	गैस का निर्माण और वितरण	329	10,225.83	2,439.76	23.86
34	विद्युत, गैस और जल	अन्य आवश्यक वस्तु सेवा एन.ई.सी	2,246	603.35	96.48	15.99
35	निर्माण	सड़कों, रेल, पुल, सुरंग, पत्तन, बंदरगाह, रनवे आदि का निर्माण और रखरखाव	5,408	31,153.40	10,547.98	33.86
36	निर्माण	पूर्ण निर्माण या पाट्‌र्स सिविल ठेकेदार का भवन	18,791	4,653.31	2,817.20	60.54
37	स्थावर सम्पदा एवं रेंटल सेवाएं	लॉट में अचल संपत्ति का विकास और उप-विभाजन	9,281	1,295.39	1,039.71	80.26
38	स्थावर सम्पदा एवं रेंटल सेवाएं	स्व-स्वामित्व भवन (आवासीय और गैर-आवासीय) वाली अचल संपत्ति का संचालन	3,645	1,429.34	1,174.52	82.17
39	स्थावर सम्पदा और रेंटल सेवाएं	पट्टे पर दिए गए भवनों (आवासीय और गैर-आवासीय) की खरीद, बिक्री और किराये पर देना	6,093	1,463.47	935.97	63.96
40	स्थावर सम्पदा और रेंटल सेवाएं	शुल्क पर या अनुबंध के आधार पर अचल संपत्ति गतिविधियां	6,075	451.78	395.59	87.56
41	थोक एवं खुदरा व्यापार	थोक में इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और उपकरण	3,460	4,114.02	1,336.78	32.49
42	थोक एवं खुदरा व्यापार	मोटर वाहनों की थोक और खुदरा बिक्री	3,678	1,393.45	800.02	57.41
43	थोक एवं खुदरा व्यापार	अन्य मशीनरी, उपकरण और आपूर्ति का थोक	2,975	1,453.31	577.25	39.72
44	थोक एवं खुदरा व्यापार एवं आतिथ्य सेवाएं	गैर-वर्गीकृत सेवाओं सहित अन्य	163,231	36,519.30	21,240.26	58.16
45	परिवहन एवं संभारतंत्र सेवाएं	सड़क मार्ग द्वारा माल परिवहन	4,096	940.90	757.35	80.49
46	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और बट्टा घर	353	165,949.06	42,273.22	25.47
47	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक ऋण गतिविधियाँ	2,314	20,946.60	10,099.16	48.21
48	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	47,459	179,962.77	61,546.58	34.20
49	कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं	सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं	24,370	163,684.88	41,698.32	25.47
50	कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं	अन्य आईटी सक्षम सेवाएं	24,070	41,964.00	13,122.24	31.27
51	कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं	बीपीओ सेवाएं	2,254	5,888.51	1,662.16	28.23
52	कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं	अन्य	17,059	6,216.27	2,718.21	43.73
53	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	1,988	832.77	440.17	52.86
54	व्यवसाय	इंजीनियरिंग और तकनीकी परामर्श	4,609	3,159.47	1,352.04	42.79
55	व्यवसाय	व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियां	7,417	2,263.60	1,035.88	45.76
56	व्यवसाय	विज्ञापन	2,469	1,054.37	331.66	31.46
57	व्यवसाय	वास्तुकला व्यवसाय	1,087	108.23	45.46	42.00
58	व्यवसाय	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	22,101	1,860.92	1,109.84	59.64
59	शिक्षा सेवाएं	प्राथमिक शिक्षा	702	66.56	36.18	54.36
60	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	2,105	1,172.10	1,106.83	94.43
61	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	निदान केंद्र	1,641	1,975.65	478.37	24.21
62	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ	सामान्य अस्पताल	2,455	954.96	356.32	37.31
63	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ	अन्य	9,070	860.32	524.19	60.93
64	संस्कृति और खेल	टेलीविजन चैनल प्रसारण	490	7,430.89	2,016.43	27.14
65	संस्कृति और खेल	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	4821	1,082.66	802.61	74.13

वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए सीमाशुल्क पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण (अनुमानित)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई दरों पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत माल पर सीमाशुल्क वसूला जाता है (इसे आम तौर पर मूल सीमाशुल्क – बीसीडी कहा जाता है)। कतिपय मदों पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्यात शुल्क भी वसूला जाता है।

2.1 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में वैयक्तिक टैरिफ की सीमा के लिए विनिर्दिष्ट इन दरों को आम तौर पर ''टैरिफ दरें'' कहा जाता है। इसके अलावा, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या संबंधित वित्त अधिनियमों में टैरिफ दरों से कमतर सीमाशुल्क दरें अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दिया जाता है [सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 25(1) के तहत, जिसे विभिन्न वित्त अधिनियमों के तहत वसूले जाने वाले शुल्कों पर भी लागू किया गया है]। ऐसी छूट संबंधी अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित की गई इन दरों को ''प्रभावी दरें'' कहा जाता है।

2.2 इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी की गई छूट संबंधी अधिसूचनाओं को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(i) सशर्त छूट अधिसूचनाएं; और

(ii) बिना शर्त की छूट अधिसूचनाएं।

2.3 बिना शर्त की छूट अधिसूचनाओं में किसी माल के लिए सीमाशुल्क की सामान्य प्रभावी दरें निर्धारित की जाती हैं। ये दरें उक्त माल के सभी आयातों पर बिना किसी शर्त के लागू होती हैं। अन्य शब्दों में, ऐसी बिना शर्त की छूटें किसी सामान के लिए प्रभावत: एमएफएन दर निर्धारित करती हैं।

2.4 सशर्त छूटें, दूसरी ओर,जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है, उच्च टैरिफ दर या एफएन दर की तुलना में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रभावी दरों को निर्धारित करती हैं। ऐसी सशर्त अधिसूचनाएं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हैं, उदाहरण के लिए, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, रक्षा खरीद, आदि । ऐसे मामलों में, केवल ऐसी दरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करनेवाली आयात ही ऐसी प्रभावी दरों के पात्र होंगे। वस्तुत:, ऐसी छूटों के परिणामस्वरूप प्रासंगिक टैरिफ/ एमएफएन दर की तुलना में परित्यक्त राजस्व होता है।

2.5 **<u>निर्यात योजनाओं के तहत सीमाशुल्क रहित आयात:</u>** निर्यात सामानों में लगने वाले कच्चे माल और इनपुट की खरीद के लिए कुछ छूटें प्रदान की गई हैं। वस्तुत:, ऐसी छूटें निर्यातों की शून्य रेटिंग के लिए निर्यातों पर कर को निष्प्रभावी करने मात्र का कार्य करती हैं। निर्यातों की शून्य रेटिंग पर लक्षित की जा रही ये छूटें प्रभावी रूप से, बीसीडी रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व का कारण नहीं बनती हैं।

2.6 **<u>स्क्रिप दर के माध्यम से प्रदान की गई निर्यात से जुड़ी छूटें या प्रोत्साहन</u> :** निर्यातकों को छूट या प्रोत्साहन प्रदान करने वाली कुछ योजनाएं हैं। निर्यात सामानों पर राज्यों और केंद्र के कुछ निहित करों वसूलियों के बदले छूट दी जाती है। आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं। ऐसी अन्य योजनाएं हैं, जो प्रोत्साहन आधारित होती हैं। एमईआईएस, एसईआईएस आदि ऐसी योजनाओं के उदाहरण हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, मुक्त रूप से व्यापार योग्य स्क्रिप के रूप में ऋण अनुमत है। इस ऋण को आयातों पर मूल सीमाशुल्क (सीबीडी) के किसी भुगतान के लिए समाप्त किया जा सकता है। बीसीडी के भुगतान के लिए स्क्रिप के उपयोग को वर्ष 2020-21 तक परित्यक्त राजस्व के रूप में माना गया था। तथापि, परिवर्तित लेखांकन प्रक्रिया में, वास्तविक प्रकृति पर विचार करते हुए स्क्रिप के माध्यम से किए गए सीमाशुल्क भुगतान को अब राजस्व के रूप में माना जाता है और निर्यातक को इस प्रकार अनुमत किए गए सीमाशुल्क ऋण को व्यय के रूप में गिना जाता है। यह संशोधित पद्धति 2021-22 से अपनाई गई है और 2022-23 में भी यही पद्धति जारी है।

3. **<u>एफटीए</u> :** भारत ने कई देशों या देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौते, समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते और समग्र आर्थिक सहयोग समझौते किए हैं। समान रूप से, भारत सूचना प्रौद्योगिकी समझौता-। का भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। इस समझौते के तहत, भारत ने ऐसे समझौते के तहत शामिल किए गए विशिष्ट सामानों पर कमतर दर/छूट हेतु स्वयं को बाध्य कर लिया है। ये वरीय टैरिफ सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, **1962** की धारा 25 के तहत भी अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं। **स्वतंत्र दायित्वों के भाग के रूप में प्रदान की गई ऐसी वरीय टैरिफ दरें, ऐसे समझौतों में शामिल आयातों के लिए लागू सामान्य दर भी होती हैं।**

4. इसलिए, ऊपर स्पष्ट किए गए अनुसार, चूंकि बिना शर्त की छूटें और स्वतंत्र देयताओं के तहत प्रदत्त छूटें संबंधित माल के लिए प्रभावत: एमएफएन (प्रभावी दर) निर्धारित करती हैं, इसलिए कर छूटों के राजस्व प्रभाव के लिए अधिक उपयुक्त अनुमान मात्र सशर्त छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व ही होगा।

5. **वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए राजस्व प्रभाव मूल्यांकन (अनुमानित) :** विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के तहत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान आयातकों द्वारा विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) स्थानों पर सीमाशुल्क इलैक्ट्रॉनिक इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) में दायर की गई बिल्स ऑफ एंट्री से किया जाता है। आईसीईएस में कैप्चर नहीं किए गए आयातों के मामले में परित्यक्त राजस्व का आकल करने के लिए अतिरिक्त प्रक्षेप किया जाता है। वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए कुल आयातों का **94%** और वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए कुल आयातों का **96%** आईसीईएस के माध्यम से किया गया (अनुमानित)।

6.1 ऊपर दी गई कार्यपद्धति के आधार पर, वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिए सीमाशुल्क पक्ष पर कर छूटों का राजस्व प्रभाव (अनुमानित) नीचे दिया गया है:

तालिका I : मूल सीमाशुल्क संबंधी कर छूटों के कारण राजस्व प्रभाव

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	सूत्र	राजस्व प्रभाव (2021-22)	राजस्व प्रभाव (2022-23) (अनुमानित)
क.	**ईडीआई डाटा के अनुसार टैरिफ दर के कम विभिन्न दरों पर बीसीडी संग्रहण के कारण**	क.1+क.2+क.3	**3,66,345**	**3,89,849**
के कारण :-				
क.1	ईडीआई डाटा के अनुसार बिना किसी शर्त/ तकनीकी बीसीडी छूटें	-	2,58,210	2,78,003
क.2	ईडीआई डाटा के अनुसार एफटीए/पीटीए/ सीईसीए/ सीईपीए (तालिका II देखें)	-	72,716	79,164
क.3	सशर्त बीसीडी छूटें- ईडीआई अवस्थान (तालिका III देखें)	-	35,419	32,682
ख.	**सशर्त बीसीडी छूटों का परित्यक्त राजस्व (ईडीआई + गैर-ईडीआई अवस्थान)**	(क.3)x100/ङ#	**37,680**	**34,044**
ग.	इनपुट कर निष्प्रभावीकरण योजना के कारण राजस्व प्रभाव (संदर्भ तालिका IV)	-	50,951	68,436
घ.	**सकल परित्यक्त सीमाशुल्क (सीमाशुल्क टैरिफ छूटों के कारण)**	**-**	**37,680**	**34,044**

स्रोत: डीजी (प्रणा.), सीबीआईसी एवं मुख्य सीसीए

#ङ अतिरिक्त प्रक्षेपण कारक हैं जो वर्ष 2021-22 के लिए 94 प्रतिशत के समान तथा वर्ष 2022-23 के लिए 96 प्रतिशत के समान है (अनुमानित) इन्हें आईसीईएस में दर्ज नहीं किए गए आयातों को शामिल करने के लिए बनाया गया है।

6.2 ईडीआई डाटा के अनुसार वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के संबंध में राजस्व प्रभाव का विवरण (अनुमानित) (ऊपर की तालिका I में क्र.सं. क.2 का संदर्भ लें) नीचे दिया गया है:

तालिका II: एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के संबंध में राजस्व प्रभाव

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए देश/क्षेत्र	राजस्व प्रभाव (2021-22)	राजस्व प्रभाव (2022-23) (अनुमानित)
1	आशियान देशों से आयातित विशिष्ट माल के लिए रियायती दर पर सीमा शुल्क वसूली के कारण	27,091	33,706
2	कोरिया से आयातित विशिष्ट माल के लिए रियायती दर पर सीमा शुल्क वसूली के कारण	9,339	10,727
3	जापान से आयातित माल के लिए रियायती दर पर सीमा शुल्क वसूली के कारण	7,586	9,062
4.	मलेशिया से आयातित माल के लिए रियायती दर पर सीमा शुल्क वसूली के कारण	922	968
5.	दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, अन्य वरीय व्यापार समझौते, अत्यधिक कम विकसित देशों आदि से आयातित माल के लिए रियायती दर पर सीमा शुल्क वसूली के कारण	25,440	22,427
6.	अन्य	2,338	2,274
	कुल	**72,716**	**79,164**

स्रोत: डीजी (प्रणा.), सीबीआईसी

6.3 वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव का विवरण (अनुमानित) (ऊपर तालिका I में क्र.सं. क.3 का संदर्भ लें) नीचे दिया गया है: -

तालिका III: सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव (ईडीआई)

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	राजस्व प्रभाव (2021-22)	राजस्व प्रभाव (2022-23) (अनुमानित)
1	मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयुक्त विशिष्ट माल को दी गई छूट के कारण (अधिसूचना सं 57/2017-सीमाशुल्क)	4,237	3,794
2	खनिज ईंधनों/खनिज तेल आदि पर बीसीडी छूटों के कारण (अधिसूचना सं 52/2017-सीमाशुल्क)	1,520	653
3	आईटीए बाउंड माल के विनिर्माण को बीसीडी छूटे के कारण (अधिसूचना सं 24/2005-सीमाशुल्क और 25/2005-सीमाशुल्क)	629	753
4	सार्वजनिक वित्तपोषण या सरकारी विभाग आदि द्वारा आयातित अनुसंधान उपकरणों को दी गई छूट के कारण (अधिसूचना सं 51/1996-सीमाशुल्क)	220	202
5	अन्य मदों के लिए दी गई छूट और सीमाशुल्क की प्रभावी दरों के कारण (क्र.सं. 1 से 4 तक में उल्लिखित के अलावा)	28,813	27,280
	कुल (ईडीआई)	**35,419**	**32,682**
	कुल (ईडीआई + गैर ईडीआई)*	**37,680**	**34,044**

स्रोत: डीजी (प्रणा.), सीबीआईसी

6.4 वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार आयात संवर्धन योजनाओं के कारण राजस्व प्रभाव का विवरण (अनुमानित (ऊपर तालिका I में क्र.सं. ग का संदर्भ लें) नीचे दिया गया है: -

तालिका IV: आयात संवर्धन योजनाओं के कारण राजस्व प्रभाव

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	राजस्व प्रभाव (2021-22)	राजस्व प्रभाव (2022-23, नवम्बर तक)	राजस्व प्रभाव (2022-23) (अनुमानित)
1	उन्नत प्राधिकरण योजना	12,514#	10,997	16,496
2	ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी	6,749#	5,226	7,838
3	ईपीसीजी	3,067#	2,529	3,793
4	सीईजेड	27,973@#	29,548@*	39,397
5	शुल्क रहित आयात प्राधिकरण योजना	648#	608	912
	कुल	**50,951**	**48,908**	**68,436**

स्रोत: डीजी (प्रणा.), सीबीआईसी

 # वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक।

@एसईजेड के संबंध में वाणिज्य विभाग से आंकड़े प्राप्त हुए।

** दिसम्बर, 2022 तक की अवधि के आंकड़े।*

अनुबंध-8

राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग
31 मार्च, 2023 के अनुसार

(₹ करोड़)

	विवरण	वास्तविक (अन.) 2021-2022	संशोधित अनुमान 2022-2023	बजट अनुमान 2023-2024
क.	**निधियों के स्रोत :**			
	लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां :			
	बचत जमा राशियां			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	1058351.37	1252537.92	1449683.52
	वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	194186.55	197145.60	245787.89
	बचत प्रमाण-पत्र			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	286905.75	333957.61	375775.95
	वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	47051.86	41818.34	46781.71
	लोक भविष्य निधि			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	742189.46	834147.64	943684.97
	वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	91958.18	109537.33	116972.31
	कुल जमा राशियां	**2420643.17**	**2769144.44**	**3178686.35**
	वर्ष के दौरान निवल संग्रहण	**333196.59**	**348501.27**	**409541.91**
ख.	**निधियों का उपयोग :**			
	31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशियों के प्रति केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	64569.19	64569.19	64569.19
	घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	...	...
	1.4.1999 से संग्रहणों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	786855.95	1209421.52	1464449.02
	वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	509314.11	392707.45	424198.42
	घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-86748.54	-137679.95	-176950.70
	1.4.1999 से संग्रहणों में से राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	415506.35	390929.97	355848.96
	वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	28690.18	14635.65	21052.65
	घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-53266.56	-49716.66	-51180.23
	प्रतिभूतियों के मोचन से प्राप्त राशियों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	481226.59	609929.97	793821.47
	वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	128703.38	183891.50	224069.28
	घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	...	...
	सरकारी एजेंसियों में निवेश			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	125636.00	85570.00	85920.00
	वर्ष के दौरान वृद्धि	1434.00	350.00	...
	घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-41500.00	...	...
	बीएमटीपीसी में निवेश			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	33000.00	...	...
	वर्ष के दौरान वृद्धि	...	...	...
	घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-33000.00	...	...
	एयर इंडिया में निवेश			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	7636.00	...	...

(₹ करोड़)

विवरण	वास्तविक (अन.) 2021-2022	संशोधित अनुमान 2022-2023	बजट अनुमान 2023-2024
वर्ष के दौरान वृद्धि	864.00	...	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-8500.00	...	...
एमटीएनएल में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	570.00	920.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	570.00	350.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	...
अन्य सरकारी एजेंसियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	85000.00	85000.00	85000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	...	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	...
कुल निवेश	**2360420.65**	**2764608.64**	**3205798.07**
संचित संतुलन आय(-)/व्यय (+) लेखा	41143.50	4535.80	-27111.72
नकद शेष	19079.02	...	...
जोड़	**2420643.17**	**2769144.44**	**3178686.35**

भाग ख

आस्ति और देयता विवरण

1. भारत सरकार के ऋण की स्थिति

भारत सरकार के बकाया आंतरिक और बाह्य ऋण और अन्य देनदारियों की राशि, 2022-2023 (सं.अ.) के अंत के 152,61,122.12 करोड़ रुपए की तुलना में 2023-24 के अंत में 169,46,666.85 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2024 को
आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	147,77,724.43	164,23,983.04
बाह्य ऋण #	4,83,397.69	5,22,683.81
जोड़	**152,61,122.12**	**169,46,666.85**

 # बाह्य ऋण मूल विनिमय दर पर।

टिप्पणी : केन्द्र सरकार के ऋण/देनदारियों के, जिनमें चालू विनिमय-दर पर बाह्य ऋण, ईबीआर और समायोज्य नकदी शेष सम्मिलित है, 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार क्रमशः ₹155.77 लाख करोड़ और ₹172.50 लाख करोड़ होने का अनुमान है।

आंतरिक कर्ज के अंतर्गत खुले बाजार से जुटाए गए ऋण, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं। इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य निवेशकों के नाम जारी की गई राजकोषीय हुंडियों सहित राजकोषीय हुंडियों के जरिए उधारियां तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गई अपरक्राम्य, निर्ब्याज रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, और वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2021-22 तक के प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर बकाया सरकारी ऋण तथा जिसके 2022-23 और 2023-2024 की समाप्ति पर बकाया रहने का अनुमान था, का विश्लेषण देनदारी विवरण में दिया गया है। आंतरिक और बाह्य कर्ज के अंतर्गत बकाया राशि सरकार की देनदारी को प्रदर्शित करती हैं जैसा कि बकाया कर्ज के अंकित मूल्य में दिखाया गया है। बाह्य देनदारियों के बकाया स्टॉक का अंकन मूल विनिमय दरों पर किया जाता है जिस पर देयता का हिसाब चालू विनिमय दरों पर की गई वापसी-अदायगी को घटाने के बाद प्रारंभिक तौर पर लेखा बही में लिया गया था।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों, तेल विपणन कम्पनियों, उर्वरक कम्पनियों, भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि की मूल्यह्रास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों आदि, स्थानीय निधियों की जमा राशि और सिविल जमा राशि की बकाया राशि की वापसी-अदायगी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी देनदारियों का ब्यौरा देनदारियों के विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2021-2022 के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों की स्थिति जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, गांरटी संबंधी विवरण में दी गयी है।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर के विवरण, जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, को भी शामिल किया गया है।

परिसम्पत्तियों के विवरण में सरकार द्वारा जुटाई गई उसी धनराशि को दिखाया गया है जो परिसम्पत्ति निर्माण प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई है। इन परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य में भी दिखाया गया है, अर्थात् इसमें चालू बाजार दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य में ह्रास/वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और इसमें वैसी परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार की अनुदान सहायता से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है।

1 (i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
क लोक ऋण	**2054.33**	**7344902.16**	**8319740.38**	**10298015.02**	**11901697.58**	**13591376.43**	**15253915.68**
1. आंतरिक ऋण	**2022.30**	**7074941.31**	**8020490.14**	**9909542.57**	**11462342.80**	**13107978.74**	**14731231.87**
(i) बाजार ऋण (अनुबंध 2, 2क, 2ख)	1444.95	5500141.10	5986127.21	7135144.44	8026724.96	9141156.43	10251963.65
(ii) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां (अनुबंध 2 ग)	0.00	47687.95	35687.95	33410.99	33359.99	24687.95	16687.95
(iii) पीएसबी को जारी विशेष प्रतिभूतियां (अनुबंध 2ठ)	...	186000.00	251443.00	263562.00	268162.00	268162.00	268162.01
(iv) पुनः पूंजीकृत बांड, अन्य सरकारी नियंत्रित बैंकिंग संस्थाएं (अनुबंध 2ड, 2ढ, 2ण)	...	4500.00	14904.60	22785.60	22785.60	22785.60	22785.60
(v) प्रतिपूर्ति एवं अन्य बांड	6.73	46867.91	53225.94	72906.22	85643.34	91242.75	86126.26
(vi) सॉवरेन स्वर्ण बांड 2015	...	7336.40	9652.77	25690.02	38498.21	50198.21	59898.21
(vii) स्वर्ण मौद्रिक योजनाएं	...	2854.34	4406.14	5670.74	7060.43	7790.43	8603.43
(viii) 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	122335.52	154910.84	205575.74	216766.00	216766.00	216766.00
(ix) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	358.02	92183.45	82583.38	93296.60	138735.95	143165.37	156165.37
(x) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	119802.81	158156.60	139413.74	210666.06	273043.32	296514.63
(xi) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	208896.00	217670.00	458240.00	407796.43	440989.75	454518.44
(xii) अर्थोपाय अग्रिम	...	...	...	...	...	...	...
(xiii) नकद प्रबंधन हुंडियां	...	...	80000.00	...	...	...	...
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	212.60	106522.96	101908.83	100301.07	101329.47	94151.25	87883.64
(xv) लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां	0.00	608919.19	848919.20	1332651.73	1883920.68	2322839.68	2794156.68
(xvi) पीओएलआईएफ के तहत शेष के प्रतिभूतिकरण के लिए निर्गमित विशेष (अनुबंध 2घ)	...	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	11000.00	11000.00
2. विदेशी ऋण*	**32.03**	**269960.85**	**299250.24**	**388472.45**	**439354.78**	**483397.69**	**522683.81**
ख. अन्य देनदारियां	**811.07**	**1738612.87**	**1899626.94**	**1782166.06**	**1665101.88**	**1670045.69**	**1693051.17**
1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि	336.87	892688.74	932963.66	754794.88	536722.52	446304.79	412060.08
2 राज्य भविष्य निधियां	95.05	216794.84	228430.17	246943.77	257260.43	277260.43	297260.43
3 अन्य खाते	16.10	326619.35	433789.52	446479.15	451353.43	440706.71	395124.65
(i) सब्सिडियों के बदले विशेष प्रतिभूतियां (ओएमसी, उर्वरक कंपनियां और एफसीआई) (अनुबंध 2ड., 2च, 2छ)	0.00	162827.90	162827.90	162827.90	124104.90	110831.05	91365.05
(ii) अन्य मदें	16.10	163791.45	270961.62	283651.25	327248.53	329875.66	303759.60
4 आरक्षित निधियां और जमाराशियां	363.05	302509.94	304443.59	333948.26	419765.50	505773.76	588606.01
(i) सब्याज	260.85	211436.27	160861.89	215479.55	248846.45	297150.69	358997.24
(ii) निर्ब्याज	102.20	91073.67	143581.70	118468.71	170919.05	208623.07	229608.77
जोड़-देनदारियां	**2865.40**	**9083515.03**	**10219367.32**	**12080181.08**	**13566799.46**	**15261422.12**	**16946966.85**
विभाजन-पूर्व ऋण में पाकिस्तान द्वारा देय रकम का हिस्सा (लगभग)	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
केन्द्रीय सरकार की निवल देनदारियां	2565.40	9083215.03	10219067.32	12079881.08	13566499.46	15261122.12	16946666.85
देनदारियों की अपेक्षा पूंजी परिव्यय और ऋणों का आधिक्य							
जोड़ (निवल)	**2565.40**	**9083215.03**	**10219067.32**	**12079881.08**	**13566499.46**	**15261122.12**	**16946666.85**

** शेष राशि अंकित मूल्य के अनुसार है।*

1 (ii) परिसम्पत्तियों का विवरण
(केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश और ऋण)

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
क. पूंजी परिव्यय							
1. सामान्य सेवाएं	**496.74**	**1237463.45**	**1360383.43**	**1503332.81**	**1657397.50**	**1825945.14**	**2012748.77**
(i) रक्षा सेवाएं	260.93	1097143.73	1208236.16	1342541.08	1480539.49	1630539.49	1793139.49
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	235.81	140319.72	152147.27	160791.73	176858.01	195405.65	219609.28
2. सामाजिक सेवाएं	**26.25**	**73044.21**	**82931.73**	**90542.73**	**100276.73**	**109918.94**	**122219.00**
3. आर्थिक सेवाएं	**965.02**	**1596007.74**	**1844559.53**	**2036368.68**	**2376822.83**	**2753554.35**	**3346155.35**
(i) कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	7.78	23127.39	26480.25	28829.39	37529.66	40941.75	41166.73
(ii) ग्रामीण विकास	...	92.25	95.77	116.56	149.46	149.46	171.50
(iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	...	5559.83	6139.43	7134.87	9364.44	24723.36	49565.16
(iv) जल और विद्युत विकास	5.59	70095.89	67254.77	70370.04	74241.79	76743.26	115797.54
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5.59	1395.18	1661.08	1801.62	1974.01	2238.33	2562.58
(ख) ऊर्जा	...	68700.71	65593.69	68568.42	72267.78	74504.93	113234.96
(v) उद्योग और खनिज	34.34	82561.11	94404.67	99202.10	105562.78	113699.10	120158.94
(vi) परिवहन	830.40	767051.50	906119.54	1028853.95	1293236.50	1649863.54	2135353.27
(क) रेलवे	817.93	408910.45	429780.79	522589.51	622815.26	781812.32	1021737.10
(ख) अन्य परिवहन सेवाएं	12.47	358141.05	476338.75	506264.44	670421.24	868051.22	1113616.17
(vii) संचार	49.98	30316.37	35536.41	40464.95	44407.07	82078.87	143924.60
(क) डाक सेवाएं	49.98	5026.68	5422.24	6099.66	6785.21	7766.74	8796.45
(ख) दूरसंचार सेवाएं	...	4719.39	4719.38	4719.38	4719.38	4719.38	4719.38
(ग) अन्य संचार सेवाएं	...	20570.30	25394.79	29645.91	32902.48	69592.75	130408.77
(viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	...	49301.91	58527.83	64558.90	74555.84	81566.06	90697.91
(ix) सामान्य आर्थिक सेवाएं	36.93	567901.49	650000.86	696837.92	737775.29	683788.95	649319.70
संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरण	...	...	...	...	...	5282.68	10705.08
कुल जोड़	**1488.01**	**2906515.40**	**3287874.69**	**3630244.22**	**4134497.06**	**4694701.11**	**5491828.20**
(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण							
राज्य सरकारें	195.58	167383.98	176514.13	199046.78	207691.71	304368.24	450825.06
जीएसटी के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को एक के बाद एक ऋण	...	...	...	110208.00	269208.00	269208.00	191104.00
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	...	4147.04	4300.04	4256.33	15313.29	15215.32	15183.45
विदेशी सरकारें	0.01	13557.87	14227.78	14456.20	14461.81	14930.00	15454.18
राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अधीन राज्यों के विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	471206.21	440437.97	415506.35	390929.97	355848.96	325721.38
अन्य लिखतों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि का निवेश	...	271636.00	366546.00	125636.00	85570.00	85920.00	85920.00
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को हानियां	...	113651.82	109461.53	78524.46	40724.84	4117.14	...
फण्ड मैनेजर सहित डाकघर बीमा कोष और हाथ-नकद	...	...	83146.35	93452.20	107767.12	97628.09	86475.15
सरकारी क्षेत्र के उद्यम, रेलवे विकास और राजस्व प्रारक्षित निधि, प्रारक्षित निधि, पत्तन न्यास, नगरपालिकाएं तथा सांविधिक निकाय, सहकारी और शैक्षणिक संस्थाएं, विस्थापित व्यक्तियों और निजी संस्थाओं आदि	24.58	125546.31	143246.57	230201.22	256720.36	264361.74	275340.17
सरकारी कर्मचारियों	0.51	159.12	182.83	224.64	298.12	348.12	423.12
जोड़	**220.68**	**1167288.35**	**1338063.20**	**1271512.18**	**1388685.22**	**1411945.61**	**1446446.51**
जोड़ पूंजी परिव्यय तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण	1708.69	4073803.75	4625937.89	4901756.40	5523182.28	6106646.72	6938274.71
कुल जोड़	**1708.69**	**4073803.75**	**4625937.89**	**4901756.40**	**5523182.28**	**6106646.72**	**6938274.71**
पूंजीगत परिव्यय और ऋण अग्रिम की तुलना में देयताओं की अधिकता	856.71	5009411.28	5593129.43	7178124.68	8043317.18	9154475.40	10008392.14
जोड़	**2565.40**	**9083215.03**	**10219067.32**	**12079881.08**	**13566499.46**	**15261122.12**	**16946666.85**

1 (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2021-22 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि को छोड़कर)		वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और/अथवा कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	40512.00 (6)	40512.00 (6)	...	17.64	...	...	40494.36 (6)	...	...	...
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग ^^	51679.15 (88)	27115.32 (64)	24563.83 (24)	3163.66 (5)	1770.84 (9)	...	46744.65 (74)	92.41	98.37	...
	वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग	0.01 (1)	0.01 (1)	...	...	...	...	0.01 (1)	...	...	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	9495.00 (1)	9495.00 (1)	...	...	...	...	9495.00 (1)	...	...	...
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ओद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग €	597.31 (1)	60.87 (1)	536.44	...	...	...	597.31 (1)	1.46	1.46	...
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय भेषज विभाग $	1152.60 (4)	1152.60 (4)	...	...	...	...	1152.60 (4)	91.94	...	...
	जोड़	**103436.07 (101)**	**78335.80 (77)**	**25100.27 (24)**	**3181.30 (5)**	**1770.84 (9)**	...	**98483.93 (87)**	**185.81**	**99.83**	...
2. शेयर पूंजी की अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी अथवा जुटाए गए बांडों अथवा ऋणों, ऋण पत्रों की अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रोरसायन विभाग £	...	...	...	...	...	...	...	8.50	...	...
	विद्युत मंत्रालय	7000.00 (2)	7000.00 (2)	...	...	...	...	7000.00 (2)	70.00	70.00	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	45000.00 (6)	37000.00 (5)	8000.00 (1)	8000.00 (1)	...	...	37000.00 (5)	...	...	...
	संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग *	22513.97 (10)	22513.97 (10)	...	...	...	...	22513.97 (10)	179.80	85.00	...
	जोड़	**74513.97 (18)**	**66513.97 (17)**	**8000.00 (1)**	**8000.00 (1)**	...	...	**66513.97 (17)**	**258.30**	**155.00**	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी सरकारों, संविदाकारों, आपूर्तिकर्ताओं, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों, इत्यादि का भुगतान और अथवा सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियों हेतु किए गये भुगतान के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	नागर विमानन मंत्रालय #	66643.98	34972.73	31671.25	44096.73	...	...	22547.25	2145.72	2145.21	...
		(43)	(39)	(4)	(37)			(6)			
	कोयला मंत्रालय	617.14	617.14	...	38.77	...	...	578.37	5.48	5.48	...
		(3)	(3)					(3)			
	विद्युत मंत्रालय	40072.84	38931.14	1141.70	3375.66	...	...	36697.18	74.68	74.68	...
		(43)	(43)					(43)			
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग **	13562.71	10691.54	2871.17	505.76	...	...	13056.95	64.67	64.70	...
		(5)	(5)					(5)			
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग **	200544.75	178127.49	22417.26	11745.86	...	...	188798.89	113.38	112.70	...
		(228)	(221)	(7)	(12)			(216)			
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	52.56	52.19	0.37	4.21	...	...	48.35	0.21	0.21	...
		(3)	(3)					(3)			
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	456.03	456.03	...	70.91	...	...	385.12	1.15	1.15	...
		(1)	(1)					(1)			
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	12068.65	11053.18	1015.47	730.94	...	...	11337.71	116.26	116.26	...
		(17)	(17)		(2)			(15)			
	इस्पात मंत्रालय	343.39	343.39	...	32.88	...	...	310.51	0.92	0.92	...
		(2)	(2)					(2)			
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग ##	1054.00	1054.00	...	...	...	...	1054.00	3.39	4.28	...
		(1)	(1)					(1)			
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ^	1055.01	1055.01	...	183.28	...	...	871.73	11.96	12.19	...
		(4)	(4)					(4)			
	विदेश मंत्रालय	70872.36	68989.96	1882.40	...	...	...	70872.36	...	...	...
		(8)	(8)					(8)			
	रेल मंत्रालय ***	8057.72	6405.14	1652.58	215.42	...	...	7842.30	79.18	79.18	...
		(2)	(2)					(2)			
	जोड़	**415401.14**	**352748.94**	**62652.20**	**61000.42**	...	...	**354400.72**	**2617.00**	**2616.96**	...
		(360)	**(349)**	**(11)**	**(51)**			**(309)**			
4. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियां अथवा दी गई सेवाओं के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी ऋण पत्रों या प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. केंद्र सरकार की कंपनियों या निगमों द्वारा रेलवे को बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. उपर्युक्त पांच श्रेणियों से इतर अन्य गारंटियां	**रेल मंत्रालय** ***	0.05 (1)	0.05 (1)	...	...	...	...	0.05 (1)	...	...	...
	जोड़	**0.05** **(1)**	**0.05** **(1)**	...	...	...	...	**0.05** **(1)**	...	...	...
	कुल जोड़	**593351.23** **(480)**	**497598.76** **(444)**	**95752.47** **(36)**	**72181.72** **(57)**	**1770.84** **(9)**	...	**519398.67** **(414)**	**3061.11**	**2871.79**	...

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

टिप्पणीः

^^ गारंटी शुल्क प्राप्य और प्राप्तियों में भिन्नता आईआईएफसीएल की आईआईएफसी (यूके) सब्सिडियों के संबंध में विनिमय दर भिन्नता के कारण हुआ है।

€ इस गारंटी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत अनभिप्रेत के रूप में दर्शाया गया है, जैसा कि पीएओ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से संबंधित है, तथा इसमें संशोधन किया गया है।

$ इंडियन ड्रग्स फार्मासियुटिकल्स लि. द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भी गारंटी शुल्क/कमिशन भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि कंपनी इसे भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी।

£ ₹8.50 करोड़ की राशि यह दर्शाता है कि एचओसीएल से अभी भी पेनल गारंटी शुल्क प्राप्त किया जाना है।

* गारंटी को एक करके वर्ष 2020-21 के दौरान संचार मंत्रालय द्वारा गारंटी की कुल संख्या 9 उल्लेख किया गया था। अब प्रत्येक गारंटी को अलग अलग रूप से जोड़कर वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 10 गारंटी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त ₹94.80 करोड़ की गारंटी शुल्क वर्ष 2021-22 से संबंधित है जिसे 2020-21 में दूरसंचार विभाग के लिए रखा गया था।

₹0.51 करोड़ की गारंटी शुल्क प्राप्य और प्राप्ति में भिन्नता पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया था।

** एनएचबी-₹287.24 करोड़ (4) नाबार्ड-₹640.15 करोड़ (6) और सिड्बी ₹5725.23 करोड़ (9) के संबंध में 31.03.2021 को समाप्ति तक बकाया राशि नियंत्रक कोड 116-डीएफएस में प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गारंटी शुल्क के रूप में आर्थिक कार्य विभाग से वित्तीय सेवाएं विभाग को अंतरित की गई थी। अतः इन गारंटियों को वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत दर्शाया गया है। वित्तीय सेवा विभाग के संबंध में गारंटी शुल्क प्राप्य और प्राप्तियों के बीच भिन्नता पूर्णांकित करने तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित वर्ष 2021-22 में 2021-22 में गारंटी शुल्क के अग्रिम भुगतान के कारण हुई है।

वर्ष 2021-22 में प्राप्य ₹3.39 करोड़ की गारंटी शुल्क प्राप्त हुई है जिसे वर्ष 2020-21 में शामिल किया गया है और वर्ष 2022-23 में ₹4.28 करोड़ की प्राप्य गारंटी शुल्क वर्ष 2021-22 में प्राप्त हुई थी।

^ वर्ष 2022-23 में प्राप्य गारंटी शुल्क ₹0.23 करोड़ है, परंतु यह वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ था।

*** उक्त गारंटी को पिछले वर्ष अनभिप्रेत के रूप में श्रेणी III और VI के स्थान पर श्रेणी II के अंतर्गत दर्शाया गया है।

इसमें सुधार कर लिया गया है।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त आंकड़ें मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा सूचित लेखा महानियंत्रक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित है। ये आंकड़ें बाद के रिकार्ड मिलान के कारण हुए परिवर्तनों से प्रभावित हो सकते हैं।
2. वर्ष 2022-22 के लिए निवल गारंटी संचय ₹ 23,570 करोड़ (कॉलम 5 से कॉलम 6 घटाकर) है । वर्ष 2021-22 के दौरान ₹95752.47 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी जो वर्ष 2021-2022 (अं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर जीडीपी का 0.40 प्रतिशत है।
3. वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए (जनवरी, 2023 तक) ₹ 66,643.18 करोड़ की गारंटियों को वचनबद्ध/अनुमोदित किया गया है जो वर्ष 2022-23 (एफएई) ब.अ. में अनुमानित जीडीपी का 0.24% है तथा यह 0.5% की सीमा के भीतर है।
4. गारंटियां ऋण की अवधि तक वैध हैं और तत्संबंधी गारंटी करार में यथाउल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन निकाय द्वारा ऋण की अदायगी की सीमा तक आंशिक रूप से समाप्त हो जाती है।

1 (iv) आस्तियां रजिस्टर

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अधीन

(रिपोर्टिंग वर्ष 2021-22, के अंत की स्थिति के अनुसार)
लागत (₹ करोड़)

	2021-22 के आरंभ में आस्तियाँ	वर्ष 2021-22 के दौरान अधिग्रहीत आस्तियाँ	वर्ष 2021-22 के अंत में आस्तियों का संचित योग
वास्तविक आस्तियाँ:			
भूमि	377797.10	-7793.69	370003.41
भवन			
कार्यालय	41214.37	650.92	41865.29
रिहायशी	19417.89	843.44	20261.33
सड़कें	12111.14	382.17	12493.31
पुल	12098.30	5.22	12103.52
सिंचाई परियोजनाएं	1348.40	0.76	1349.16
विद्युत परियोजनाएं	825.32	18.32	843.64
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	5382.90	189.47	5572.37
मशीनरी और उपस्कर	33715.06	966.18	34681.24
कार्यालय उपस्कर	3595.15	223.20	3818.35
वाहन	2393.92	74.85	2468.77
जोड़	509899.55	-4439.16	505460.39
वित्तीय आस्तियाँ			
इक्विटी निवेश			
शेयर	580477.94	42984.19	623462.13
बोनस शेयर	465.83	63.75	529.58
ऋण और अग्रिम			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण	4929.44	0.91	4930.35
विदेशी सरकारों को ऋण	15848.78	6.49	15855.27
कम्पनियों को ऋण	68457.86	370.30	68828.16
अन्य को ऋण	95466.93	18934.52	114401.45
अन्य वित्तीय निवेश			
रेलवे	504992.39	117270.40	622262.79
अन्य	186310.37	10.18	186320.55
जोड़	1456949.54	179640.74	1636590.28
कुल जोड़	**1966849.09**	**175201.58**	**2142050.67**

टिप्पणियां:

1. *₹ 2 लाख की न्यूनतम मूल्य से ऊपर की आस्तियों को ही दर्ज किया गया है।*
2. *राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के अनुसार इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग की आस्तियाँ शामिल नहीं हैं।*
3. *उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने सूचित किया है कि सीआरजेड-1बी वर्ग में अधिकतर साल्ट पैन भूमि के वर्गीकृत होने के कारण जमीन की कीमतों में ₹13620 करोड़ की राशि की कमी हुई है और मुंबई क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा इन वर्गीकृतों के लिए वार्षिक विवरण के सहज सुलभ दरों में अलग दरों को प्रस्तावित किया गया है। वार्षिक विवरण के सहज सुलभ दरों में अभी ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था।*
4. *सड़क अवसंरचना के निर्माण के लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएपएआई) के माध्यम से वित्त परिव्यय के तहत सड़क, परिवहन और हाइवे मंत्रालय (एमओआरटीएच) को प्रमुख आबंटन किया गया है। अब तक की स्थिति, एनएचआईए के बैलेंश शीट में निर्मित आस्तियों को दर्शाया गया है।*
5. *संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित ये आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ आस्तियों के मूल्यांकन और आंकड़े संगृहीत करने में सुधारों से संबंधित किसी चालू मिलान/परिसमापन/न्याय निर्णयन/प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समापन शेष (₹19,77,482.80 करोड़) और वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष (₹19,66,849.09) के बीच अंतर मुख्यतया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (₹12,862 करोड़) में वित्तीय आस्तियों में सुधार के कारण देखा गया। वित्त वर्ष 2020-21 में आर्थिक कार्य विभाग के तहत एनएससीआर और स्वामी के अंतर्गत ₹1,957.59 करोड़ की कुछ आस्तियों के शामिल नहीं किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत नई स्टेशन डाटा के 254.11 करोड़ शामिल नहीं थे आदि।*

2 - केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति 2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
7.80% सरकारी स्टॉक, 2021	11.04.2021	...	67492.66	67047.66	53272.44	...	...	...
7.94% सरकारी स्टॉक, 2021	24.05.2021	...	49425.00	48555.00	38700.55	...	...	...
10.25% सरकारी स्टॉक, 2021	30.05.2021	...	26213.32	26213.32	13213.32	...	...	...
6.17% सरकारी स्टॉक, 2021	15.07.2021	...	...	41206.57	34069.94	...	...	...
8.79% सरकारी स्टॉक, 2021	08.11.2021	...	83000.00	82330.46	75300.45	...	...	...
8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	56000.00	51984.54	48089.54	...	...	...
5.09% सरकारी स्टॉक, 2022	13.04.2022	...	...	...	59054.88	27354.88	...	...
8.35% सरकारी स्टॉक, 2022	14.05.2022	...	77000.00	77000.00	51095.00	47965.83	...	...
8.15% सरकारी स्टॉक, 2022	11.06.2022	...	83000.00	79000.00	73786.12	59669.12	...	...
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	66000.00	66000.00	61019.71	35727.94	...	...
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	68000.00	68000.00	61311.49	42506.49	...	...
3.96% सरकारी स्टॉक, 2022	09.11.2022	...	...	...	19545.05	28410.11	...	...
6.84% सरकारी स्टॉक, 2022	19.12.2022	...	99000.00	99000.00	88347.51	56967.76	...	...
6.30% सरकारी स्टॉक, 2023	09.04.2023	...	13000.00	13000.00	12710.00	12710.00	12710.00	
7.37% सरकारी स्टॉक, 2023	16.04.2023	...	39987.81	39987.81	35782.81	35642.81	27848.81	
7.68% सरकारी स्टॉक, 2023	27.04.2023	...	88132.01	88132.01	88132.01	87089.01	78834.22	
4.26% सरकारी स्टॉक, 2023	17.05.2023	...	...	...	...	38887.27	38887.27	
7.16% सरकारी स्टॉक, 2023	20.05.2023	...	77100.00	77100.00	77100.00	74275.00	66165.00	
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	6000.00	6000.00	4000.00	4000.00	4000.00	
4.48% सरकारी स्टॉक, 2023	02.11.2023	...	...	...	55925.29	55925.29	53925.29	
8.83% सरकारी स्टॉक, 2023	25.11.2023	...	83000.00	83000.00	68642.22	63142.22	56572.72	
4.56% सरकारी स्टॉक, 2023	29.11.2023	...	...	...	...	12500.00	32500.00	
7.32% सरकारी स्टॉक, 2024	28.01.2024	...	18000.00	87000.00	72710.38	66060.38	59532.89	
7.35% सरकारी स्टॉक, 2024	22.06.2024	...	90168.02	52448.33	52448.33	52448.33	52448.33	52448.33
6.69% सरकारी स्टॉक, 2024	27.06.2024	...	...	...	...	...	56000.00	56000.00
8.40% सरकारी स्टॉक, 2024	28.07.2024	...	90000.00	79533.53	79533.53	79533.53	70959.70	70959.70
6.18% सरकारी स्टॉक, 2024	04.11.2024	...	...	48552.51	102090.28	102090.28	79480.28	79480.28
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2024	07.11.2024	...	116965.03	116965.03	116965.03	89635.03	60635.03	60635.03
9.15% सरकारी स्टॉक, 2024	14.11.2024	...	92000.00	84062.54	84062.54	84062.54	78012.54	78012.54
6.89% सरकारी स्टॉक, 2025	16.01.2025	...	...	...	...	...	4000.00	4000.00
7.72% सरकारी स्टॉक,2025	25.05.2025	...	90031.81	90031.81	90031.81	90031.81	90031.81	90031.81
5.22% सरकारी स्टॉक,2025	15.06.2025	...	...	...	118000.00	118000.00	118000.00	118000.00
8.20% सरकारी स्टॉक, 2025	24.09.2025	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
5.15% सरकारी स्टॉक,2025	09.11.2025	...	...	...	116465.24	116465.24	116465.24	116465.24
7.59% सरकारी स्टॉक,2026	11.01.2026	...	119000.00	119000.00	119000.00	119000.00	119000.00	119000.00
7.27% सरकारी स्टॉक, 2026	08.04.2026	...	...	55000.00	60248.95	60248.95	60248.95	60248.95
5.63% सरकारी स्टॉक, 2026	12.04.2026	...	...	...	...	149503.14	149503.14	149503.14
8.33% सरकारी स्टॉक, 2026	09.07.2026	...	90000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00
6.97% सरकारी स्टॉक, 2026	06.09.2026	...	91578.39	89743.39	89743.39	89743.39	89743.39	89743.39
10.18% सरकारी स्टॉक, 2026	11.09.2026	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
5.74% सरकारी स्टॉक, 2026	15.11.2026	...	...	...	...	36000.00	81000.00	81000.00
8.15% सरकारी स्टॉक, 2026	24.11.2026	...	86489.21	82963.85	82963.85	82963.85	82963.85	82963.85
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	107000.00	107000.00	107000.00	107000.00	107000.00	107000.00
6.79% सरकारी स्टॉक, 2027	15.05.2027	...	121000.00	121000.00	121000.00	121000.00	121000.00	121000.00
7.38% सरकारी स्टॉक, 2027	20.06.2027	...	...	...	...	...	128000.00	128000.00
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	72300.68	96299.29	96299.29	96299.29	96299.29	96299.29
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	88748.48	88748.48	88748.48	90614.19	90614.19	90614.19
7.17% सरकारी स्टॉक, 2028	08.01.2028	...	113148.45	113148.45	113148.45	115583.73	115583.73	115583.73
6.01% सरकारी स्टॉक, 2028	25.03.2028	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.60% सरकारी स्टॉक, 2028	02.06.2028	...	84000.00	84000.00	84000.00	106230.30	106230.30	106230.30
6.13% सरकारी स्टॉक, 2028	04.06.2028	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2028	04.10.2028	...	...	...	...	28816.46	52816.46	52816.46
7.26% सरकारी स्टॉक, 2029	14.01.2029	...	28000.00	118830.80	118830.80	130708.88	130708.88	130708.88
7.59% सरकारी स्टॉक, 2029	20.03.2029	...	96236.79	96236.79	96236.79	124321.03	132853.75	132853.75
7.10% सरकारी स्टॉक, 2029	18.04.2029	...	...	...	...	...	140598.21	140598.21
6.45% सरकारी स्टॉक, 2029	07.10.2029	...	...	95840.16	114840.16	114840.16	114840.16	114840.16
6.79% सरकारी स्टॉक, 2029	26.12.2029	...	118801.13	118801.13	118801.13	118801.12	119829.66	119829.66
7.88 % सरकारी स्टॉक, 2029	19.03.2029	...	89000.00	89000.00	89000.00	117289.11	128713.54	128713.54
7.61% सरकारी स्टॉक, 2030	09.05.2030	...	85000.00	100989.44	100989.44	100989.44	100989.44	100989.44
5.79% सरकारी स्टॉक, 2030	11.05.2030	...	...	...	111618.58	111618.59	111618.59	111618.59
5.77% सरकारी स्टॉक, 2030	03.08.2030	...	...	...	123000.00	123000.00	123000.00	123000.00
9.20% सरकारी स्टॉक, 2030	30.09.2030	...	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55
5.85% सरकारी स्टॉक, 2030	01.12.2030	...	...	...	74405.32	119270.51	119270.51	119270.51
8.97% सरकारी स्टॉक, 2030	05.12.2030	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
6.10% सरकारी स्टॉक, 2031	12.07.2031	...	...	...	...	148000.00	148085.84	148085.84
6.68% सरकारी स्टॉक, 2031	17.09.2031	...	93251.70	93251.70	105397.51	105397.51	108956.93	108956.93
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2031	07.12.2031	...	46000.00	106000.00	120000.00	139915.72	139915.72	139915.72

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति 1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
6.54% सरकारी स्टॉक, 2032	17.01.2032	...	...	...	...	39000.00	156000.00	156000.00
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	109025.91	109025.91
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00
7.26% सरकारी स्टॉक, 2032	22.08.2032	...	...	...	...	...	148000.00	148000.00
7.95% सरकारी स्टॉक, 2032	28.08.2032	...	115000.00	121000.00	121000.00	121000.00	140505.55	140505.55
7.57% सरकारी स्टॉक, 2033	17.06.2033	...	...	94790.60	120790.60	120790.58	133292.46	133292.46
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2033	22.09.2033	...	...	...	94581.16	149481.97	149481.97	149481.97
8.24% सरकारी स्टॉक, 2033	10.11.2033	...	99275.00	99275.00	99275.00	99275.00	99579.03	99579.03
6.57% सरकारी स्टॉक, 2033	05.12.2033	...	66655.89	66655.89	95960.48	95960.48	95960.48	95960.48
7.50% सरकारी स्टॉक, 2034	10.08.2034	...	99101.13	99101.13	99101.13	99101.13	101254.68	101254.68
6.19% सरकारी स्टॉक, 2034	16.09.2034	...	...	...	127000.00	127000.00	127000.00	127000.00
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2034	30.10.2034	...	...	...	...	42800.05	54800.05	54800.05
7.73% सरकारी स्टॉक, 2034	19.12.2034	...	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	104000.92	104000.92
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2035	25.01.2035	...	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
6.22% सरकारी स्टॉक, 2035	16.03.2035	...	...	...	112654.57	112654.57	112654.56	112654.56
6.64% सरकारी स्टॉक, 2035	16.06.2035	...	...	...	...	145353.98	145353.99	145353.99
7.40% सरकारी स्टॉक, 2035	09.09.2035	...	97245.00	99245.00	99245.00	99245.00	99245.00	99245.00
6.67% सरकारी स्टॉक, 2035	15.12.2035	...	...	...	...	121421.11	153549.70	153549.70
7.54% सरकारी स्टॉक, 2036	23.05.2036	...	...	...	...	...	149000.00	149000.00
8.33% सरकारी स्टॉक, 2036	07.06.2036	...	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00
7.41% सरकारी स्टॉक, 2036	19.12.2036	...	...	...	...	...	33000.00	33000.00
6.83% सरकारी स्टॉक, 2039	19.01.2039	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
7.62% सरकारी स्टॉक, 2039	15.09.2039	...	...	38150.91	38150.91	38150.91	38150.90	38150.90
8.30% सरकारी स्टॉक, 2040	02.07.2040	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	92941.19	92941.19
8.83% सरकारी स्टॉक, 2041	12.12.2041	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	91771.39	91771.39
8.30% सरकारी स्टॉक, 2042	31.12.2042	...	104529.44	104529.44	104529.44	104529.44	105699.94	105699.94
7.69% सरकारी स्टॉक, 2043	17.06.2043	...	...	37000.00	37000.00	37000.00	37000.00	37000.00
9.23% सरकारी स्टॉक, 2043	23.12.2043	...	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28
8.17% सरकारी स्टॉक, 2044	01.12.2044	...	97000.00	97000.00	97000.00	97000.00	97000.00	97000.00
8.13% सरकारी स्टॉक, 2045	22.06.2045	...	98000.00	98000.00	98000.00	98000.00	98000.00	98000.00
7.06% सरकारी स्टॉक, 2046	10.10.2046	...	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
7.72% सरकारी स्टॉक, 2049	15.06.2049	...	...	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00
7.16 % सरकारी स्टॉक, 2050	20.09.2050	...	...	...	99798.36	99798.36	99798.36	99798.36
6.67 % सरकारी स्टॉक, 2050	17.12.2050	...	...	...	43664.07	149162.33	149162.33	149162.33
6.62 % सरकारी स्टॉक, 2051	28.11.2051	...	55000.00	55000.00	55000.00	55000.00	55000.00	55000.00
6.99 % सरकारी स्टॉक, 2051	15.12.2051	...	...	...	...	50525.00	146525.00	146525.00
7.36% सरकारी स्टॉक, 2052	12.09.2052	...	...	...	...	...	88000.00	88000.00
7.72% सरकारी स्टॉक, 2055	26.10.2055	...	92000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100969.24	100969.24
7.63% सरकारी स्टॉक, 2059	17.06.2059	...	...	83461.95	83461.95	83461.95	83461.95	83461.95
7.19% सरकारी स्टॉक, 2060	15.09.2060	...	...	...	98381.04	98381.04	98381.04	98381.04
6.80% सरकारी स्टॉक, 2060	15.12.2060	...	...	...	101176.43	101176.43	101176.43	101176.43
6.76% सरकारी स्टॉक, 2061	22.02.2061	...	...	...	12859.10	146999.93	147578.39	147578.39
6.95% सरकारी स्टॉक, 2061	16.12.2061	...	...	...	...	48000.00	148236.34	148236.34
7.40% सरकारी स्टॉक, 2062	19.09.2062	...	...	...	...	...	81548.03	81548.03
3.00% ऋण, 1896-97		8.93	...	...	...	...	...	...
3.00% रूपांतरण ऋण, 1946		248.92	...	...	...	...	...	...
ऋण परिपक्व परंतु वर्ष के अंत तक धारकों द्वारा संग्रहित नहीं		6.49	20.19	18.98	18.18	16.32	...	...
जांच/मिलान के तहत अंतर			0.43	-0.07	3.33	...	...	...
हस्तक्षेप अवधि में लेनदेन								
स्टॉक से पुनःखरीद		...	...	...	...	...	158000.00	158000.00
2022-23 में अनुमानित उधार								1543000.00
स्विच के माध्यम से अनुमानित निर्गम								100000.00
स्विच में अनुमानित पुनःभुगतान								-100000.00
जोड़-चालू ऋण		**1444.95**	**5478028.36**	**5964016.91**	**7113035.19**	**8006248.65**	**9126205.32**	**10238229.12**

2क - विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	**15.02.2022**	...	1632.33	1632.33	1632.33	...	...	...
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	**02.08.2022**	...	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	...	...
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	**21.09.2022**	...	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	...	...
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	**15.02.2027**	...	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	**02.08.2027**	...	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	**21.09.2027**	...	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	**15.02.2032**	...	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	**02.08.2032**	...	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05
8.33% सरकारी स्टॉक, 2032	**21.09.2032**	...	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48
जोड़		**...**	**20808.78**	**20808.78**	**20808.78**	**19176.45**	**13711.76**	**13711.76**

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित	बजट
		1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024

2ख - मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड

ऋण का नाम	तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस, 2023	05.06.2023	...	1235.14	1235.14	1235.14	1235.14	1175.26	22.70
आईआईएनएसएससी	05.06.2023	...	68.82	66.38	65.34	64.72	64.09	0.07
जोड़		**...**	**1303.96**	**1301.52**	**1300.48**	**1299.86**	**1239.35**	**22.77**

2ग - विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियाँ

ऋण का नाम	तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	...	...	...	...	...	...
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	7000.00	...	...	...	...	...
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	5000.00	...	...	...	...	...
5.87% सरकारी स्टॉक, 2022	28.08.2022	...	11000.00	11000.00	8723.04	8672.04	...	...
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	...
5.97% सरकारी स्टॉक, 2025	25.09.2025	...	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95
जोड़		**...**	**47687.95**	**35687.95**	**33410.99**	**33359.99**	**24687.95**	**16687.95**

2घ - डाक विभाग को जारी भारत सरकार के विशेष बांड (लोक लेखा से बाजार ऋणों में पोलिफ का प्रतिभूतिकरण)

ऋण का नाम	तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
8.01% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2021	31.03.2021	...	4000.00	4000.00				
पीएलआई भारत सरकार परिवर्तनशी दर बॉंड 2022	30.03.2022	...	7000.00	7000.00	7000.00	...	...	...
8.20% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	28.03.2023	...	6893.68	6893.68	6893.68	6893.68	...	...
8.08% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	31.03.2023	...	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	...	...
6.25% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2031	31.03.2031	...	...	...	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
6.82% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2032	30.03.2032	...	...	...	...	7000.00	7000.00	7000.00
जोड़		**...**	**20893.68**	**20893.68**	**20893.68**	**20893.68**	**11000.00**	**11000.00**

2ङ - तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	...	...	...
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	...	...	...
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	8011.00	8011.00	...
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	2895.00	2895.00	...
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	4680.00	4680.00	...
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	21701.00	21701.00	21701.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	5636.92	5636.92	5636.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	2056.92	2056.92	2056.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
जोड़		**...**	**130923.17**	**130923.17**	**130923.17**	**92200.17**	**92200.17**	**76614.17**

2च - उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	...	...
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	...	...
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	...	...
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	...
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
जोड़		**...**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**7430.87**	**3550.87**
सरकार द्वारा वापसी खरीद सुविधा			**6032.30**					

2छ - भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	...	...
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
जोड़		**...**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**11200.00**	**11200.00**

2ज - आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

ऋण का नाम	तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	...	...	...
जोड़		**...**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**...**	**...**	**...**

2झ - एसबीआई अधिकार निर्गम के लिए भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

ऋण का नाम	तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
8.35% एसबीआई अधिकार निर्गम,2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	...
जोड़		**...**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**...**

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
			वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					

2ञ - आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)

आईडीबीआई (ब्याज-भिन्न)	29.09.2024	...	4346.00	4226.00	4001.00	3876.00	3876.00	3876.00
जोड़		**...**	**4346.00**	**4226.00**	**4001.00**	**3876.00**	**3876.00**	**3876.00**

2ट - सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूंजीकरण हेतु जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ

7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	1165.00	1165.00	1165.00	1165.00	1165.00	1165.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	815.00	815.00	815.00	815.00	815.00	815.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	1316.00	1316.00	-	-	-	-
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	596.00	596.00	596.00	596.00	596.00	596.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	913.00	913.00	913.00	913.00	913.00	913.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	1470.00	1470.00	1470.00	1470.00	1470.00	1470.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	857.00	857.00	857.00	857.00	857.00	857.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	23.07.2028	-	1902.00	1902.00	1902.00	1902.00	1902.00	1902.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	19.09.2028	-	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	27.09.2028	-	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.10.2028	-	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	12.11.2028	-	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00
7.30 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	31.12.2028	-	4789.00	4789.00	4789.00	4789.00	4789.00	4789.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	1313.00	1313.00	-	-	-	-
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029		212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00
7.30 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	31.01.2029	-	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00
7.30 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	28.03.2029	-	8059.00	8059.00	8059.00	8059.00	8059.00	8059.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	23.07.2029	-	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	19.09.2029	-	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	27.09.2029	-	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	27.09.2029	-	...	5501.00	5501.00	5501.00	5501.00	5501.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	30.09.2029	-	...	3816.00	3816.00	3816.00	3816.00	3816.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	22.10.2029	-	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	12.11.2029	-	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	31.12.2029	-	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00
6.50 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	03.01.2030	-	-	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00	1480.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति 2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	1313.00	1313.00	-	-	-	-
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	31.01.2030	-	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00
7.30 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	21.02.2030	-	842.00	842.00	842.00	842.00	842.00	842.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	21.02.2030	-	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00
6.13 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	20.03.2030	-	-	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	28.03.2030	-	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	23.07.2030	-	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	19.09.2030	-	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	27.09.2030	-	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	27.09.2030	-		5481.00	5481.00	5481.00	5481.00	5481.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	27.09.2030	-		3807.00	3807.00	3807.00	3807.00	3807.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	22.10.2030	-	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	12.11.2030	-	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	14.12.2030	-	-	-	920.00	920.00	920.00	920.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	31.12.2030	-	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	03.01.2031	-		1475.00	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	1313.00	1313.00	-	-	-	-
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	31.01.2031	-	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	21.02.2031	-	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00
6.18 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	20.03.2031	-	-	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	28.03.2031	-	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2036	31.03.2031	-	-	-	2420.00	2420.00	2420.00	2420.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	23.07.2031	-	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	19.09.2031	-	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	27.09.2031	-	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	27.09.2031	-		5481.00	5481.00	5481.00	5481.00	5481.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	27.09.2031	-		3807.00	3807.00	3807.00	3807.00	3807.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	22.10.2031	-	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	12.11.2031	-	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	14.12.2031	-	-	-	916.00	916.00	916.00	916.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	31.12.2031	-	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	03.01.2032	-		1475.00	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित	बजट
		1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	1313.00	1313.00	-	-	-	-
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	31.01.2032	-	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	21.02.2032	-	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	24.02.2032	-	-	-	-	770.00	770.00	770.00
6.18 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	20.03.2032	-	-	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	28.03.2032	-	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	31.03.2032	-	-	-	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	23.07.2032	-	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	19.09.2032	-	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	27.09.2032	-	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00
6.65 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	27.09.2032	-		5481.00	5481.00	5481.00	5481.00	5481.00
6.65 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	27.09.2032	-		3807.00	3807.00	3807.00	3807.00	3807.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	22.10.2032	-	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	12.11.2032	-	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	14.12.2032	-	-	-	916.00	916.00	916.00	916.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	31.12.2032	-	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	03.01.2033	-		1475.00	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	1313.00	1313.00	-	-	-	-
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	31.01.2033	-	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	21.02.2033	-	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	24.02.2033	-	-	-	-	766.00	766.00	766.00
6.23 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	20.03.2033	-	-	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	28.03.2033	-	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	31.03.2033	-	-	-	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	23.07.2033	-	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	19.09.2033	-	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	27.09.2033	-	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00
6.65 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	27.09.2033	-		5481.00	5481.00	5481.00	5481.00	5481.00
6.65 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	27.09.2033	-		3807.00	3807.00	3807.00	3807.00	3807.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	22.10.2033	-	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	12.11.2033	-	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	14.12.2033	-	-	-	916.00	916.00	916.00	916.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	31.12.2033	-	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	03.01.2034	-		1475.00	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	31.01.2034	-	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	21.02.2034	-	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	24.02.2034	-	-	-	-	766.00	766.00	766.00
6.23 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	20.03.2034	-	-	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	28.03.2034	-	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2036	31.03.2034	-	-	-	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति 1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	संशोधित 2022-2023	बजट 2023-2024
6.70 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	27.09.2034	-	-	5481.00	5481.00	5481.00	5481.00	5481.00
6.70 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	27.09.2034	-	-	3807.00	3807.00	3807.00	3807.00	3807.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	14.12.2034	-	-	-	916.00	916.00	916.00	916.00
6.65 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	03.01.2035	-	-	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00
6.28 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	20.03.2035	-	-	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2036	31.03.2035	-	-	-	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	14.12.2035	-	-	-	916.00	916.00	916.00	916.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	24.02.2035	-	-	-	-	766.00	766.00	766.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2036	24.02.2036	-	-	-	-	766.00	766.00	766.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2036	31.03.2036	-	-	-	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00
ब्याज-रहित (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2037	24.02.2037	-	-	-	-	766.00	766.00	766.00
2023-24 में प्रावधान		-	-	-	-	-	-	0.01
जोड़		**...**	**186000.00**	**251443.00**	**263562.00**	**268162.00**	**268162.00**	**268162.01**

अन्य सरकारी नियंत्रित बैंकिंग संस्थान को पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड

2ठ -एक्सिम बैंक को पुनःपूंजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
7.30 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	22.03.2029	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	15.11.2029	-	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	22.03.2030	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.50 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	15.11.2030	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	22.03.2031	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.50 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	15.11.2031	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	22.03.2032	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	15.11.2032	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	22.03.2033	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	15.11.2033	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	22.03.2034	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	15.11.2034	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
जोड़		**...**	**5050.00**	**5050.00**	**5050.00**	**5050.00**	**5050.00**	**5050.00**

2ड - आईडीबीआई बैंक लि. को पुनःपूंजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.01.2028	-	-	-	1316.00	1316.00	1316.00	1316.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.01.2029	-	-	-	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00
6.64 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	23.09.2029	-	-	762.00	762.00	762.00	762.00	762.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.01.2030	-	-	-	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00
6.69 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	23.09.2030	-	-	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.01.2031	-	-	-	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00
6.69 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	23.09.2031	-	-	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00
7.61(अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.01.2032	-	-	-	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00
6.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	23.09.2032	-	-	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00
7.68(अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.01.2033	-	-	-	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00
6.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	23.09.2033	-	-	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00
6.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	23.09.2034	-	-	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00
जोड़		**...**	**...**	**4557.00**	**12438.00**	**12438.00**	**12438.00**	**12438.00**

2ढ़ - आईआईएफसीएल को पुनःपूंजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
6.29 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	30.03.2030	...	...	887.60	887.60	887.60	887.60	887.60
6.34 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	30.03.2031	-	-	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00
6.34 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	30.03.2032	-	-	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00
6.39 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	30.03.2033	-	-	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00
6.39 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	30.03.2034	-	-	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00
6.44 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	30.03.2035	-	-	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00
जोड़		**...**	**...**	**5297.60**	**5297.60**	**5297.60**	**5297.60**	**5297.60**

2ण - जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकारों/ संध राज्य सरकारों को बैक-टू-बैक ऋण प्रदान करने के लिए उधार

ऋण का नाम	तारीख	1950-1951	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
5.22% सरकारी स्टॉक, 2025	15.06.2025	...	...	...	6000.00	...	...	...
4.48% सरकारी स्टॉक, 2023	02.11.2023	...	...	...	55104.00	...	...	...
5.15% सरकारी स्टॉक, 2025	09.11.2025	...	...	...	49104.00	...	...	...
जोड़ (2020-21)		**...**	**...**	**...**	**110208.00**	**...**	**...**	**...**
5.63% सरकारी स्टॉक, 2026	12.04.2026				...	136000.00	...	...
4.26% सरकारी स्टॉक, 2023	04.26.2023				...	23000.00	...	...

2त - जीएसटी प्रतिपूर्ति में हुई कमी को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को एक के बाद एक ऋण जारी करना

राज्य का नाम	जारी ऋण	3 वर्षीय ऋण	5 वर्षीय ऋण	जारी ऋण	2 वर्षीय ऋण	5 वर्षीय ऋण	2020-21 : 2021-22 में जारी कुल ऋण
आन्ध्र प्रदेश	2311.00	1155.50	1155.50	3272.19	473.32	2798.87	5583.19
अरुणाचल प्रदेश	...	...	...	...	...	...	...
असम	994.00	497.00	497.00	1773.87	256.62	1517.25	2767.87
बिहार	3905.00	1952.50	1952.50	6815.63	985.99	5829.64	10720.63
छत्तीसगढ़	3109.00	1554.50	1554.50	4965.15	718.23	4246.92	8074.15
गोवा	840.00	420.00	420.00	846.91	122.53	724.38	1686.91
गुजरात	9222.00	4611.00	4611.00	13040.21	1886.34	11153.87	22262.21
हरियाणा	4352.00	2176.00	2176.00	7393.79	1069.60	6324.19	11745.79
हिमाचल प्रदेश	1717.00	858.50	858.50	2695.22	389.86	2305.36	4412.22
झारखंड	1689.00	844.50	844.50	2484.41	359.33	2125.08	4173.41
कर्नाटक	12407.00	6203.50	6203.50	18108.91	2619.59	15489.32	30515.91
केरल	5766.00	2883.00	2883.00	8739.31	1264.16	7475.15	14505.31
मध्य प्रदेश	4542.00	2271.00	2271.00	7011.17	1014.19	5996.98	11553.17
महाराष्ट्र	11977.00	5988.50	5988.50	13782.36	1993.67	11788.69	25759.36
मणिपुर	...	...	...	...	...	...	...
मेघालय	112.00	56.00	56.00	141.16	20.39	120.77	253.16
मिजोरम	...	...	...	...	...	...	...
नागालैंड	...	...	...	...	...	...	...
ओडिशा	3822.00	1911.00	1911.00	6430.20	930.15	5500.05	10252.20
पंजाब	8359.00	4179.50	4179.50	12132.41	1754.98	10377.43	20491.41
राजस्थान	4604.00	2302.00	2302.00	7268.29	1051.38	6216.91	11872.29
सिक्किम	...	...	...	...	...	...	...
तमिलनाडु	6241.00	3120.50	3120.50	8095.25	1171.01	6924.24	14336.25
तेलंगाना	2380.00	1190.00	1190.00	4569.49	660.94	3908.55	6949.49
त्रिपुरा	226.00	113.00	113.00	401.37	58.00	343.37	627.37
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	5865.00	2932.50	2932.50	6192.67	895.87	5296.80	12057.67
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर	2272.00	1136.00	1136.00	3845.49	556.21	3289.28	6117.49
संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी	742.00	371.00	371.00	1096.29	158.55	937.74	1838.29
उत्तर प्रदेश	6007.00	3003.50	3003.50	8139.94	1177.52	6962.42	14146.94
उत्तराखण्ड	2316.00	1158.00	1158.00	3333.03	482.15	2850.88	5649.03
पश्चिम बंगाल	4431.00	2215.50	2215.50	6425.28	929.42	5495.86	10856.28
जोड़	**110208.00**	**55104.00**	**55104.00**	**159000.00**	**23000.00**	**136000.00**	**269208.00**

3. राष्ट्रीय लघु बचत निधि

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022		बजट अनुमान 2022-2023		संशोधित अनुमान 2022-2023		बजट अनुमान 2023-2024	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
क. संग्रहण, उन्मोचन और निवेश :								
अथ शेष (ओ)	**2087446.58**		**2446661.85**		**2420643.17**		**2769144.44**	
पिछले वर्ष के नकद शेष सहित	***135128.04***		**...**		***19079.02***		**...**	
1 संग्रहण और संवितरण :								
(i) बचत जमा राशियां	841921.87	647735.32	856886.46	620267.84	950581.20	753435.60	1029360.92	783573.03
(ii) बचत प्रमाण पत्र	74334.29	27282.43	76325.59	30513.68	84207.82	42389.48	90866.77	44085.06
(iii) लोक भविष्य निधि	133539.32	41581.14	161965.23	58074.11	152674.94	43137.61	161835.43	44863.12
वर्ष में कुल संग्रहण और संवितरण (ग)	**1049795.48**	**716598.89**	**1095177.28**	**708855.63**	**1187463.96**	**838962.69**	**1282063.12**	**872521.21**
जोड़ (1)=(ण)+(ग)	**3137242.06**	**716598.89**	**3541839.13**	**708855.63**	**3608107.13**	**838962.69**	**4051207.56**	**872521.21**
2 निवेश :								
(i) 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश		**1873794.08**		**2398680.25**		**2360420.65**		**2764608.64**
(ii) 31.3.1999 को बकाया राशि के प्रति केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	...	...	...	...	...	...	...
(iii) 1.4.1999 से संग्रहणों के प्रति केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	86748.54	509314.11	141509.67	380063.87	137679.95	392707.45	176950.70	424198.42
(iv) 1.4.1999 के बाद निर्गमित राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	53266.56	28690.18	51171.11	24592.47	49716.66	14635.65	51180.23	21052.66
(v) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों का पुनर्निवेश	...	128703.38	...	186894.80	...	183891.50	...	224069.28
(vi) सरकारी एजेंसियों में निवेश	41500.00	1434.00	...	30000.00	...	350.00	...	...
(क) भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद में निवेश	33000.00	...	...	...	...	...	...	...
(ख) एमटीएनएल में निवेश	...	570.00	...	...	...	350.00	...	...
(ग) एयर इंडिया में निवेश	8500.00	864.00	...	...	...	...	...	...
(घ) अन्य	...	...	...	30000.00	...	...	...	...
वर्ष में कुल निवेश एवं	**181515.10**	**668141.67**	**192680.78**	**621551.14**	**187396.61**	**591584.60**	**228130.92**	**669320.36**
अदायगी (I) जोड़ (2)= (i) +(I)	**181515.10**	**2541935.75**	**192680.78**	**3020231.39**	**187396.61**	**2952005.25**	**228130.92**	**3433929.00**
ख. एनएसएसएफ की आय और व्यय :								
3 ब्याज से आय (II)								
(i) 31.3.1999 को बकाया राशि के प्रति केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	6779.76	...	6779.76	...	6779.76	...	6779.76	...
(ii) 1.4.1999 से संग्रहणों के प्रति केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	70844.12	...	98875.62	...	95690.25	...	113951.64	...
(iii) 1.4.1999 से निर्गमित राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	39126.96	...	37340.22	...	37712.54	...	33954.34	...
(iv) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों के प्रति विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	43422.47	...	53471.84	...	56353.60	...	64108.99	...
(v) सरकारी एजेंसियों में निवेश	16499.36	...	6860.00	...	6914.39	...	6927.16	...
(क) भारतीय खाद्य निगम में निवेश	...	...	...	...	...	...	...	...
(ख) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद में निवेश	2687.00	...	...	...		...	...	...
(ग) एयर इंडिया में निवेश	750.80	...	...	...		...	...	...
(घ) अन्य	13061.56	...	6860.00	...	6914.39	...	6927.16	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक (अन.) 2021-2022		बजट अनुमान 2022-2023		संशोधित अनुमान 2022-2023		बजट अनुमान 2023-2024	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
उप-जोड़ [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)] (II)	**176672.67**	**...**	**203327.44**	**...**	**203450.54**	**...**	**225721.89**	**...**
3.1 एनएसएसएफ की अन्य आय (ण झ)								
अन्य प्राप्तियां	323.54	...	315.00	...	343.18	...	360.00	...
जोड़ (3)= (II)+(ण झ)	**176996.21**	**...**	**203642.44**	**...**	**203793.72**	**...**	**226081.89**	**...**
4 ब्याज भुगतान (झ त):								
बचत जमा राशियां	...	70970.25	...	78282.13	...	77050.69	...	93546.56
बचत प्रमाण पत्र	...	8282.60	...	13452.50	...	19756.41	...	22691.34
लोक भविष्य निधि	...	50421.46	...	57890.14	...	60112.73	...	67563.87
जोड़ (4)	**...**	**129674.31**	**...**	**149624.77**	**...**	**156919.83**	**...**	**183801.77**
5 प्रबंधन लागतः								
डाक विभाग को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	...	6114.47	...	7727.06	...	6230.41	...	6439.38
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	...	211.86	...	203.44	...	263.66	...	276.84
एजेंटों को एजेंसी कमीशन का भुगतान	...	3534.61	...	3508.46	...	3687.12	...	3871.38
मुद्रण की लागत	...	80.00	...	30.00	...	85.00	...	45.00
जोड़ (5)	**...**	**9940.94**	**...**	**11468.96**	**...**	**10266.19**	**...**	**10632.60**
6 राष्ट्रीय लघु बचत निधि(एनएसएसएफ) की कुल आय और व्यय (3)+(4)+(5)	**176996.21**	**139615.25**	**203642.44**	**161093.73**	**203793.72**	**167186.02**	**226081.89**	**194434.37**
7 वर्ष में निवल आय (-)/व्यय (+)		**-37380.96**		**-42548.71**		**-36607.70**		**-31647.52**

4. वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी

(₹ करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में (वार्षिकी अवधि) से	तक	वर्षों की संख्या	वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2021-2022 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण								
1.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग और देवनाहल्ली (केएनटी-1)	402.34	1185.84	20-04-2009	25-03-2027	18	65.88	329.40
2.	मोकामा-मुंगेर	351.54	998.50	19-07-2013	14-05-2026	12.5	79.88	279.58
3.	बिहार राज्य में एनएच-31 के 270 कि.मी. से 410 कि.मी. तक के पुर्निया-खगरई खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ इसे दो लेन का करना	664.00	1624.00	02-04-2014	02-10-2028	14.5	112.00	728.00
4.	बिहार राज्य में 0 कि.मी. से 46.300 कि.मी. तक के एनएच 77 पर हाजीपुर-मुज्जफरपुर खंड को 4 लेन का बनाना और 16.870 कि.मी. के नए बाईपास का निर्माण जो 46.300 कि.मी. पर शुरु होकर एनएच 28 पूर्व पश्चिम गलियारे को 515.045 कि.मी. पर जोड़ेगा	671.70	2365.00	01-03-2017	01-09-2029	12.5	189.20	1324.40
5.	एनएच-57 पर कोसी नदी	418.04	1084.60	04-04-2010	04-04-2027	17	63.80	319.00
6.	गोरखपुर बाइपास	600.24	1701.00	04-04-2010	04-04-2027	17.5	97.20	534.60
7.	एनएच-3 के 42.033 कि.मी. से 103 कि.मी. तक ग्वालियर बाइपास	300.93	928.55	06-10-2009	06-04-2027	17.5	53.06	265.30
8.	कोट्टकाटा-कुर्नूल (हैदराबाद बैंगलोर खंड) (एनएस-2/बीओटी/एपी-5) 135.740 कि.मी. से 211 कि.मी.	611.00	1978.20	15-03-2009	13-09-2026	17.5	113.04	508.68
9.	हजारीबांग रांची	625.07	1986.48	14-03-2013	25-09-2028	15.5	128.16	768.96
10.	अमृत्तसर-वाघा बॉडर	205.88	664.20	13-06-2010	30-06-2028	18	36.90	239.85
11.	जम्मू उद्यमपुर खंड (जम्मू बाईपास) (उद्यमपुर बाईपास) (एनएचडीपी/ फेज-II/बीओटी/VI/जेएंडके)	1500.00	6864.60	01-06-2014	01-06-2031	17	403.80	3836.10
12.	एनएच-1ए के चेन्नई से नाशरी खंड के पुनर्स्थापन, सुदृढ़ीकरण और चार लेन का बनाने में 9 कि.मी. लंबी सुरंग (2लेन) के साथ जेएंडके राज्य (एनएचडीपी/फेज-II/बीओटी/VI जेएंडके) में समानांतर एस्केप सुरंग भी शामिल है।	2519.00	9525.60	07-09-2017	08-03-2032	15	635.04	6350.40
13.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-2)	355.06	1048.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	59.90	299.50
14.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-3)	276.09	838.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	47.90	239.50
15.	ओरई-भोगनीपुर (220.00 कि.मी. से 255.00 कि.मी. तक) और भोगनीपुर-बराह (421.20 कि.मी. से 449.00 कि.मी. तक)	465.00	1344.60	24-10-2009	24-04-2024	15	89.64	224.10
16.	एनएच-210 में त्रिची कराईकुडी खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाना और इसमें एनएच-677 पर त्रिची बाइपास शामिल है	374.00	554.97	16-08-2014	15-02-2027	13	42.69	213.45
17.	वार्षिकी आधार पर डीबीएफओटी पर एनएच-24बी के 12.700 कि.मी. से 82.700 कि.मी. तक के लखनऊ-रायबरेली खंड को 4 लेन का बनाना	635.90	1461.60	16-07-2015	15-07-2029	14.5	100.80	756.00
18.	मुजफ्फरपुर-सोनबर्श खंड तक 0.00 कि.मी. से 89.00 कि.मी. तक के खंड को 2 लेन का बनाना	512.00	1834.00	25-11-2013	24-05-2031	17.5	104.80	995.60
19.	एनएच-69 के नागपुर-सावनेर-बेतुल खंड को चार लेन का बनाना	2498.76	9596.40	18-08-2015	18-08-2031	16.5	581.60	5525.20
20.	लखनादोन-एमएच सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2)	263.17	673.05	26-09-2009	26-03-2027	17.5	38.46	192.30

(₹ करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में (वार्षिकी अवधि) से	तक	वर्षों की संख्या	वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2021-2022 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि
21.	एमपी एनएस-1/बीओटी/एमपी-3 में लखनादोन-एमपी/एमएच सीमा (एनएच-7 का 596.75 कि.मी. - 653.225 कि.मी.)	407.60	762.65	22-05-2010	22-10-2027	17.5	43.58	239.69
22.	कादल से आर्मर (एनएस-2/बीओटी/एपी-8)	271.73	856.80	29-04-2010	29-10-2027	18	47.60	285.60
23.	इस्लाम नगर से कदताल (एनएस-2/बीओटी/एपी-7)	518.46	1597.32	03-08-2010	29-02-2028	18	88.74	532.44
24.	एमएच/एपी सीमा से इस्लाम नगर तक (एनएस-2/बीओटी/एपी-6)	360.42	1133.28	02-05-2010	02-11-2027	18	62.96	377.76
25.	आर्मर्स-कलकल्लू गांव (एनएस-2/एपी-2)	546.15	1896.30	26-03-2009	25-09-2026	18	108.36	487.62
26.	पालनपुर से स्वरुपगंज	498.00	1296.30	24-03-2009	24-03-2024	15	86.42	172.84
27.	एसएआरडीपी-एनई के तहत मेघालय और असम राज्य में एनएच-40 के 0.000 कि.मी. से 61.800 कि.मी. तक के जोरबाट-शिलांग (बारापानी) खंड को चार लेन का बनाना	536.00	2465.34	28-07-2016	28-01-2031	17	145.02	1595.22
28.	शिलांग बाइपास	226.00	596.88	25-09-2013	25-03-2025	12	49.74	149.22
29.	रींगस से सीकर 298.075 कि.मी. से 341.962 कि.मी. तक का खंड	333.51	544.39	01-09-2014	01-09-2028	14.5	37.54	244.01
30.	जम्मू और कश्मीर राज्य में एनएच-1ए पर श्रीनगर से बनीहाल 187.000 कि.मी. से 189.350 कि.मी. तक का खंड (बनीहाल बाईपास) और 220.700 कि.मी. से 286.110 कि.मी. तक के खंड की पुनर्स्थापना, सुदृढ़ीकरण और इसे चार लेन का बनाना (पैकेज सं. एनएचडीपी-फेज-II/बीओटी/1/जेएंडके)	1600.00	4583.88	27-03-2018	27-03-2035	17	269.64	3505.32
31.	डीबीएफओटी पैटर्न पर एनएचडीपी फेज़ चरण iv-ए के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-231 के रायबरेली से जौनपुर खंड (0.000 कि.मी. से 166.400 कि.मी.) को पेब्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाना	569.36	1929.00	02-12-2016	02-06-2031	15	128.60	1221.70
32.	डीबीएफओटी पर एनएचडीपी-III के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-34 के कृष्णानगर-बहरामपुर के 115 कि.मी. से 193 कि.मी. तक के खंड को चार लेन का बनाना [जारी पैकेज एनएचडीपी-III/ बीओटी/डब्ल्यूपी/02]	702.16	1530.00	04-01-2015	04-01-2027	12.5	122.40	612.00
33	कांजीगंद से बनीहाल खंड 189.350 कि.मी. से 204.700 कि.मी. की पुनर्स्थापना, सुदृढ़ीकरण और चार लेन का करना तथा जम्मू और कश्मीर राज्य (एनएचडीपी-फेज-II/बीओटी/II/जेएंडके)^ में डीबीएफओटी (वार्षिकी) आधार पर 8.45 कि.मी. लंबी सुरंग (2 लेन) शामिल है।	1987.00	7350.00	04-12-2016	04-06-2031	15	490.00	4655.00
कुल- सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय		**22,806.11**	**74,799.83**				**4,724.35**	**38,008.34**
गृह मंत्रालय - दिल्ली पुलिस								
	जय सिंह रोड, संसद मार्ग, नई दिल्ली में नए पुलिस मुख्यालय का निर्माण	286.00	1178.80	2020-21	2033-34	13	78	920.75
कुल जोड़ - गृह मंत्रालय		**286.00**	**1,178.80**				**78.00**	**920.75**
जल शक्ति मंत्रालय - क्लीन गंगा राष्ट्रीय मिशन*								
1	हरिद्वार, उत्तराखंड में 82 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट परियोजना विकसित करना	279.65	219.05	26-03-2020	25-03-2035	15	14.60	182.99

(₹ करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में (वार्षिकी अवधि) से	तक	वर्षों की संख्या	वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2021-2022 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि
2	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 50 एमएलडी सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित करना	247.36	201.07	01-12-2021	31-12-2036	15	13.40	201.07
3	मथुरा, उत्तर प्रदेश में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पुनर्स्थापन एवं नवीकरण और 30 एमएलडी न्यू एसटीपी और 20 एमएलडी टीटीपी का निर्माण	728.25	614.51	01-01-2022	31-12-2037	15	40.97	614.51
4	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में नैनी (42 एमएलडी), फाफामऊ (14 एमएलडी) और झुंसी (18 एमएलडी) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अवरोधन, पथांतरण एवं सीवेज ट्रीटमेंट कार्य, मौजूदा ट्रीटमेंट अवसंरचना का पुनर्स्थापन और 15 वर्षो तक परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य	1418.57	1239.99	01-06-2022	31-05-2037	15	82.67	लागू नहीं
5	कानपुर, उत्तर प्रदेश में उन्नाव (13 एमएलडी), शुक्लगंज (06 एमएलडी) का अवरोधन, पथांतरण और सीवेज ट्रीटमेंट कार्य, मौजूदा एसटीपी के एकीकरण के साथ-साथ पंखा में 30 एमएलडी क्षमता का एसटीपी	1263.08	1145.18	01-06-2022	31-05-2037	15	76.35	लागू नहीं
6	10 एमएलडी बुधना एसटीपी परियोजनाएं 52.5 एमएलडी मुज्जफरनगर एसटीपी परियोजनाएं	353.83	280.58	01-12-2022	30-11-2037	15	18.71	लागू नहीं
7	25 एमएलडी मुरादाबाद एसटीपी परियोजनाएं	141.60	114.13	01-03-2023	28-02-2038	15	7.61	लागू नहीं
8	मिर्जापुर (17 एमएलडी) के लिए अवरोधन, पथांतरण एवं सीवेज ट्रीटमेंट कार्य, गाजीपुर (21 एमएलडी) के अवरोधन, पथांतरण एवं सीवेज ट्रीटमेंट कार्य	400.71	340.81	01-01-2024	31-12-2039	15	22.72	लागू नहीं
9	बरैली (63 एमएलडी) के लिए अवरोधन, पथांतरण एवं सीवेज ट्रीटमेंट कार्य	340.17	264.35	15-02-2024	14-02-2039	15	17.62	लागू नहीं
10	अयोध्या जिले (32 एमएलडी) के फैजाबाद टाउन के लिए अवरोधन, पंथातरण एवं सीवेज ट्रीटमेंट कार्य	206.86	166.45	01-11-2025	30-11-2040	15	11.10	लागू नहीं
11	आगरा-175.38 एमएलडी के लिए अवरोधन, पंथातरण एवं सीवेज ट्रीटमेंट कार्य	807.07	653.65	26-02-2025	25-02-2040	15	43.58	लागू नहीं
12	कंकरबाघ, पटना (50 एमएलडी) और दीघा, पटना (100 एमएलडी) के लिए अवरोधन, पंथातरण एवं सीवेज ट्रीटमेंट कार्य	1334.17	457.77	31-12-2023	30-11-2038	15	30.52	लागू नहीं
13	भागलपुर (65 एमएलडी) के लिए अवरोधन, पंथातरण एवं सीवेज ट्रीटमेंट कार्य	552.75	438.83	11-06-2024	10-06-2039	15	29.26	लागू नहीं
14	पश्चिम बंगाल में हावड़ा (65 एमएलडी), बाली (40 एमएलडी), बड़नगर एवं कमरहटी (60 एमएलडी) के लिए अवरोधन, पथांतरण एवं सीवेज ट्रीटमेंट कार्य	796.55	640.11	01-06-2023	31-05-2038	15	42.67	लागू नहीं
15	एसटीपी-महेशतला का अवधारण एवं पथांतरण	388.78	300.13	15-02-2024	14-02-2039	15	20.01	लागू नहीं
कुल- जल शक्ति मंत्रालय		**9259.40**	**7076.61**				**471.79**	**998.57**
कुल जोड़		***32351.51***	***83055.24***				***5274.14***	***39927.66***

टिप्पणियां-

1 मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथासूचित अनुमोदित वार्षिकी संविदाओं के कारण देनदारी सूचित की गई है।

2. लागू नहीं - भविष्य में भुगतान योग्य वर्षिकी को दर्शाता है।

^ सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंध में चूंकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में पुनर्स्थापन, सुदृढ़ीकरण तथा कांजीगंद से बनीहाल खंड में चार लेन बनाने की बीओटी (वार्षिकी) परियोजना में वार्षिकी भुगतान की शुरुआत हुई। इस परियोजना को चालू वर्ष के विवरण में शामिल किया गया है।

** जल शक्ति मंत्रालय के संबंध में हाइब्रिड वार्षिकी आधारित सरकारी-निजी भागीदारी मोड के तहत परियोजनाओं के मूल्य में निर्माण के दौरान सूचकांकित पूंजी लागत का 40 प्रतिशत भुगतान 60 प्रतिशत बकाया पर ब्याज और 15 वर्षों के लिए सूचकांकित शामिल है। वचनबद्ध कुल वार्षिकी में 15 वर्षों के लिए वार्षिकी के रूप में प्रदत्त पूंजी लागत, बकाया पर ब्याज तथा सूचकांकित प्रचालन और अनुरक्षण लागत शामिल है। उल्लिखित समकृत वार्षिकी में भिन्नता आ सकती है क्योंकि आरंभिक वर्षों के दौरान भुगतान की राशि अपेक्षाकृत अधिक होगी और 15 वर्षों के बाद की रियायती अवधि से कम होगी।*

5 विदेशी सहायता

इस अनुबंध में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतों से मिली विदेशी सहायता के स्वरूप का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। वर्ष 2022-2023 तथा 2023-2024 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

एजेंसी	वास्तविक 2021-2022	बजट अनुमान 2022-2023	संशोधित अनुमान 2022-2023	बजट अनुमान 2023-2024
1. विदेशी ऋण	86664.57	80242.03	83925.81	84942.12
2. घटाएं-राज्य परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण	14735.14	20380.58	20168.60	17168.60
3. निवल विदेशी ऋण (1-2)	71929.43	59861.45	63757.21	67773.52
4. नकद अनुदान	1195.96	620.00	671.98	936.89
5. वस्तु अनुदान सहायता	110.00	...	1907.84	1198.42
6. **जोड़ (3+4+5)**	**73235.39**	**60481.45**	**66337.03**	**69908.83**
7. ऋणों की वापसी-अदायगी	35782.23	40610.30	39882.90	45656.00
8. **विदेशी ऋण (वापसी अदायगी को घटाकर) (6-7)**	**37453.16**	**19871.15**	**26454.13**	**24252.83**
9. विदेशी ऋणों पर ब्याज अदायगी	7053.21	7925.90	11061.20	12254.70
10. **विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (8-9)**	**30399.95**	**11945.25**	**15392.93**	**11998.13**

(क) बहुपक्षीय स्रोत

1. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

(क) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी ऋण, हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक स्रोतों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए संधारणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी कम करना है।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- राष्ट्रीय गंगा नदी परियोजना, तमिलनाडु संधारणीय शहरी विकास परियोजना, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश मुख्य सड़क नेटवर्क विकास परियोजना, गुजरात त्वरित ज्ञानार्जन के परिणाम (गोल) कार्यक्रम।

(ख) अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब, भारत रियायती ऋणों के कार्यक्षेत्र से बाहर है। हमारे देश में निष्पादित की जा रही अधिकांश परियोजनाएं सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में हैं। वर्तमान में चल रही कुछ परियोजनाएं हैं- नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन, औद्योगिक मूल्य वर्द्धन प्रचालन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण आदि।

2. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी 1966 में स्थापित एक मुख्य क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए 1986 में एडीबी से उधार लेना शुरु किया गया था।

एडीबी के प्रचालन विद्युत, परिवहन, शहरी क्षेत्रों, वित्तीय संस्थागत संधारणीय जीविकोपार्जन, कौशल विकास आदि तक फैल गए हैं। सरकारी खाते में एडीबी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं विशाखापट्टनम-चेन्नै औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, 'मध्य प्रदेश जिला सड़क II क्षेत्र परियोजना', कर्नाटक स्टेट हाइवेज इम्प्रूवमेंट III प्रोजेक्ट, मध्यप्रदेश इरिगेशन एफीसिएन्सी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र ग्रामीण हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली विस्तार कार्यक्रम और दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली निवेश परियोजना-1 आदि।

3. यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)

यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) पूंजी निवेश के लिए वित्त पोषण कराने के लिए रोम संधि के तहत 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी की सहायता से चलाई जा रही कुछ मुख्य चालू परियोजनाएं हैंः बैंगलूरू मेट्रो रेल परियोजना-लाइन आर 6-ए, पुणे मेट्रो रेल परियोजना तथा भोपाल मेट्रो रेल परियोजना-ए।

4. न्यू डेवलेपमेंट बैंक (एनडीबी)

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने शंघाई, चीन में न्यू डेवलेपमेंट बैंक की स्थापना की है। वर्तमान में, एनडीबी द्वारा बारह चालू परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।

एनडीबी सहायता से चल रही कुछ प्रमुख चालू परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश की मुख्य जिला सड़कों का विकास एवं उन्नयन, मध्यप्रदेश बहुग्राम ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना, मध्य प्रदेश मुख्य जिला सड़क II परियोजना, असम पुल परियोजना और मणिपुर जलापूर्ति परियोजना, आदि।

5. एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)

एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जो मुख्यतः ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार, ग्रामीण अवसंरचना और कृषि विकास के लिए ऋण देता है। वर्तमान में, एआईआईबी द्वारा प्रदान की गई सहायता से क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैः- बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना-लाइन आर 6, आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना और आंध्र प्रदेश शहरी जल आपूर्ति सेप्टेज प्रबंधन सुधार परियोजना, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3, आदि।

6. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने 1979 से कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 32 सरकारी परियोजनाओं को सहायता दी है। इनमें आंध्र प्रदेश सूखा शमन परियोजना पूर्वोत्तर-मिजोरम में जलवायु अनुकूल उच्च भूमि कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना, पूर्वोत्तर-नागालैंड में जलवायु अनुकूल उच्च भूमि कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना शामिल है।

वर्तमान में चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैः आंध्र प्रदेश सूखा शमन परियोजना, छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि वृद्धि परियोजना, एकीकृत आजीविका सहायता परियोजना, आदि।

7. वैश्विक निधि संगठन

यह वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया (जीएफएटीएम) से मुकाबला करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना और प्रदान करना है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में कार्य करना शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही 3 परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं- वैश्विक निधि द्वारा सहायता प्राप्त एचआईवी एड्स नियंत्रण परियोजना, 'पहुंच बढ़ाना और व्यापक देखभाल बढ़ाना', 'सहायता और उपचार', 'गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3' और 'तपेदिक'।

(ख) द्विपक्षीय स्रोत

1. जापान

जापान 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापान की ओर से सरकारी विकास सहायता, ऋण, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जेआईसीए परियोजनाएं परिवहन, विद्युत, सिंचाई, पर्यावरण और निवेश संवर्धन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं।

जेआईसीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- अहमदाबाद मेट्रो परियोजना (I) पूर्वोत्तर सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना (चरण-I), (II) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट और मुंबई मैट्रो लाइन 3 परियोजना (II), आदि।

2. जर्मनी

जर्मनी संघीय गणराज्य 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय उपयोग, संधारणीय आर्थिक विकास।

केएफडब्ल्यू की सहायता से चलने वाली कुछ प्रमुख परियोजनायें इस प्रकार हैं- गंगा बेसिन में पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास कार्यक्रम, केरल में बाढ़ उपरांत जलवायु सहिष्णुता पुनर्निर्माण चरण-II, केरल में बाढ़ उपरांत जलवायु अनुकूल पुर्निर्माण चरण-I, मुम्बई महानगरीय क्षेत्र के लिए समेकित और हरित शहरी आवागमन, तमिलनाडु के प्रमुख शहरों में बस सेवाओं का जलवायु अनुकूल आधुनिकीकरण-IV, संधारणीय शहरी अवसंरचना विकास-चेन्नै तूफान-जल प्रबन्धन, आदि।

3. रूसी परिसंघ

भारत और रूसी संघ (पूर्ववर्ती यूएसएसआर) के बीच विकासात्मक सहयोग साठ के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था। यूनिट सं. 3 और 4 निर्माणाधीन हैं।

कुडनकुलम में अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (यूनिट 5 और 6) के निर्माण के लिए जुलाई, 2017 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के करार के प्रोटोकाल सं.2 पर हस्ताक्षर किए गए थे।

4. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। भारत में एजेंसी फॉर डवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऊर्जा दक्षता, नवीकरण ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल) हैं।

एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- नागपुर मेट्रो के लिए ऋण सुविधा करार, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और सूरत मेट्रो आदि।

6. वर्ष 2023-24 में उन्मोचन के लिए देय बाजार ऋण प्रत्येक के सामने इंगित किए गए बकाया शेष के साथ

(₹ करोड़)

क्र.सं.	ऋण का नाम	परिपक्वता की तारीख	बकाया राशि
	I. बाजार ऋणः		
1	6.30% सरकारी स्टॉक, 2023	09-अप्रैल-2023	12,710.00
2	7.37% सरकारी स्टॉक, 2023	16-अप्रैल-2023	27,848.81
3	4.26% सरकारी स्टॉक, 2023	17-मई-2023	38,887.27
4	7.16% सरकारी स्टॉक, 2023	20-मई-2023	66,165.00
5	6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12-जून-2023	12,000.00
6	4.48% सरकारी स्टॉक, 2023	02-नवंबर-2023	53,925.29
7	8.83% सरकारी स्टॉक, 2023	25-नवंबर-2023	56,572.72
8	4.56% सरकारी स्टॉक, 2023	29-नवंबर-2023	32,500.00
9	7.68% सरकारी स्टॉक, 2023	15-दिसंबर-2023	78,834.23
10	7.32% सरकारी स्टॉक, 2023	28-जनवरी-2024	59,532.89
11.	आईआईईएनएसएससी		64.02
12.	आईआईबी		1,152.55
13	**कुल बाजार ऋण (1 से 12)**		**4,40,192.78**
	II. भारत सरकार का विशेष बॉंड/प्रतिभूति		
	क. तेल विपणन कम्पनियों को भारत सरकार के विशेष बॉंड		
14	8.20% भारत सरकार विशेष बॉंड, 2023	10-नवंबर-2023	8,011.00
15	8.01% भारत सरकार विशेष बॉंड, 2023	15-दिसंबर-2023	2,895.00
16	8.20% भारत सरकार विशेष बॉंड, 2024	12-फरवरी-2024	4,680.00
17	**कुल (14+16)**		**15,586.00**
	क. उर्वरक कम्पनियों को भारत सरकार के विशेष बॉंड		
18	8.30% भारत सरकार विशेष बॉंड, 2023	07-दिसंबर-2023	**3,880.00**
	ख. एसबीआई अधिकारों के लिए विशेष प्रतिभूति		
19	8.35% एसबीआई अधिकार निर्गम, 2024	27-मार्च-2024	**9,996.01**
20	**कुल विशेष प्रतिभूति (18+19+20)**		**29,462.01**
21	**कुल निर्धारित पुनः अदायगी (बाजार ऋण+भारत सरकार विशेष प्रतिभूति) (13+20)**		**4,69,654.79**
22	वर्ष 2023-24 के बकाया स्टॉक से वर्ष 2022-23 की शेष अवधि के दौरान किए जाने वाले प्रत्याशित स्वीचिस		-
23	**वर्ष 2023-24 में किए जाने वाले पुनर्भुगतान**		**4,69,654.79**
	सरकारी स्टॉक की स्वीचिंग/पुनर्खरीद के लिए प्रावधान		
24	(i) प्रतिभूति स्वीचिंग के लिए प्रावधान	1,00,000.00	
25	(ii) सरकारी स्टॉक की पुनर्खरीद के लिए प्रावधान	0.00	
26	**कुल (24 से 25)**		1,00,000.00
	कुल (23+26)		**5,69,654.79**